सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची		
	कंडिका	**पृष्ठ**

प्राक्कथन	..	vii
कार्यकारी सारांश	..	ix
प्रथम अध्याय : विहगांवलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	3
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	5
प्रतिवेदन संरचना	1.3	6
शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहगांवलोकन	1.4	6
बजटीय प्रक्रियायें	1.5	8
वित्त का आशुचित्र	1.5.1	9
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.5.2	9
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	10
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.6.1	10
वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे	1.6.2	12
घाटा/आधिक्य	1.6.3	13
घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.6.4	13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.7	14
लेखापरीक्षा के बाद–घाटा/आधिक्य	1.7.1	15
लेखा परीक्षा के बाद–कुल ऋण/दायित्व	1.7.2	16
द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	20
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	21
स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	22
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2.3.3.2	23
करेत्तर राजस्व	2.3.3.3	23
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	2.3.3.4	24
भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.3.5	24
पंद्रहवे वित्त आयोग अनुदान	2.3.3.6	25
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3.7	26
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	27
संसाधनो का उपयोग	2.4	27
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	27
राजस्व व्यय	2.4.2	29
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	30
प्रतिबद्ध एवं गैर–प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	31
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता	2.4.2.3	32
सब्सिडी	2.4.2.4	33
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	33

	कंडिका	पृष्ठ
पूँजीगत व्यय	2.4.3	34
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	35
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	35
अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरूद्ध	2.4.3.3	37
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	38
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	39
लोक लेखा	2.5	39
शुद्ध लोक लेखा	2.5.1	39
आरक्षित निधि	2.5.2	40
संचित निक्षेप निधि	2.5.3	41
राज्य आपदा राहत निधि	2.5.4	41
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.5	42
ऋण प्रबंधन	2.6	42
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	43
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	45
ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	46
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	47
राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता	2.7.1	47
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	47
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	48
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.4	49
निष्कर्ष	2.8	50
अनुशंसाएं	2.9	51
तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	53
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	53
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	54
जेण्डर बजट	3.3.1	54
युवा बजट	3.3.2	54
कृषि बजट	3.3.3	55
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं	3.3.4	55
विनियोग लेखा	3.4	55
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	55
बजटीय निधि का उप–युक्ततम उपयोग	3.4.2	56
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	57
विधि के प्राधिकार के बिना व्यय	3.5.1	57
राजस्व व्यय के रूप मे पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणं	3.5.2	57
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.3	58
अनावश्यक एवं अत्याधिक पुनिर्विनियोग	3.5.4	60
उप–शीर्षो के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.5	60
बृहद बचत/समर्पण	3.5.6	61
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या	3.5.7	62
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.8	63
व्यय की अतिवेग	3.6	64
उप–शीर्ष (योजनाएँ) जहाँ मार्च 2021 में पूरा व्यय किया गया था	3.6.1	65

	कंडिका	पृष्ठ
निष्कर्ष	3.7	66
अनुशंसाएं	3.8	66
चतुर्थ अध्याय : लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	67
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब	4.2	67
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	69
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	70
उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.5	70
व्यक्तिगत जमा खातें	4.6	71
व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ	4.6.1	72
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	4.6.2	73
केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ	4.7	73
अधोसंरचना विकास कोष	4.7.1	73
पर्यावरण कोष	4.7.2	74
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि	4.8	74
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	4.8.1	74
लघु शीर्ष–800 में समायोजन	4.9	76
लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रायल्टी की बुकिंग	4.9.1	78
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.10	78
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	80
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.12	80
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.13	81
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.14	82
ऑफ बजट उधार	4.15	82
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां	4.16	83
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.17	84
निष्कर्ष	4.18	84
अनुशंसाएं	4.19	85
पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	87
सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	87
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	87
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.4	88
सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	88
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	89
इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण	5.6.1	89
सम्पत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	90
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना	5.6.3	90
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	91
पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	91
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.7.2	91
ऋण का भुगतान	5.8	92
ब्याज कवरेज अनुपात	5.8.1	92
सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता	5.9	93
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)	5.9.1	93

	कंडिका	पृष्ठ
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	93
निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	94
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.9.4	94
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.10	95
वहन की गयी हानियाँ	5.10.1	95
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.2	96
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका	5.11	96
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	96
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	97
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	97
समय पर प्रस्तुतीकरण की आवष्यकता	5.12.1	97
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता	5.12.2	98
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की निगरानी लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	98
वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा	5.13.1	98
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	99
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम	5.14	99
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.14.1	99
सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.14.2	100
लेखामानकों/भारतीय लेखा मानको के प्रावधानो का अनुपालन न करना	5.15	101
प्रबंधन पत्र	5.16	101
निष्कर्ष	5.17	102
अनुशंसाएं	5.18	103

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	**परिशिष्ट**	**पृष्ठ**

परिशिष्ट का नाम	परिशिष्ट	पृष्ठ
राज्य की रूपरेखा	1.1	105
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	106
वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	109
वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	110
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नही हुआ	3.3	112
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	113
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नही हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	115
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	118
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	120
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	121
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	123
वर्ष 2000–01 से 2019–20 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	126
वर्ष 2020–21 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ	3.11	127
उप–शीर्ष (योजना), जहाँ पूरा व्यय मार्च 2021 में किया गया	3.12	128
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	4.1	129
31 जनवरी 2021 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.2	130
लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	4.3	131
लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	4.4	132
चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	4.5	133
सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण (31 मार्च 2021 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)	4.6	134
विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण	4.7	135
पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	136
31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.2	137
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना	5.3	141

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के आध्याय–1 में राज्य वित्त लेखाओं के आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में रूझान जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय आधिशेष/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल है।

आध्याय–2 एवं 3 में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।

आध्याय–4 'लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता' में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

अध्याय–5 छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के वित्तीय प्रदर्शन तथा पीएसयूज के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की जाँच के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। एक सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19 (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, सीएजी द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है ।

2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.1 राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है–राजस्व घाटा/आधिक्य, राजकोषीय घाटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।

मार्च 2020 के अंत तक ₹9,608.61 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में, मार्च 2021 के अंत तक राज्य का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (4.53 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम (5.00 प्रतिशत) के तहत निर्धारित 5.00 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य 21.59 प्रतिशत से अधिक था । जबकि, ऋण–जीएसडीपी अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (28.10 प्रतिशत) के अंदर था।

यद्यपि छत्तीसगढ़ ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उच्च दर से वृद्धि दर्ज की, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की गयी थी। वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्यतः तीनों क्षेत्र–कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में वृद्धि दर क्रमशः 13.35 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत तथा 10.01 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में क्रमशः 10.40 प्रतिशत, (-)3.34 प्रतिशत तथ 3.34 प्रतिशत की कमी के कारण हुई। छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रमुख योगदान उद्योग क्षेत्र था, जबकी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, का प्रमुख योगदान कारक सेवा क्षेत्र था ।

(प्रथम अध्याय)

2.2 राज्य के वित्त

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.08 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व में क्रमशः 3.49 प्रतिशत की वृद्धि और करेत्तर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी हुई और बजट अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 52 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 मे ऋण पुनर्भुगतान मे कमी हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर ₹89,605.22 करोड़ होगा। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय नहीं है और यह संपत्ति के निर्माण को प्रभावित करेगा।

(द्वितीय अध्याय)

2.3 बजटीय प्रबंधन

राज्य शासन का बजटीय अनुमान 2020–21 के दौरान वास्तविक नहीं था और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था। साथ ही, पिछले वर्ष (86.30 प्रतिशत) की तुलना में 2020–21 के दौरान बजटीय निधियों (81.22 प्रतिशत) के उपयोग का प्रतिशत घट गया।

दो अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹3,432.12 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लियें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया ।

(तृतीय अध्याय)

2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नही करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ (₹3,030.67 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹1,268.92 करोड़) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुआ एवं आवटंन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण भी धूमिल हुआ।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

(चतुर्थ अध्याय)

2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2021 की स्थिति में, एक सांविधिक निगम सम्मिलित करते हुए 30 पीएसयूज थे। 30 में से दो निष्क्रिय पीएसयूज हैं। 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु सम्मिलित किया गया है।

पीएसयूज के अद्यतन लेखों एवं प्रदत्त सूचना के अनुसार इन्होंने ₹39,964.32 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया जो कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 11.41 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2021 की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य का इन 30 पीएसयूज में पूँजी और दीर्घावधि ऋणों में निवेश ₹20,878.89 करोड़ था।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 15 पीएसयूज ने 2020–21 में ₹697.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयूज ने ₹978.50 करोड़ की हानि वहन की एवं तीन पीएसयूज ने न तो लाभ और न ही हानि प्रतिवेदित की। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़) द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹972.64 करोड़) वहन की। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा की।

25 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित संचित हानि ₹4,872.05 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2021 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,391.21 करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹972.64 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹7,290.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

केवल सात पीएसयूज के वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए। 23 पीएसयूज लेखों को समयानुसार प्रस्तुत करने में विफल रहे। 23 पीएसयूज से संबंधित 40 लेखें बकाया थे।

सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, वित्तीय विवरणों में लाभप्रदता को ₹14.22 करोड़ से और परिसंपत्तियों/देयताओं को ₹63.07 करोड़ से प्रभावित करने वाली गलतियों पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयी थी।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों में पायी गई अनियमिताएं एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, को सुधारात्मक कार्यवाई करने हेतु तीन पीएसयूज के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया।

(पंचम अध्याय)

प्रथम अध्याय
विहंगावलोकन

प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 28 जिले है एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो कि 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,04,943 अनुमानित की गई थी जो राष्ट्रीय औसत ₹1,28,829 से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** मे दर्शाया गया है।

बॉक्स 1: कोविड–19 महामारी का वर्ष और राज्य की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2020–21 के दौरान, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर घटकर 1.54 प्रतिशत हो गई, जो कि वर्ष 2016–20 के दौरान 7.41 से 16.72 प्रतिशत के बीच रही। जीएसडीपी में योगदान करने वाले सभी तीन क्षेत्रों अर्थात उद्योग, कृषि और सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की (विवरण **चार्ट 1.1** और **1.3** में हैं)।

वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड –19 के साथ आर्थिक मंदी का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में कमी का प्रभाव था। पिछले वर्षों की तुलना में राज्य के राजस्व और व्यय की माहवार स्थिति **चार्ट 1.1** और **1.2** में दर्शायी गई है:

चार्ट 1.1: माहवार राजस्व प्राप्तियां

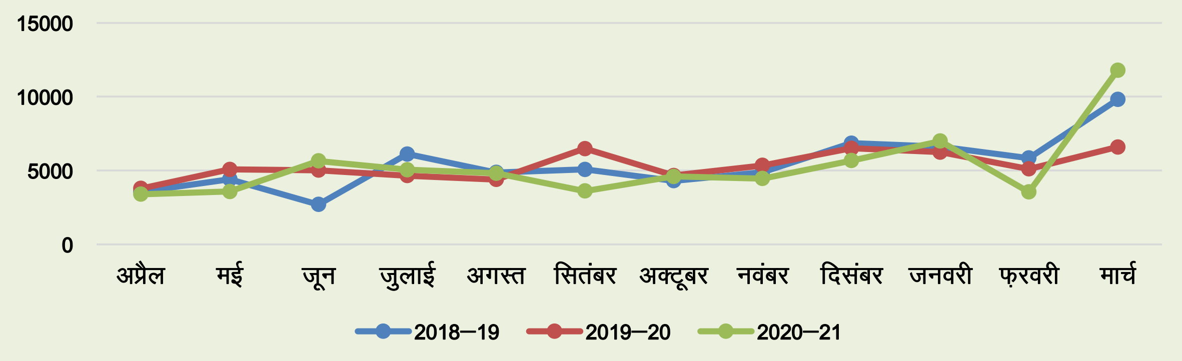

चार्ट 1.2: माहवार राजस्व व्यय

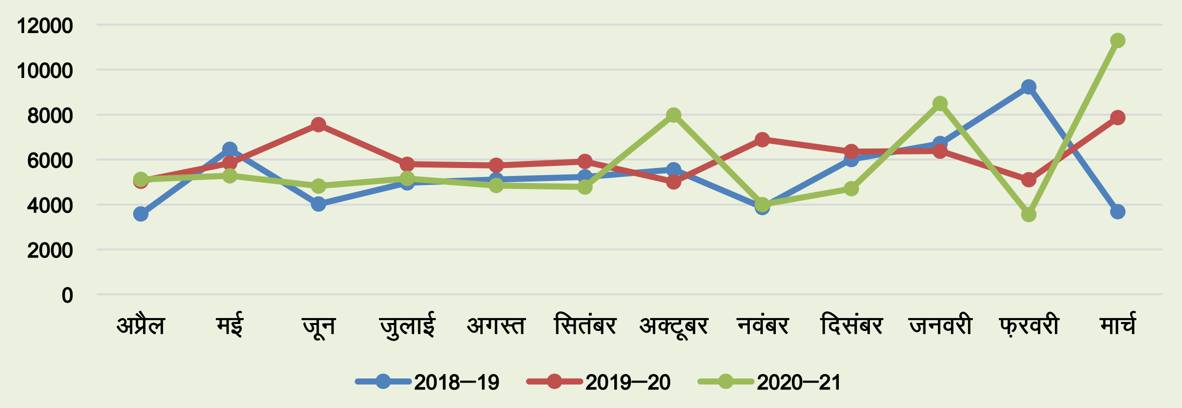

प्राप्तियों पर प्रभाव

2016–17 से 2018–19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई, जिसमे कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (विवरण **द्वितीय अध्याय** की **तालिका 2.3** में दिया गया है)। गैर–कर राजस्व में (–)10.04 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण अपने स्वयं के संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन में पिछले वर्ष की तुलना में (–)0.08 प्रतिशत की गिरावट आई है।

केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान (जीआईए) राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत है। केंद्रीय कर हस्तांतरण मूल रूप से, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित करों की शुद्ध आय का हिस्सा होता है। चूंकि चौदहवे वित्त आयोग द्वारा राज्य का हिस्सा 42 प्रतिशत पर तय किया गया है और पंद्रहवे वित्त आयोग में 41 प्रतिशत तक कम किया गया है, इसलिए हिस्से की पूर्ण राशि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल राशि पर निर्भर करती है। कोविड–19 महामारी के कारण केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की कुल मात्रा वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान घट गई, इसलिए इस अवधि के दौरान केंद्रीय कर हस्तांतरण भी कम हो गया, जो कि वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दिखा रहा था। (विवरण **द्वितीय अध्याय** की **तालिका 2.7** में है)। इसी तरह, भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 5.87 प्रतिशत की कमी आई है।

व्यय पर प्रभाव

कुल खर्च वर्ष 2019–20 में ₹82,099.86 करोड़ से ₹2,992.32 करोड़ कम होकर वर्ष 2020–21 में ₹79,107.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और राज्य शासन द्वारा सरकारी व्यय को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न आर्थिक उपाय किए गए। राज्य शासन ने कुल बजट प्रावधान के उपयोग को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया और प्रशिक्षण, सरकारी दौरों और बैठकों, नई योजनाओं के कार्यान्वयन, नए वाहनों की खरीद आदि जैसे कई मदों से संबंधित व्यय को नियंत्रित किया।

कोविड–19 के कारण बचत

वर्ष 2020–21 के दौरान भारी बचत हुई, जिसमें 72 अनुदानों/विनियोगों में से 17 अनुदानों ने बजट आवंटन के 50 प्रतिशत से कम का उपयोग दिखाया। वर्ष 2020–21 में कुल बजटीय प्रावधान का 86.30 प्रतिशत से 81.22 प्रतिशत तक धन का उपयोग कम हो गया। भिन्नता के कारणों की आवश्यकता वाले कुल 1656 उप–शीर्षों में से 830 उप–शीर्षों में कारण प्रदान किए गए थे, जिनमें से 122 मामलों में भिन्नता के कारणों को बजट में कटौती/कोविड–19 के कारण कम व्यय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

राजस्व और राजकोषीय घाटे और इसके वित्तपोषण पर प्रभाव

छत्तीसगढ़, जो वर्ष 2016–17 से 2108–19 तक राजस्व आधिक्य राज्य था, वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान राजस्व घाटे वाले राज्य में बदल गया। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा क्रमशः ₹9,608.61 करोड़ और ₹6,856.66 करोड़ था। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹17,969.55 करोड़ और ₹15,822.38 करोड़ था (विवरण **द्वितीय अध्याय** की **तालिका 2.29** में है)।

राजस्व में कमी को भारत सरकार से आंतरिक ऋण और ऋण के तहत उच्च प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा जुटाई गई बाजार उधारी (₹13,000 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के बड़े हिस्से को वित्तपोषित करना जारी रखा और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसका शुद्ध हिस्सा 66.36 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 के दौरान आंतरिक ऋण में 16.82 प्रतिशत (₹10,156.14 करोड़) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 123.20 प्रतिशत (₹3,405.25 करोड़) की वृद्धि हुई। ऋण और अग्रिम में वृद्धि राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में प्रदान किए गए जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण के कारण थी। इस ऋण का कर्ज भुगतान जीएसटी मुआवजा कोष में

उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों पर नहीं होगा।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। तथापि, वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹3,212.16 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, छत्तीसगढ़ को राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के तहत ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई चुकौती देयता नहीं थी।

इस प्रकार जीएसटी मुआवजे के एवज में ₹3,109 करोड़ की प्राप्ति (ऋण) को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹3,747.66 करोड़ और ₹12,713.38 करोड़ होगा।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दर्शायी गई है ।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
प्रचलित मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(–)2.97
प्रचलित मूल्यं पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,62,801	2,82,283	3,18,101[प्रा]	3,44,955[त्व]	3,50,270[अ]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.72	7.41	12.69	8.44	1.54

(स्रोतः भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)
अ–अग्रिम अनुमान त्व–त्वरित अनुमान प्रा–प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुऐ 1.54 से 16.72 प्रतिशत के मध्य रही। यद्यपि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान उच्च दर से बढ़ा हो लेकिन इसने गत वर्ष के तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की जो कि मुख्य रूप से जीएसडीपी बनाने वाले सभी तीन क्षेत्रों–कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2019–20 में वृद्धि 13.35 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत एवं 10.01 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में क्रमशः 10.40 प्रतिशत, (–)3.34 प्रतिशत एवं 3.34 प्रतिशत में कमी के कारण हुआ।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों –प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कि कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढ़ाचे मे बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है। वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना को **चार्ट 1.3** मे दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना

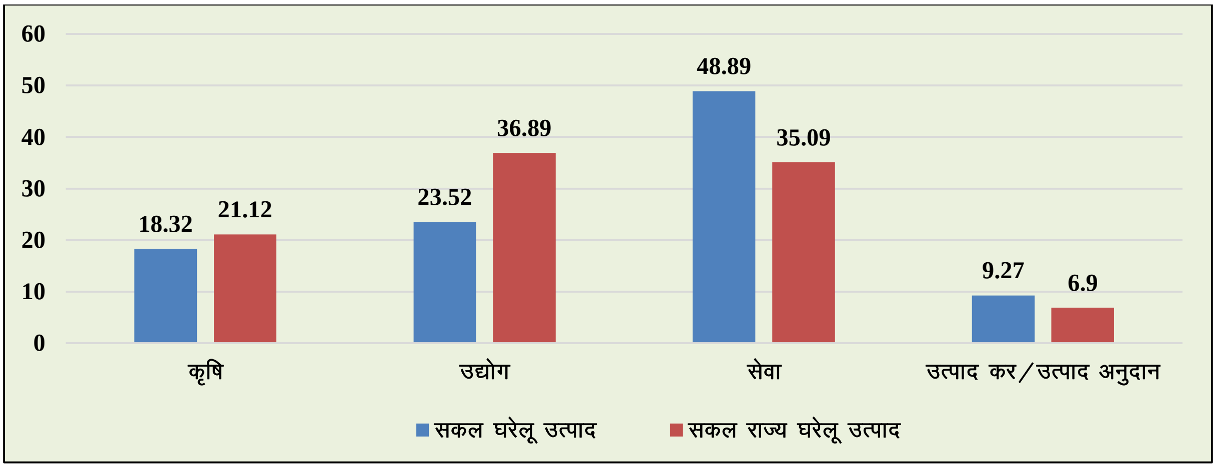

स्रोतः भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

जैसा कि **चार्ट 1.3** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र और उत्पाद कर/उत्पाद अनुदान का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि पाँच वर्ष की अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सेवा क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2016–17 में 20.66 प्रतिशत एवं 33.26 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में 21.12 प्रतिशत एवं 35.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016–17 में 37.99 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में 36.89 प्रतिशत की कमी हुई। उत्पाद कर और उत्पाद अनुदानों के योगदान भी वर्ष 2016–17 में 8.09 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में 6.90 प्रतिशत की कमी हुई।

चार्ट–1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2016–17 से 2020–21)

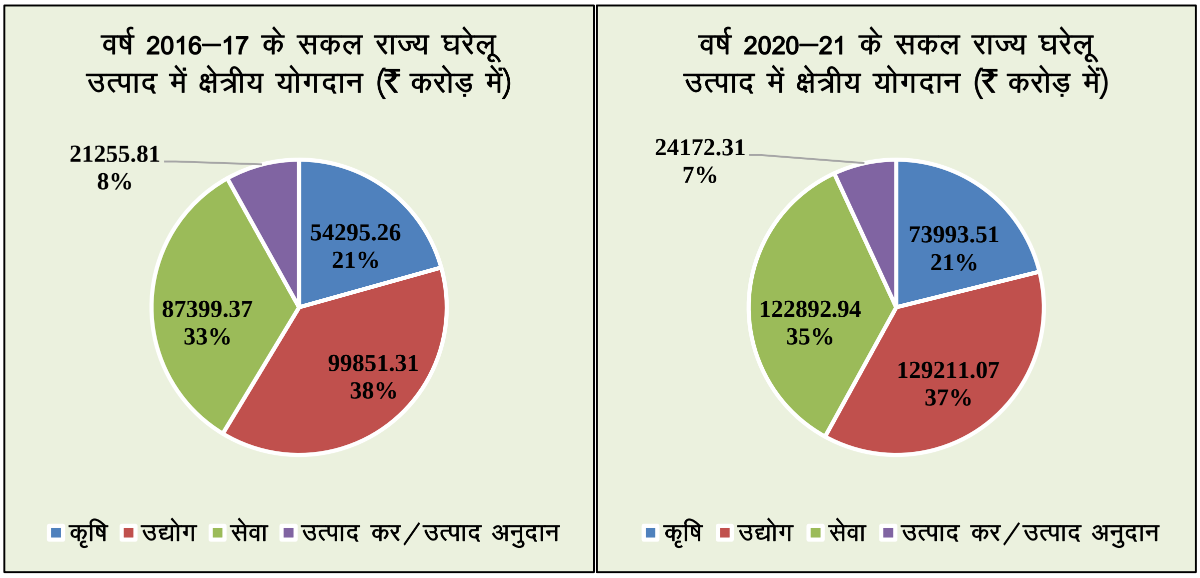

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन **चार्ट 1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास

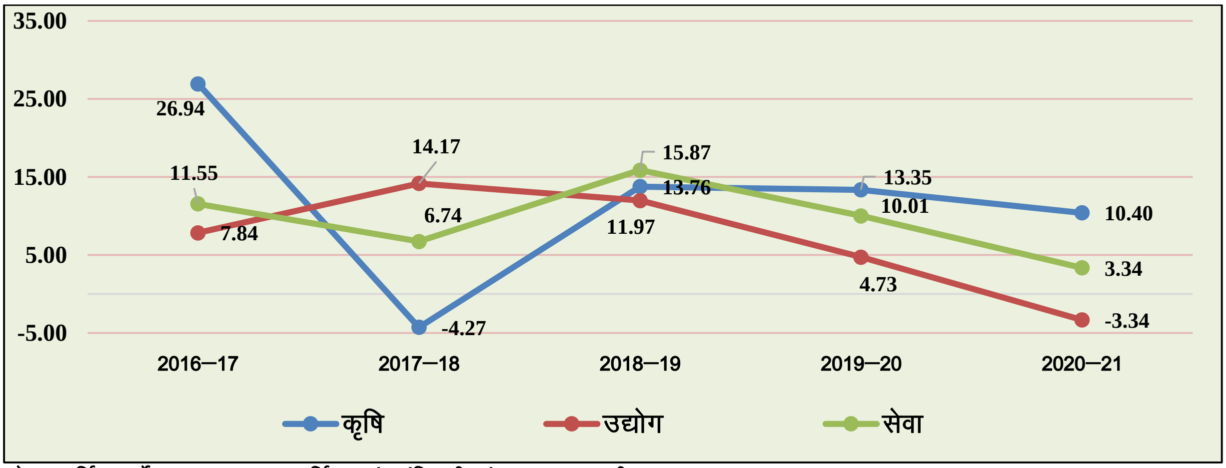

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हे राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखें को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

वर्ष 2020–21 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्त्रोतों मे निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2020–21 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बनता है ;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखाकंन साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े;
- वर्ष 2016–21 के दौरान भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों।

पंद्रहवे वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है ।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	**<u>विहंगावलोकन</u>** यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों का संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा/आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति प्रदान करता है।
द्वितीय अध्याय	**<u>राज्य शासन के वित्त</u>** यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन–देन, राज्य का वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	**<u>बजटीय प्रबंधन</u>** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आंवटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है ।
चतुर्थ अध्याय	**<u>लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदोनों के कार्यप्रणालीयों की गुणवत्ता</u>** यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय आधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है ।
पंचम अध्याय	**<u>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन</u>** यह अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहगांवलोकन

शासकीय लेखें को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड,केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिऐ मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत मे संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है ।

राजस्व व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम–काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संम्बन्धित हो सकते है) आदि व्ययो से संम्बन्धित है ।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैः

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि.ः

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है ।

शासकीय लेखें के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।

	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची मे दर्शाये गये अनुसार	कार्य–शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/ विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप–कार्य	उप–मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु–शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप– शीर्ष (दो अंक)
	उप–योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधियॉं	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप–क्षेत्र शमिल है। व्यय के पक्ष में लेन–देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेंवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों मे उप–वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः

शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते है, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों शासन के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप–शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है ।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण **चार्ट 1.6** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.6: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण

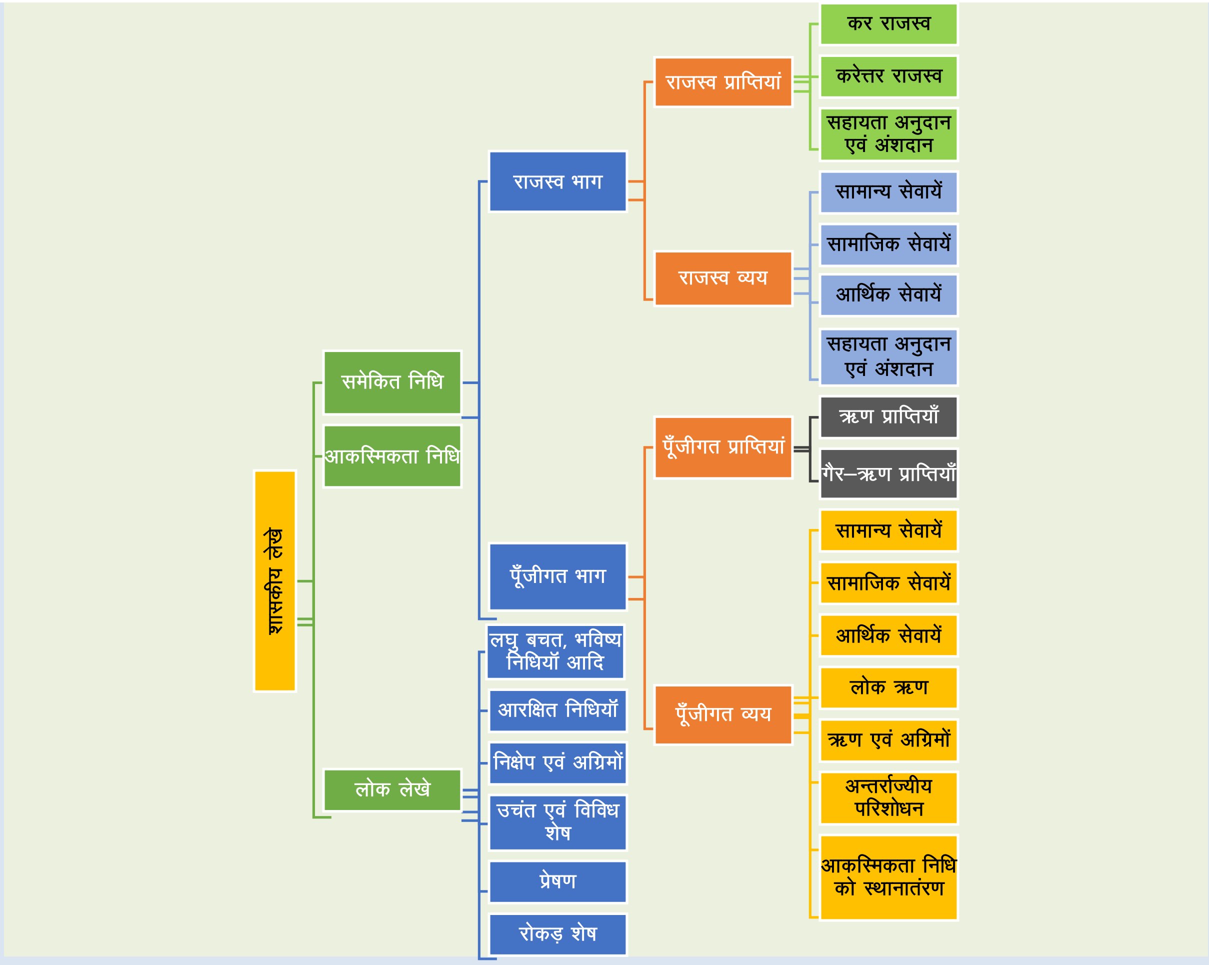

1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 72 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल है।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुत्रीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2019–20 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (बजट अनुमान)	2020–21 (वास्तविक)	वास्तविक आंकडे बजट अनुमान का प्रतिशतता	वास्तविक आंकडे स.रा.घ.उ का प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	22,117.85	26,155.00	22,889.20	87.51	6.53
2.	करेत्तर राजस्व	7,933.77	9215.00	7,136.95	77.45	2.04
3.	संघीय करों/शुल्कों के अंश	20,205.84	26,803.30	20,337.54	75.88	5.81
4.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,611.24	21,658.00	12,812.49	59.16	3.66
5.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)**	**63,868.70**	**83,831.30**	**63,176.18**	**75.36**	**18.04**
6.	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	256.91	300.00	104.13	34.71	0.03
7.	विविध पूँजी प्राप्तियाँ	4.70	0.00	4.85	0.00	0.00
8.	उधार एवं अन्य दायित्वों[1]	16,206.99	11,518.41	11,951.92	103.76	3.41
9.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)**	**16,468.60**	**11,818.41**	**12,061.57**	**102.06**	**3.44**
10.	**कुल प्राप्तियाँ (5+9)**	**80,337.30**	**95,649.71**	**75,237.75**	**78.66**	**21.48**
11.	राजस्व व्यय	73,477.31	81,399.95	70,032.84	86.04	19.99
12.	ब्याज भुगतान	4,970.33	5,840.79	5,633.11	96.44	1.61
13.	पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हेतु सहायता अनुदान	1,939.61	2,732.19	1,837.67	67.26	0.52
14.	**पूँजीगत व्यय *जिसमे से***	**8,622.55**	**14,249.76**	**9,074.70**	**63.68**	**2.59**
	पूँजीगत परिव्यय	8,566.39	13,814.11	9,024.19	65.33	2.58
	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	56.16	435.65	50.51	11.59	0.01
15.	**कुल व्यय (11+14)**	**82,099.86**	**95,649.71**	**79,107.54**	**82.71**	**22.58**
16.	**राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–) (5–11)**	**(–)9,608.61**	**2,431.35**	**(–)6,856.66**	**(–)282.01**	**(–)1.96**
17.	**राजकोषीय घाटा {15–(5+6+7)}**	**(–)17,969.55**	**(–)11,518.41**	**(–)15,822.38**	**137.37**	**(–)4.52**
18.	**प्राथमिक घाटा (17+12)**	**(–)12,999.22**	**(–)5,677.62**	**(–)10,189.27**	**179.45**	**(–)2.91**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2020–21

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते है। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल है।

[1] (निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ+निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ+निवल आकस्मिकता निधि)+(निवल प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष)

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियाँ की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्वों				परिसंपत्तियाँ			
	2019–20	**2020–21**	**वृद्धि(+)/कमी (–) की प्रतिशतता**		**2019–20**	**2020–21**	**वृद्धि/कमी (–) की प्रतिशतता**
आंतरिक ऋण	60,382.67	70,538.81	16.82	कुल पूँजीगत परिव्यय	92,893.83	1,01,913.17	9.71
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	2,764.05	6,169.30[2]	123.20	ऋण और अग्रिमों	1,397.08	1,342.78	(–)3.89
आकस्मिकता निधि (कोपर्स)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	0.00
अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	7,617.67	8,021.40	5.30	अग्रिम	1.83	1.83	0.00
जमा	5,483.29	5,985.11	9.15	प्रेषण	278.30	329.28	18.35
आरक्षित निधि	9,697.05	9,180.67	(–)5.33	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
उचंत तथा विविध शेष	89.52	77.19	(–)13.77	रोकड़ शेष[3]	11,396.60	9,461.37	(–)16.98
प्रेषण	0.00	0.00	0.00	**कुल (1 से 7)**	**1,05,967.64**	**1,13,048.43**	**6.68**
				शासकीय लेखों पर घाटा	19,833.39	12,975.95	(–)34.58
कुल (1 से 8)	**86,134.25**	**1,00,072.48**	**16.18**	**कुल (8 से 9)**	**86,134.25**	**1,00,072.48**	**16.18**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। यह खंड वित्त वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ–साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितम्बर 2011 एवं उसके बाद 2016 में संशोधित) राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढ़ाचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना था। इसके अलावा, सीजीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम (3 मार्च 2021) के अनुसार जो 1 मार्च 2020 से लागू हुआ, वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के

---

[2] इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

[3] निर्धारित निधि में निवेश सहित

पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कुल देनदारियां आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य असाधारण आधारों से उत्पन्न राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकती हैं।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय चर, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2016–21 के दौरान उनकी उपलब्धि **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2016–21[4]

राजकोषिय मापदडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹करोड़ में)				
		2016–17	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**	**2020–21**
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	राजस्व आधिक्य	5,520.65	3,417.32	683.76	(–)9,608.61	(–)6,856.66
		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
राजकोषिय घाटा (–)आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2016–19 के लिये स.रा.घ.उ. का 3.50 प्रतिशत एवं 2019–21 के लिये स.रा.घ.उ. का 5.00 प्रतिशत	(–) 4,047.27 (1.54 *प्रतिशत)*	(–)6,810.32 (2.41 *प्रतिशत)*	(–)8,292.23 (2.61 *प्रतिशत)*	(–)17,969.55 (5.21 *प्रतिशत)*	(–)15,822.38 (4.53 *प्रतिशत)*
		हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताए का अनुपात (प्रतिशत में)	2016–17 के लिये 15.45% 2017–18 के लिये 18.47% 2018–19 के लिये 18.06% 2019–20 के लिये 21.23% 2020–21 के लिये 21.59%	16,84 *प्रतिशत*	18.74 *प्रतिशत*	20.98 *प्रतिशत*	22.82 *प्रतिशत*	25.58[5] *प्रतिशत*
		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था, जबकि वर्ष 2019–20 में यह ₹9,608.61 करोड़ था। ₹2,751.95 करोड़ की कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹3,444.47 करोड़ (4.69 प्रतिशत) की कमी के साथ–साथ राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹692.52 करोड़ (1.08 प्रतिशत) की कमी के कारण थी। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.87 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹2,147.17 करोड़ घटकर ₹15,822.38 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2019–20 में ₹17,969.55 करोड़ था, क्योंकि राजस्व घाटा 2019–20 में ₹9,608.61 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 में ₹6,856.66 करोड़ हो गया। केवल वर्ष 2019–20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.21 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

जीएसटी मुआवजा जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। हालांकि, जीएसटी मुआवजा की राशि प्राप्त करने के अलावा राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹3,212.16 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, छत्तीसगढ़ को भी राज्य शासन की ऋण प्राप्ति के तहत ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है। राज्य शासन का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ और राजकोषीय घाटा

[4] जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

[5] जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैक टू बैक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,605.22 करोड़ पर की गई है।

₹15,822.38 करोड़ जैसा कि वित्त लेखा 2020–21 में दर्शाया गया है, इसलिए जीएसटी मुआवजे के बदले ₹3,109 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जीएसटी मुआवजे के बदले में ₹3,109 करोड़ की प्राप्ति (ऋण) को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹3,747.66 करोड़ और ₹12,713.38 करोड़ होगा।

वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (25.58 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (21.59 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लेकिन पन्द्रहवे वित्त आयोग (28 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर ऋण–जीएसडीपी प्रतिशत की गणना की गई है।

1.6.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय नीति विवरण जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमएफएस), मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) और वित्तीय नीति रणनीति वक्तव्य वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तलिका 1.5 में वर्ष 2020–21 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2020–21 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत् वृद्धि (+)/कमी (–)
1	स्वयं के कर राजस्व	26,155.00	22,889.20	(–)12.49
2	करेत्तर राजस्व	9,215.00	7,136.95	(–)22.55
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	26,308.30	20,337.54	(–)24.12
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	21,658.00	12,812.49	(–)40.84
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	83,831.30	63,176.18	(–)24.64
6	राजस्व व्यय	81,399.95	70,032.84	(–)13.96
7	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	2,431.35	(–)6,856.66	(–)382.01
8	राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)	(–)11,518.41	(–)15,822.38	37.33
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	21.59	25.58[6]	22.60
10	प्रचलित मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर	9.97	1.54	(–)84.55

स्रोत : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2020–21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान

[6] ऋण/जीएसडीपी अनुपात की गणना बकाया ऋण पर की गई, जिसमें बैक टू बैक ऋण की राशि ₹3,109 करोड़ शामिल नहीं है।

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में अनुमानित राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ में 24.64 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय में 13.96 प्रतिशत की कमी हुई।

1.6.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम है जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते है।

राजस्व घाटा/ आधिक्य **(राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)**	*राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में* • जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। • राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। • इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। • यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
राजकोषीय घाटा/ आधिक्य **{कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}**	*यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है।* • राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। • गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ है जो उधार नहीं है और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते है। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। • राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती है और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती है ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सके। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियाँ के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।

1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹15,822.38 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.53 प्रतिशत (₹3,50,269.83 करोड़) तथा कुल व्यय का 20.00 प्रतिशत (₹79,107.54 करोड़) गठित करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹12,999.22 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान घटकर ₹10,188.60 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹9,608.61 करोड़ का राजस्व घाटा घटकर ₹6,856.66 करोड़ हो गया। वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.7** में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

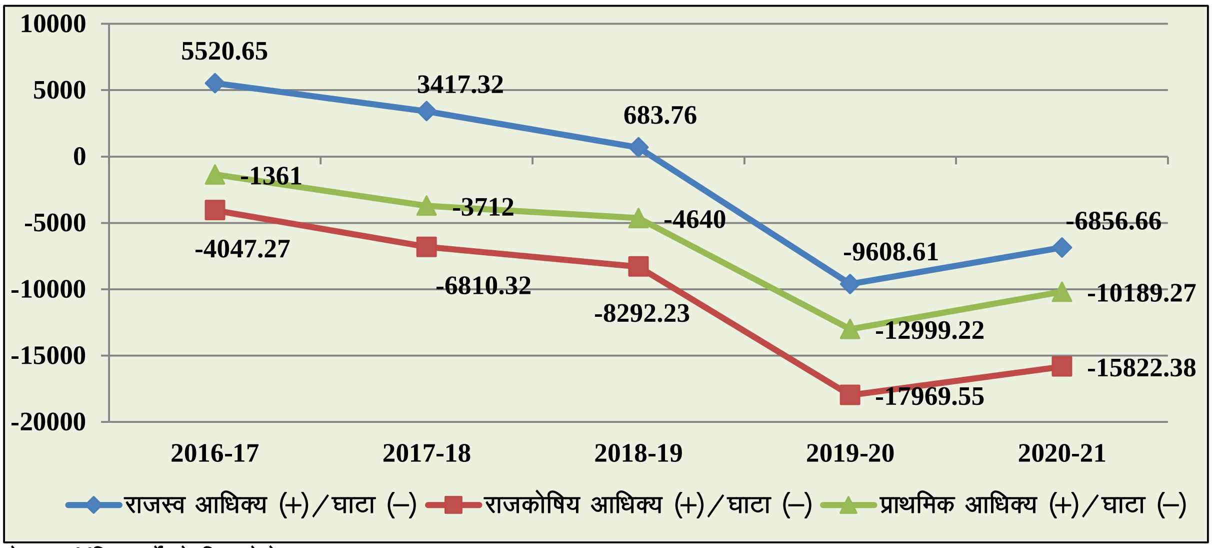

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.8: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

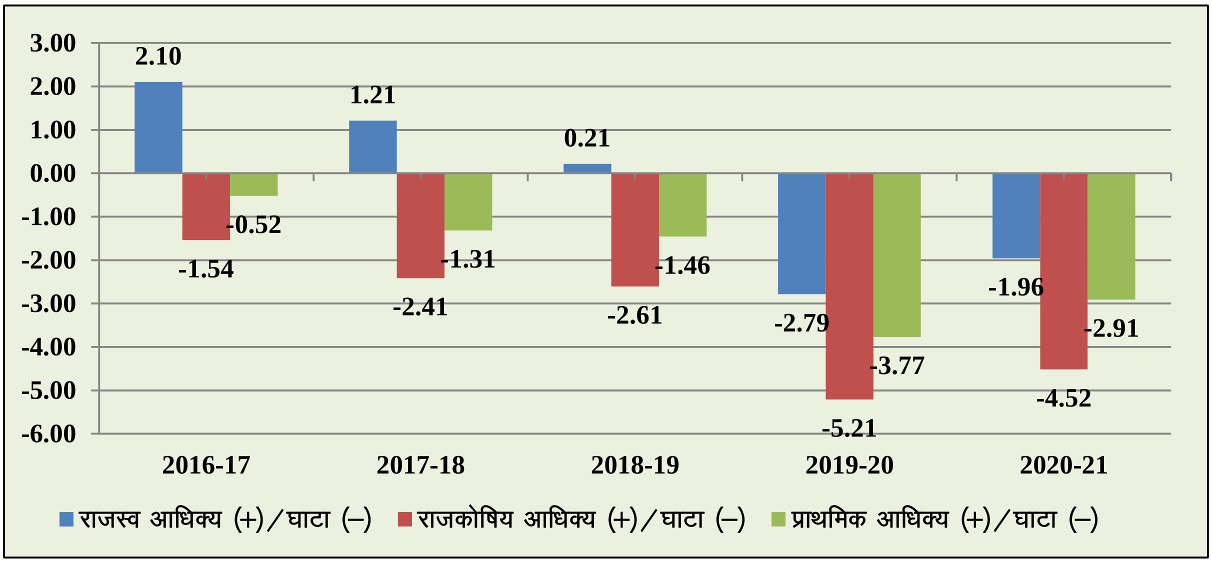

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद–घाटा/आधिक्य

कुछ मुद्दे जैसे राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020–21 के अपने लेखों में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण/पूँजी के रूप में बुकिंग, संबंधित निधियों को प्राप्त अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण न करना और अन्य मुद्दे, जिनकी चर्चा रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में की गई है, वर्ष 2020–21 के वित्त लेखों में दर्शाए गए राजस्व/राजकोषीय आधिक्य/घाटे पर प्रभाव डालते है। वास्तविक घाटे के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त मुद्दों के प्रभाव को उचित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 के लिए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को क्रमशः ₹2,658.61 करोड़ और ₹792.76 करोड़ से कम करके दिखाया गया है जिसे **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वास्तविक घाटे का निर्धारण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षाओं के बाद राजस्व/राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	0.00	1,837.67	0.00	0.00
पूँजीगत अनुभाग में दर्ज किये गये राजस्व व्यय	0.00	28.18	0.00	0.00
राष्ट्रीय पेंशन योजना	0.00	4.84	0.00	4.84
राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	0.00	1.83	0.00	1.83
राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	172.80	0.00	172.80
राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के तदनुसार राज्य हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	57.60	0.00	57.60
राज्य आपदा शमन निधि में सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	43.20	0.00	43.20
राज्य आपदा शमन निधि में सहायता अनुदान के तदनुसार राज्य हिस्से का गैर हस्तांतरण	0.00	14.40	0.00	14.40
अवसंरचना विकास उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	219.90	0.00	219.90
पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	219.90	0.00	219.90
केंद्रीय सड़क निधि के सहायता अनुदान का गैर हस्तांतरण	0.00	58.29	0.00	58.29
योग	**0.00**	**2,658.61**	**0.00**	**792.76**

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
राजस्व घाटा(–)	(–)6,586.66	(–)2,658.61	(–)9,245.27
राजकोषीय घाटा(–)	(–)15,822.38	(–)792.76	(–)16,615.14

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद–कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने ₹2,333.98 करोड़ के ऑफ–बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने बजट के माध्यम से ₹24.19 करोड़ का पुनर्भुगतान किया है। इस मुद्दे पर रिपोर्ट **अध्याय 4** की **कंडिका 4.15** में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा पश्चात देयताओं की गणना के लिए, ऑफ–बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ दिया गया है।

जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण राज्य को भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 में एक विशेष उधार की स्थापना की और तदनुसार, राज्य को ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण जारी किया। इस बैक टू बैक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा कोष में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैक टू बैक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ–बजट उधार और बैक टू बैक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.स	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2021 को खातों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	92,714.22	26.47
2.	31.03.2021 को निवल ऑफ–बजट देनदारियां (₹2333.98 – ₹24.19)(ब)	2,309.79	0.66
3.	ऑफ–बजट देनदारियों सहित कुल देनदारियां (स) = (अ) + (ब)	95,024.01	27.13
4.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैक टू बैक एक ऋण (द)	3,109.00	0.89
	कुल देयताए (स)–(द)	**91,915.01**	**26.24**

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2020–21

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऑफ–बजट देनदारियों और बैक टू बैक ऋण को समायोजित करने के बाद ऋण–जीएसडीपी अनुपात 26.47 प्रतिशत से घटकर 26.24 प्रतिशत हो गया।

द्वितीय अध्याय
राज्य शासन के वित्त

द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखें के आधार पर राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण है, वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन–देनों, वित्त लेखे पर आधारित है।

वर्ष 2019–20 के सापेक्ष में वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिक 2.1: वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	राज्य के राजस्व प्राप्तियाँ मे 1.08 प्रतिशत की कमी हुई राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई करेत्तर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी हुई राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 0.65 प्रातिशत की वृद्धि हुई भारत सरकार से सहायता अनुदान में 5.87 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	राजस्व व्यय मे 4.69 प्रतिशत की कमी हुई सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.57 प्रतिशत वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.95 प्रतिशत कमी हुई आर्थिक सेवाओ पर राजस्व व्यय में 8.85 प्रतिशत कमी हुई सहायता अनुदान पर व्यय 0.45 प्रतिशत वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	पूँजीगत व्यय मे 5.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओ पर पूँजीगत व्यय में 161.74 प्रतिशत वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 53.46 प्रतिशत वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत व्यय 13.61 प्रतिशत कमी हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	ऋण तथा अग्रिमो के संवितरणों में 10.00 प्रतिशत की कमी हुई ऋण तथा अग्रिमो की वसूलियों में 59.19 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	लोक ऋण प्राप्तियों में 10.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण अदायगी में 7.76 प्रतिशत की कमी हुई
लोक लेखा प्राप्तियाँ	लोक लेखा प्राप्तियों में 9.41 प्रतिशत की कमी हुई लोक लेखा संवितरणों में 3.11 प्रतिशत की कमी हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों मे किया गया है ।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग

तालिका 2.2: राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2020–21 के दौरान, वर्ष 2019–20 के साथ की गई जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2020–21 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते है।

तालिका 2.2: वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2020–21	वृद्धि (+)/कमी (–)
स्रोत			
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रांरभिक रोकड़ शेष	12,277.88	11,396.60	(–)881.28
राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	(–)692.52
पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.70	4.85	0.15
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियॉं	256.78	104.80	(–)151.98
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.13	–0.67	(–)0.80
लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	10,892.50	13,561.39	2,668.89
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	6,190.85	325.76	(–)5,865.09
आकस्मिकता निधि	4.92	0.00	(–)4.92
योग	**93,496.46**	**88,568.91**	**(–)4,927.55**
उपयोग			
राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	(–)3,444.47
पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	457.80
ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	56.11	50.50	(–)5.61
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.05	0.01	(–)0.04
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम रोकड़ शेष	11,396.60	9,461.37	(–)1,935.23
योग	**93,496.46**	**88,568.91**	**(–)4,927.55**

स्रोत : वित्त लेखे 2019–20 एवं 2020–21

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)

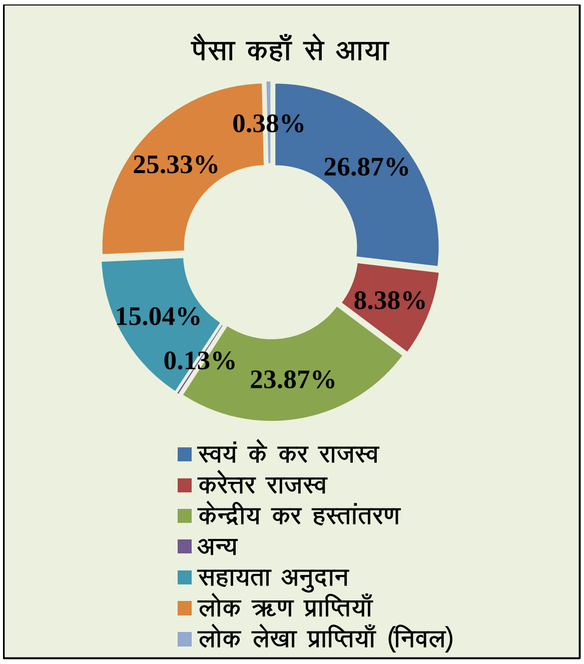

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)

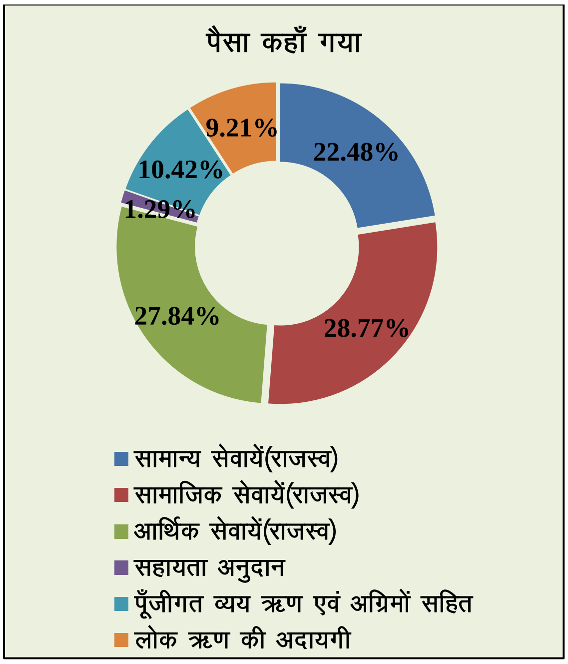

स्रोत : वित्त लेखे 2020–21

टीप : ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि अन्य में शामिल है।

2.3 राज्य के संसाधन

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।

2. पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम प्राप्त करना राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों: कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने–देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखें में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना

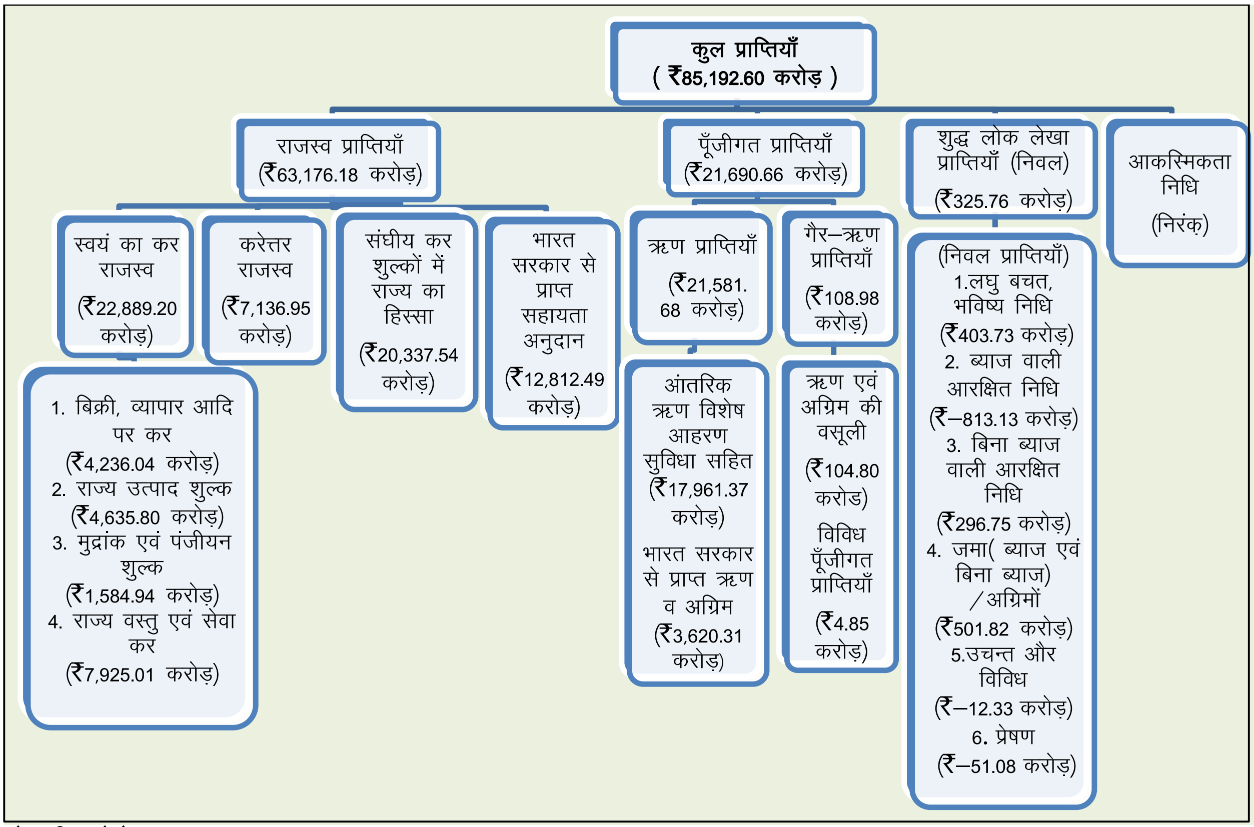

स्रोतः वित्त लेखे 2020–21

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता को प्रदान करता है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः **चार्ट 2.4** और **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**53,685.25**	**59,647.07**	**65,094.93**	**63,868.70**	**63,176.18**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.53	11.11	9.13	(–)1.88	(–)1.08
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20
करेत्तर राजस्व(₹ करोड़ में)	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर (प्रतिशत) (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	10.43	6.58	11.04	3.16	(–)0.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**2,62,802**	**2,82,283**	**3,18,101**[पी]	**3,44,955**[क्यु]	**3,50,270**[ए]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.72	7.41	12.69	8.44	1.54
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.43	21.13	20.46	18.52	18.04
उत्प्लावकता अनुपात[1]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.99	1.50	0.72	(–)0.22	(–)0.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता	0.62	0.89	0.87	0.37	0.05

स्रोतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य
ए–अग्रिम अनुमान क्यु–त्वरित अनुमान पी–प्रावधिक अनुमान

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

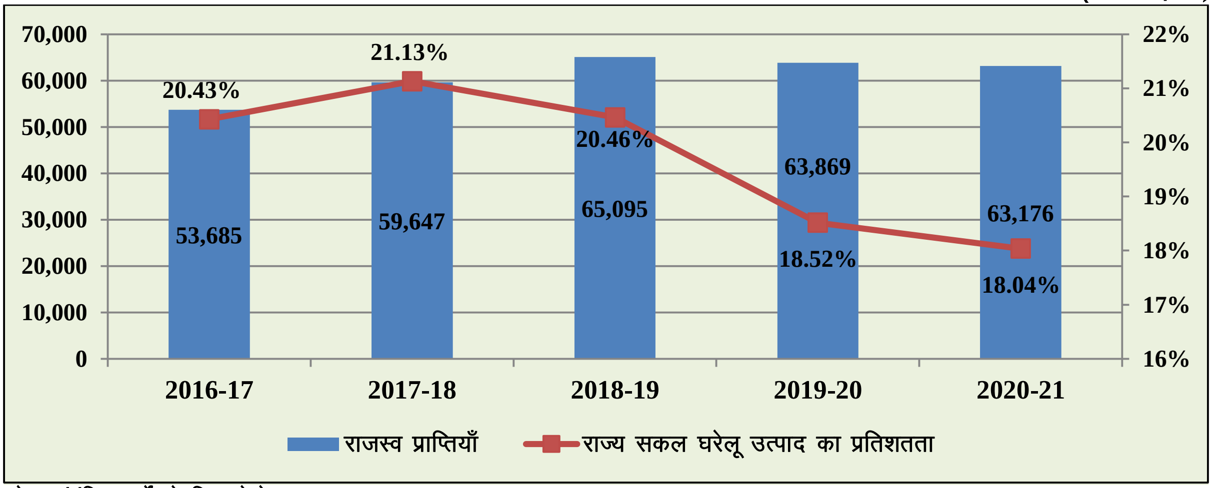

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[1] उत्पलावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है। उदाहरणार्थ–यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.85 प्रतिशत के संबंध में राजस्व उछाल का अर्थ है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों का प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

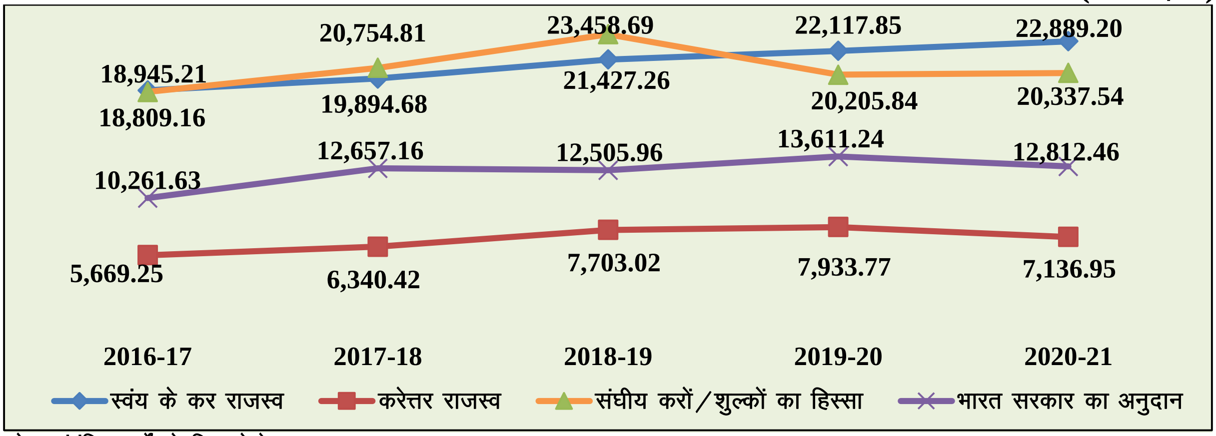

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण से ज्ञात होता है किः

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2016–17 में ₹53,685.25 करोड़ से ₹9,490.93 करोड़ बढ़कर वर्ष 2020–21 के दौरान ₹63,176.18 करोड़ हो गई। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹692.52 करोड़ (1.08 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से राज्य के करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹796.82 करोड़ (10.04 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹798.75 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई।
- वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 48 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 52 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 1.08 प्रतिशत (₹692.52 करोड़) की मामूली कमी की तुलना में राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत (₹3,444.47 करोड़) की उल्लेखनीय कमी हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष के ₹9,608.61 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की कमी हुई।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशें के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वंय के कर तथा करेत्तर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ **तालिका 2.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: वर्ष 2016–21 के दौरान राज्य के स्वंय के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का वृद्धि

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.95	5.01	7.70	3.22	3.49
करेत्तर राजस्व (₹करोड़ में)	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.71	11.84	21.49	3.00	(–)10.04

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर 3.22 से 10.95 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा वर्ष 2019–20 में 3.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 3.49 प्रतिशत हो गया।
- करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर (–)10.04 से 21.49 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा वर्ष 2019–20 में ₹7,933.77 करोड़ से ₹796.82 करोड़ (10.04 प्रतिशत) घटकर वर्ष 2020–21 में ₹7,136.95 करोड़ हो गया।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2016–21 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व का विवरण **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2016–21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

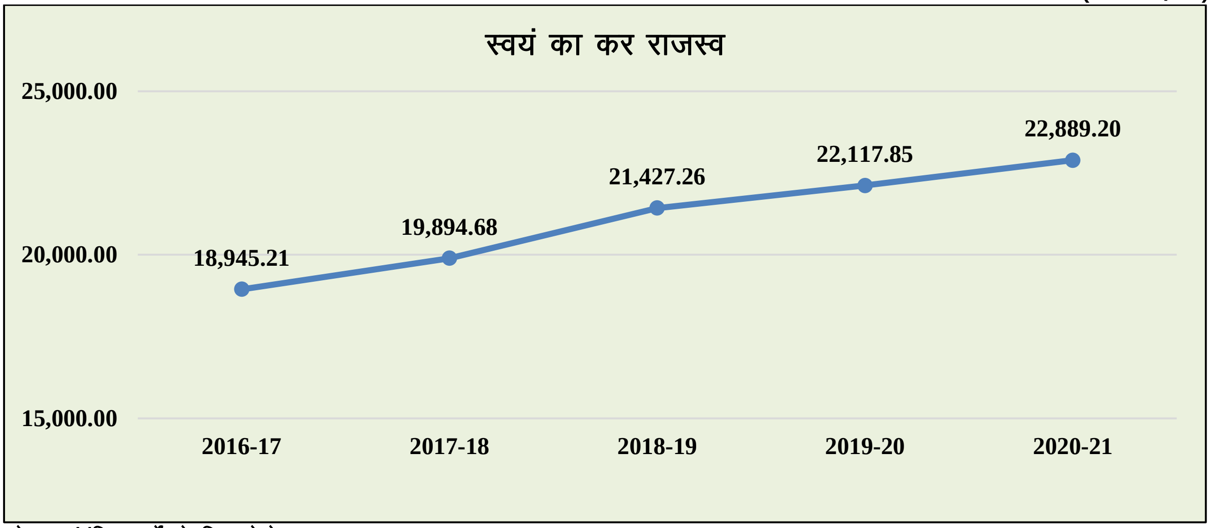

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016–21 पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक–वार विवरण **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2016–21 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	
					बजट प्रावधान	वास्तविक
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,144.37	4,236.04
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	4,386.56	8,203.41	7,894.82	10,700.92	7,925.01
राज्य उत्पाद शुल्क	3,443.51	4,054.00	4,489.03	4,952.36	5,199.72	4,635.80
वाहनों पर कर	985.27	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,600.00	1,148.07
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,705.00	1,584.94
भू–राजस्व	503.66	446.41	487.57	551.50	600.00	937.71
माल एवं यात्रियों पर कर	1,340.36	477.66	54.51	40.51	03.00	79.83
विद्युत कर तथा शुल्क	1,495.48	1,688.96	1,790.27	1,837.00	2,200.00	2,341.41
अन्य कर	38.37	14.01	1.44	0.81	0.39	0.39
योग	**18,945.21**	**19,894.68**	**21,427.26**	**22,117.85**	**26,153.89**	**22,889.20**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वर्ष 2020–21 के बजट बुक

राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2016–17 में ₹18,945.21 करोड़ से ₹3,943.99 करोड़ (20.82 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹22,889.20 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹771.35 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत कर तथा शुल्क (₹504.41 करोड़), भू–राजस्व (₹386.21 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2020–21 में ₹22,889.20 करोड़ के कुल कर राजस्व में से, वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 34.62 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क (20.25 प्रतिशत) तथा बिक्री, व्यापार आदि पर करों (18.51 प्रतिशत) का योगदान दिया। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020–21 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि, माल एवं यात्रियों, विद्युत कर तथा शुल्क पर कर से प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक थी जबकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों में बजटीय अनुमानों की तुलना में महत्वपूर्ण कमी थी।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

राज्य शासन ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, केन्द्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि की भरपाई पाँच वर्ष की अवधि तक करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व के प्राप्त अंतिम आंकड़ें के लेखापरीक्षा के पश्चात की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2016–21) के वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये करों के राजस्व आंकड़ा अनुसार तय किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आधार वर्ष 2015–16 के अनुमानित राजस्व ₹7,357.43 करोड़ में प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को लागू करते हुए वर्ष 2020–21 के लिए अनुमानित राजस्व ₹14,166.11 करोड़ की गणना की गई।

वर्ष 2020–21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व का आंकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों मे दर्शाया गया है जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), इनपुट टैक्स क्रेडिट, एस.जी.एस.टी का क्रास उपयोग एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी), आई.जी.एस.टी का कर भाग का एस.जी.एस.टी. में हस्तांतरण का विभाजन और आई.जी.एस.टी से आग्रिम विभाजन। वर्ष 2020–21 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹14,166.11 करोड़ के विरूद्ध, वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य शासन को ₹7,925.01 करोड़ के राजस्व प्राप्ति हुई। राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹3,212.16 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2020–21 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.3.3.3 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2016–21 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निचे दिये गये है।

तालिका 2.6: वर्ष 2016–21 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत
गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,141.47	4,911.44	6,110.24	6,195.73	5,538.49	(–)10.61
वृहद् सिंचाई	437.35	461.23	521.81	437.04	445.91	2.02
वानिकी तथा वन्य जीव	405.15	291.17	236.73	249.37	277.09	11.12

ब्याज प्राप्तियाँ	157.24	180.44	189.55	232.41	89.77	(–)61.37
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	528.04	496.14	644.69	819.22	785.69	(–)4.09
योग	**5,669.25**	**6,340.42**	**7,703.02**	**7,933.77**	**7,136.95**	**(–)10.04**

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹1,467.70 करोड़ (25.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2016–17 में ₹5,669.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹7,136.95 करोड़ हो गई। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 10.04 प्रतिशत (₹796.82 करोड़) की कमी मुख्य रूप से गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग के तहत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉक की प्राप्तियों में ₹657.24 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों मे ₹142.64 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.3.3.4 केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

वर्ष 2016–21 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छतीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0.00	291.44	5,789.33	5,733.71	6,068.90
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	2,094.36	462.00	0.00	0.00
निगम कर	6,019.53	6,352.98	8,157.09	6,889.42	6,117.65
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,183.59	5,364.62	6,007.35	5,398.34	6,269.51
सीमा शुल्क	2,589.37	2,093.70	1,662.66	1,280.78	1,097.20
संघ उत्पाद शुल्क	2,956.84	2,188.50	1,104.93	890.49	686.04
सेवा कर	3,045.99	2,369.40	217.76	0.00	84.52
अन्य कर	13.84	(–)0.19	57.57	13.10	13.72
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**18,809.16**	**20,754.81**	**23,458.69**	**20,205.84**	**20,337.54**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	19.68	10.34	13.03	(–)13.87	0.65
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का हिस्सा	**35.04**	**34.80**	**36.04**	**31.64**	**32.19**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2016–21 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2016–17 में ₹18,809.16 करोड़ से 8.13 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹20,337.54 करोड़ हो गया। केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की वृद्धि दर जो 2016–19 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक थी, वर्ष 2019–20 के दौरान नकारात्मक हो गई और वर्ष 2020–21 के दौरान एक प्रतिशत से भी कम रही। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय कर हंस्तान्तरण में ₹131.70 करोड़ (0.65 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर (₹871.17 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹335.19 करोड़) के कारण हुई। जबकि, वर्ष 2020–21 के दौरान निगम कर और सीमा शुल्क में क्रमशः ₹771.77 करोड़ और ₹183.58 करोड़ की कमी आई।

2.3.3.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2016–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
आयोजनेत्तर अनुदान	2,013.42	#			
राज्य योजना स्कीम के लिये अनुदानों	7,785.03				
केन्द्र योजना स्कीम के लिये अनुदानों (केन्द्र प्रवर्तित योजना स्कीम सहित)	463.18				
केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदान	#	9,275.76	8,214.77	7,808.24	6,975.55
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		1,460.23	1,679.48	2,044.75	2,286.50
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान		1,921.17	2,611.70	3,758.25	3,547.44
योग	**8,061.59**	**12,657.16**	**12,505.95**	**13,611.24**	**12,812.49**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	27.29	23.34	(–)1.19	8.84	(–)5.87
राजस्व प्राप्तियाँ	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18
राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	19.11	21.22	19.21	21.31	20.28

आंकडे उपलब्ध नहीं क्योंकि आयोजना एवं आयोजनेत्तर नामवली को वर्ष 2017–18 से विलोपित कर केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदानों, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया।

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 20 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹6,975.55 करोड़) कुल अनुदान का 54 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹2,289.50 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 18 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹3547.44 करोड़) में ₹3212.16 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 90.54 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹798.75 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से समग्र शिक्षा योजना (प्राथमिक शिक्षा), प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर सड़क संपर्क परियोजना के लिए कार्यक्रम निधि की प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2020–21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण प्राप्त हुआ जो अन्यथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण होता।

2.3.3.6 पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक प्रदाय	अंतर
	2020–21	**2020–21**	**2020–21**
स्थानीय निकाय			
1 पंचायती राज संस्थानों को अनुदान			
(अ) मूल अनुदान (सहायता अनुदान–सामान्य)	1,454.00	1,454.00	0.00

2. शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान			
(अ) *मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान	214.00	160.50	(–)53.50
(ब) *नॉन मिलियन प्लस* शहरों के लिये अनुदान	486.00	243.00	(–)243.00
स्थानीय निकायों का कुल	**2,154.00**	**1,857.50**	**(–)296.50**
राज्य आपदा राहत निधि	432.00	432.00	0.00
महायोग	**2,586.00**	**2,289.50**	**(–)296.50**

स्रोतः वित्त लेखे 2020–21 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

- मार्च 2021 तक राज्य शासन ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में पंचायती राज संस्थानों (₹1,454.00 करोड़) के लिये संपूर्ण मूल अनुदान प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान *नॉन–मिलियन प्लस* शहरों, *मिलियन प्लस* शहरों और प्राथमिक अनुदान के लिए ₹2,154.00 करोड़ की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरूद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹1,857.50 करोड़ प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में राज्य आपदा राहत निधि (₹432.00 करोड़) के लिये संघ का पूरा हिस्सा प्राप्त किया।

2.3.3.7 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल है जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतो से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका में पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृतियाँ

पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	**2016–17**	**2017–18**	**2018–19**	**2019–20**	**2019–20**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.37	3.32	5.26	4.70	4.85
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	172.99	138.59	162.32	256.78	104.80
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	0.38	1.24	0.56	0.13	(–)0.67
(अ) गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**175.74**	**143.15**	**168.14**	**261.61**	**108.98**
गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)41.37	(–)18.54	17.46	55.59	(–)58.34
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	5,098.40	9,187.89	13,816.66	19,308.36	17,961.37
आंतरिक ऋण का वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.25	80.21	50.38	39.75	(–)6.98
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड में)	381.53	464.55	553.44	279.17	3,620.31
(ब) लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**5,479.93**	**9,652.44**	**14,370.10**	**19,587.53**	**21,581.68**
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	**5,655.67**	**9,795.59**	**14,538.24**	**19,849.14**	**21,690.66**
पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)24.43	76.14	48.88	36.31	10.18
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.42	9.23	10.95	8.26	1.54
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)25.10	73.2	48.42	36.53	9.28

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2016–17 में ₹5,655.67 करोड़ थी जिसमें वर्ष 2020–21 में 283.52 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर ₹21,690.66 करोड़ हो गई। वर्ष 2020–21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में ₹1,841.52

करोड़ (9.28 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि जो ₹13,000 करोड़ के बाजार ऋण (लोक ऋण का 60.23 प्रतिशत) तथा केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत शामिल जीएसटी की कमी के बदले बैक टू बैक ऋण (₹3,109 करोड़) के कारण हुई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का विवरण **तालिका 2.11** में दिए गए है।

तालिका 2.11: कर और करेत्तर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
				बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	31,784.00	26,155.00	22,889.20	(–)12.49	(–)27.99
करेत्तर राजस्व	8,477.00	9,215.00	7,136.95	(–)22.55	15.81
योग	**40,261.00**	**35,370.00**	**30,026.15**	**(–)15.11**	**(–)25.42**

स्रोतः वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन पंद्रहवें वित्त आयोग के अपेक्षाओं को पूरा करने में 25.42 प्रतिशत और अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अपने संसाधनों को जुटाने में 15.11 प्रतिशत कम थी। स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹3,265.80 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में ₹2,775.91 करोड़ कम राज्य जीएसटी संग्रह के कारण थी। इसी प्रकार, करेत्तर राजस्व में ₹2,078.05 करोड़ की बजट अनुमानों के विरुद्ध कमी मुख्य रूप से गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग (₹1,131.51 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।

2.4 संसाधनो का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
कुल व्यय	57,908.26	66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54
राजस्व व्यय	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84
पूँजीगत व्यय	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19
ऋण एवं अग्रिम	273.15	369.83	240.69	56.16	50.51

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	2,62,801	2,82,283	3,18,101	3,44,955	3,50,270
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.04	23.59	23.12	23.80	22.58
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.33	19.92	20.25	21.30	19.99
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.60	3.54	2.80	2.48	2.58
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10	0.13	0.08	0.02	0.01

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2016–17 में राज्य का कुल व्यय ₹57,908.26 करोड़ से 36.61 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹79,107.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2016–20 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाने वाले कुल व्यय में वर्ष 2020–21 के दौरान गिरावट आई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.64 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹3,444.47 करोड़ (4.69 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई। वर्ष 2016–21 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.04 से 23.80 प्रतिशत के मध्य रहा। **चार्ट 2.7** कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.7: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

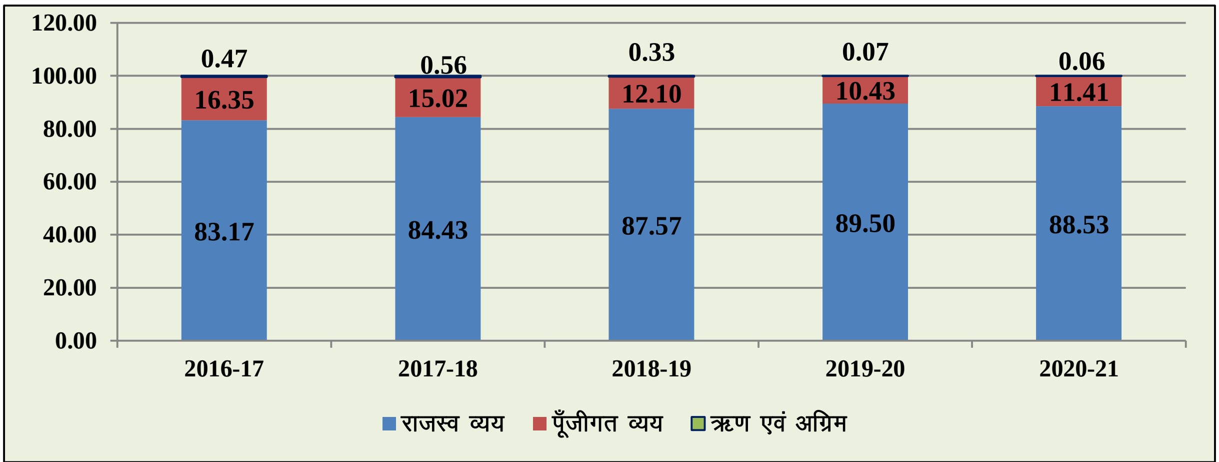

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, पूँजीगत व्यय में 2017–20 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई गई है। हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2019–20 में ₹8,566.39 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹9,024.19 करोड़ हो गया।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (**परिशिष्ट 2.1** देखें) ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और अन्य सहित सामान्य सेवाओं पर किये गये व्यय शामिल है। इन घटकों के सापेक्ष व्यय को **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
सामान्य सेवायें	11,683.77	13,373.74	15,535.80	19,289.82	20,095.21
सामाजिक सेवायें	23,972.80	27,116.57	25,319.17	28,610.12	28,001.32
आर्थिक सेवायें	21,100.70	24,744.50	31,804.93	33,079.55	29,885.69
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	1,150.99	1,365.73	895.41	1,120.37	1,125.32
योग	**57,908.26**	**66,600.54**	**73,555.31**	**82,099.86**	**79,107.54**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹805.39 करोड़ (4.18 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹19,289.82 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹20,095.21 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (₹497.81 करोड़) में सरकारी अंशदान और ब्याज भुगतान (₹663 करोड़) पर व्यय में वृद्धि होना है।
- पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कमी मुख्य रुप से सर्व शिक्षा अभियान (₹516.31 करोड़) और आदिवासी उपयोजना (₹1,065.81 करोड़) पर प्रमुख शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा (₹1,772.81 करोड़) के तहत व्यय में कमी के कारण आई।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में कमी मुख्य रूप से सब्सिडी पर व्यय में ₹4,170.10 करोड़ की कमी के कारण हुई जो कि मुख्य रूप से अल्पावधि कृषि ऋण माफी योजना (₹2,022.25 करोड़), मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹867.44 करोड़), चीनी वितरण योजना (₹222.03 करोड़) के तहत सब्सिडी में कमी के कारण हुई।

चार्ट 2.8: कुल व्यय–गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)

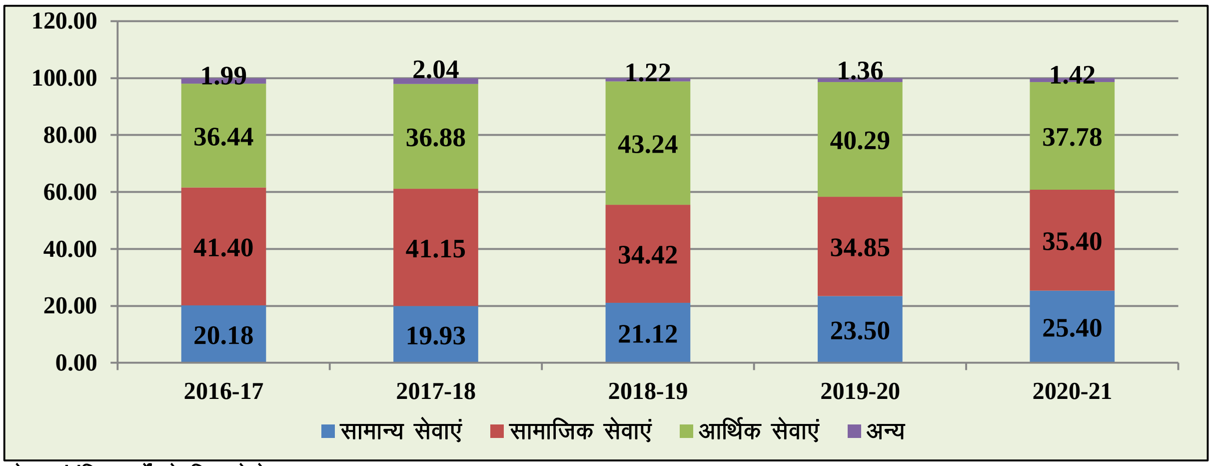

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढ़ाचें और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता हैं। कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख **तालिका 2.14** एवं वर्ष 2020–21 का राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय–मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
कुल व्यय	**57,968.26**	**66,600.55**	**73,555.31**	**82,099.86**	**79,107.54**
राजस्व व्यय	**48,164.60**	**56,229.75**	**64,411.17**	**73,477.31**	**70,032.84**
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.21	16.74	14.55	14.08	(–)4.69
राजस्व व्यय का कल व्यय से प्रतिशत	83.09	84.43	87.57	89.50	88.53
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.32	19.92	20.25	21.30	19.99
राजस्व प्राप्तियों	**53,685.25**	**59,647.07**	**65,094.93**	**63,868.70**	**63,176.18**

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.53	11.11	9.13	(–)1.88	(–)1.08
राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	89.72	94.27	98.95	115.04	110.85
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	0.61	2.26	1.15	1.67	(–)3.05
राजस्व प्राप्तियों से	0.62	1.51	1.59	(–)7.49	4.34

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान कुल व्यय का 83.09 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत तक रहा। राज्य के राजस्व व्यय की वृद्धि दर में 2017–18 से 2020–21 के दौरान घटती प्रवृत्ति दिखाई दी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में राजस्व व्यय मे कमी मुख्य रूप से सब्सिडी में वर्ष 2019–20 में ₹11,483.23 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹7,307.94 करोड की कमी के कारण हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 21.30 वर्ष प्रतिशत से घटकर 19.99 प्रतिशत हो गया। जैसा कि **तालिका 2.1.4** से देखा जा सकता है, राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो वर्ष 2019–20 में 1.67 था, वर्ष 2020–21 में राजस्व व्यय की घटती वृद्धि दर के कारण घटकर (–)3.05 हो गया।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण **चार्ट 2.9** में दिया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)

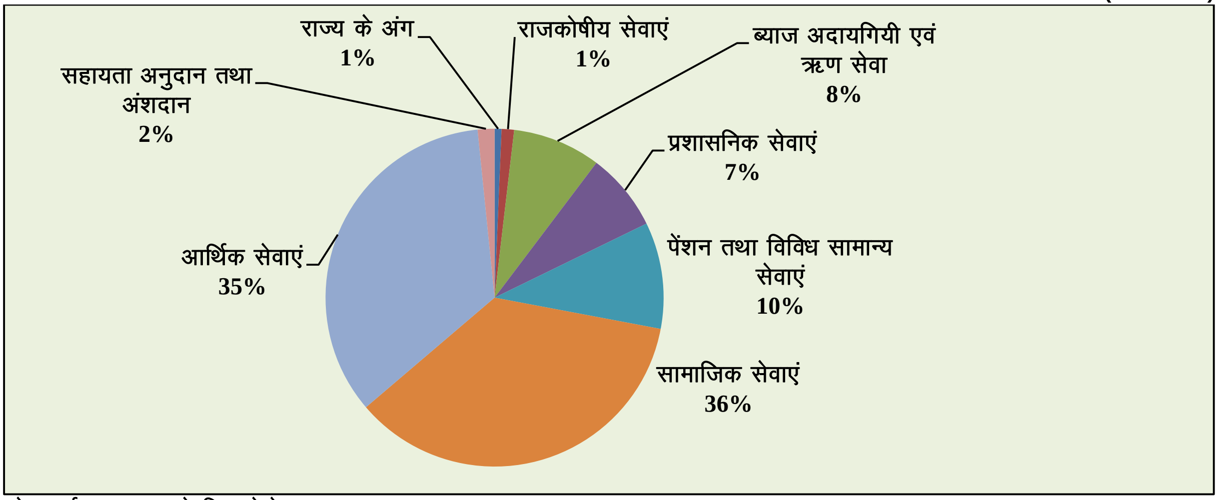

स्रोतः वर्ष 2020–21 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.15 में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019–20	2020–21	अंतर	वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
कमी				
2435–अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम	2,729.30	13.73	(–)2,715.57	(–)99.50
2425–सहकारी	2,430.15	176.33	(–)2,253.82	(–)92.74

2202–सामान्य शिक्षा	15,736.87	13,964.06	(–)1,772.81	(–)11.27
2408–खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह	5,735.40	4,311.02	(–)1,424.38	(–)24.83
2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,875.21	2,453.72	(–)421.49	(–)14.66
2216–गृह निर्माण	674.65	284.29	(–)390.36	(–)57.86
वृद्धि				
2401–फसल एवं कृषि कर्म	2,239.15	7,519.38	5,280.23	235.81
2049–ब्याज भुगतान	4,970.33	5,633.11	662.72	13.33
2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति	6,637.98	7,135.79	497.81	7.50
2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4,049.05	4,924.27	875.22	21.62

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में उल्लेखनीय रूप से गिरावट मुख्य रूप से अल्पावधि कृषि ऋण माफी योजना, लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना, ऋण सहकारी समितियों को सहायता के सब्सिडी में कमी, सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी उप–योजना, खाद्य सब्सिडी, ग्राम पंचायतों को सहायता में व्यय में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, बाजार ऋण पर ब्याज और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हुई थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

तालिका 2.16 वर्ष 2016–21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
वेतन एवं मजदूरी	11,424	13,184	17,808	21,764	22,002
पेंशन पर व्यय	3,487	3,898	5,429	6,638	7,136
ब्याज भुगतान	2,687	3,098	3,653	4,971	5,633
योग	**17,598**	**20,180**	**26,890**	**33,373**	**34,771**
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.28	22.10	27.36	34.08	34.83
पेंशन पर व्यय	6.50	6.54	8.34	10.39	11.30
ब्याज भुगतान	5.01	5.19	5.61	7.78	8.92
योग	**32.78**	**33.83**	**41.31**	**52.25**	**55.05**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.72	23.45	27.65	29.62	31.41
पेंशन पर व्यय	7.24	6.93	8.43	9.03	10.19
ब्याज भुगतान	5.58	5.51	5.67	6.77	8.04
योग	**36.54**	**35.89**	**41.75**	**45.42**	**49.64**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2016–17 में ₹17,598 करोड़ (राजस्व व्यय का 36.54 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹34,771 करोड़ (राजस्व व्यय का 49.64 प्रतिशत) हो गया है। वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान लोक ऋण में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि (109.63 प्रतिशत) हुई है। राज्य का ब्याज और पेंशन भुगतान व्यय पिछले पांच वर्षों के दौरान दोगुना हो गया है।

वर्ष 2016–21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

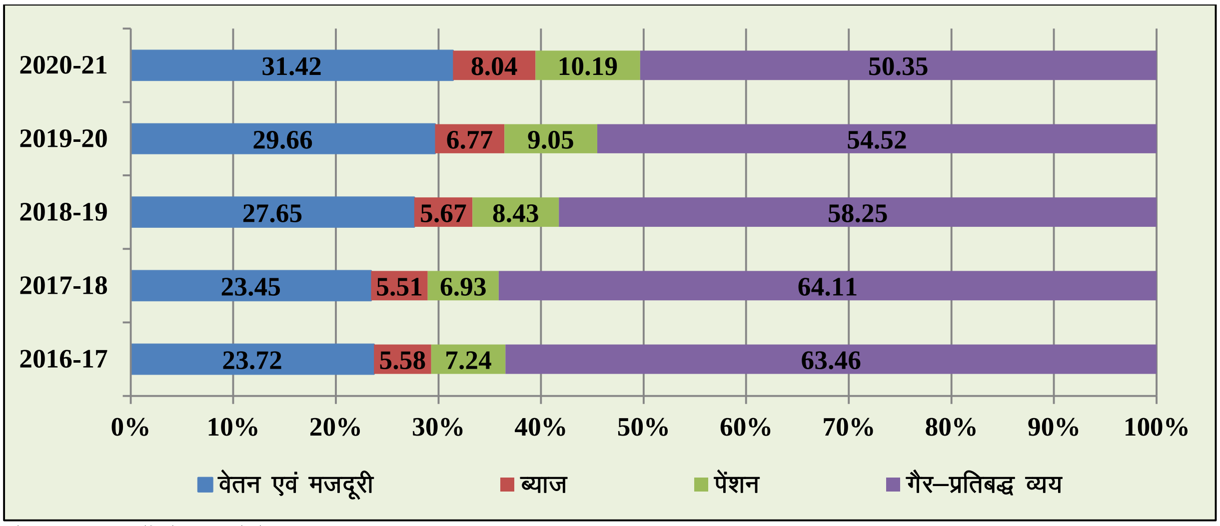

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर **चार्ट 2.10** से देखा जा सकता है, प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2016–17 में कुल राजस्व व्यय का 36.54 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 32.78 प्रतिशत था जो कि बढ़कर कुल राजस्व व्यय का 49.64 प्रतिशत और कुल राजस्व प्राप्तियों का 55.05 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता

वर्ष 2020–21 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹7,135.78 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गये कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) में ₹1,129.00 करोड़ व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए है उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से *नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)*/न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के अंशदान का बकाया राशि के साथ माह मार्च 2016 से कर्मचारियों के अंशदानों के कटौती राशि के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरूआत हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा राशियों–(117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्राप्तियाँ

₹1,139.59[2] करोड़ थी, जिसमें से ₹1,133.25 करोड़ एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि का कम हस्तांतरण अर्थात ₹6.34 करोड़ था, जो कि लोक लेखा में रखा गया था। इसके अलावा, कर्मचारी के ₹1,133.84 करोड़ के अंशदान के प्रति राज्य सरकार ने केवल ₹1,129.00 करोड़ का अंशदान किया। पेंशन योजना के परिभाषित अंशदान में ₹4.84 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

31 मार्च 2021 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक ₹32.17 करोड़ का हस्तांतरण लंबित रहते हुए लोक लेखों में पड़ी रही। ₹4.84 करोड़ के कम अंशदान और ₹32.17 करोड़ के गैर–हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप राज्य शासन को ₹37.01 करोड़ की परिहार्य देयता का अनावश्यक सृजन हुआ और उस सीमा तक कर्मचारियों के देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई।

इसके अलावा, सरकार ब्याज वाली जमाराशियों के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य शासन पर 1 अप्रैल 2021 तक ₹25.83 करोड़ के अहस्तांतरित शेष राशि पर ₹1.83[3] करोड़ के ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, जिसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹7,307.94 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2016–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2016–21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	4,189.14	5,004.69	8,323.01	11,483.23	7,307.94
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	7.80	8.39	12.79	17.98	11.57
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	8.70	8.90	12.92	15.63	10.44

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2016–17 में ₹4,189.14 करोड़ से ₹7,294.09 करोड़ (174.12 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹11,483.23 करोड़ हो गया। हालांकि, वर्ष 2020–21 के दौरान घटकर ₹7,307.94 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹4,175.29 करोड़ (36.36 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना (₹2,022.25 करोड़), मुख्य मंत्री खाद्य सहायता योजना (₹867.44 करोड़), लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना (₹694.57 करोड़), और चीनी वितरण योजना (₹222.03 करोड़) की सब्सिडी में कमी के कारण हुई।

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षो के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 2.18** में प्रस्तुत की गई है।

---

[2] ₹1,133.84 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹5.75 करोड़ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी और नियोक्ता योगदान से संबंधित है, जिसमें से ₹1,130.76 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹2.49 करोड़ कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से संबंधित है जो 2020–21 के दौरान एनएसडीएल में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है।

[3] सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज दर के अनुसार

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिका	3,234.45	3,425.75	2,778.73	3,138.94	3,554.17
पंचायती राज संस्थान	8,899.54	10,899.36	6,905.17	6,006.83	4,421.79
योग (अ)	**12,133.99**	**14,325.11**	**9,683.90**	**9,145.77**	**7,975.96**
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	218.9	235.45	170.44	273.67	204.97
विकास प्राधिकरण	262.27	287.03	271.41	235.06	229.93
सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	7,057.47	10,155.72	13,255.70	10,499.70	12,555.37
योग (ब)	**7,538.64**	**10,638.20**	**13,697.55**	**11,008.43**	**12,990.27**
योग (अ+ब)	**19,672.63**	**24,963.31**	**23,381.45**	**20,154.20**	**20,966.23**
राजस्व व्यय	**48,164.60**	**56,229.75**	**64,411.17**	**73,477.31**	**70,032.84**
राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	40.84	44.40	36.30	27.43	29.94

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2016–21 के दौरान पूँजीगत व्यय का विवरण का **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राज्य पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

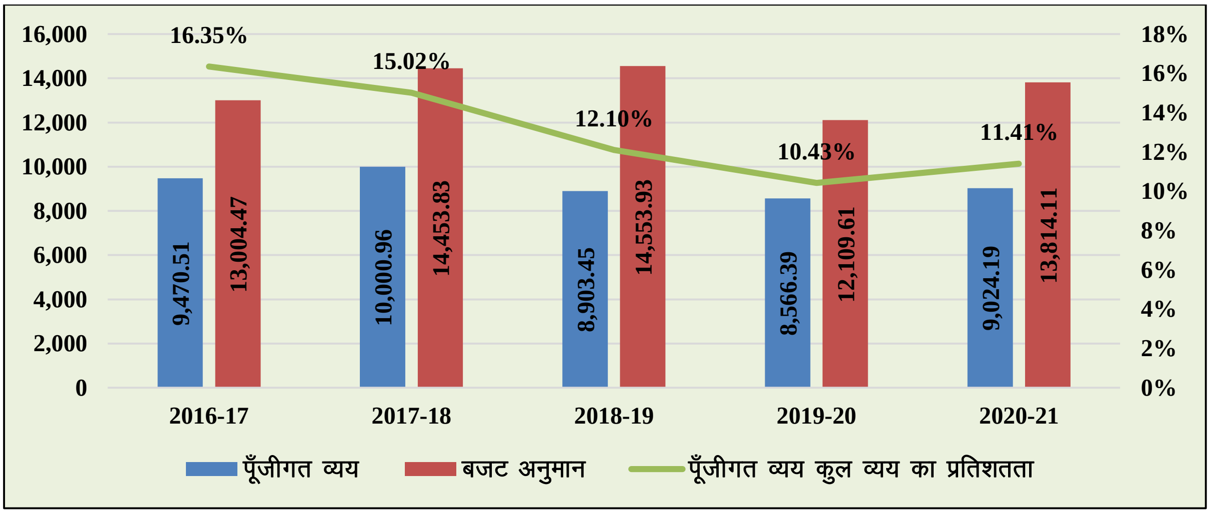

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत (₹457.80 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से *जल जीवन मिशन योजना* और *जवाहर सेतु योजना* में व्यय में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (₹9,024.19 करोड़) का 37 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹3,351.28 करोड़) पर और उसके बाद 10 प्रतिशत जलापूर्ति और स्वच्छता (₹907.93 करोड़) पर खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.19 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षो में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामलो पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.19: वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019–20	2020–21	अंतर	वृद्धि (+)/कमी(–) का प्रतिशत
वृद्धि				
4215–जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	375.18	907.93	532.75	142.00
4059–लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	148.85	400.11	251.26	168.80
4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	361.82	511.71	149.89	41.43
4202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	315.32	415.91	100.59	31.90
4225– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	230.46	358.30	127.84	55.47
कमी				
5054–सड़क एवं पूल पर पूँजीगत परिव्यय	3,928.86	3,351.28	(–)577.58	(–)14.70
5275– अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	250.00	70.00	(–)180.00	(–)72.00
4515– अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	505.19	350.57	(–)154.62	(–)30.61

स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2019–20 एवं 2020–21

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जलापूर्ति एवं स्वच्छता एवं लोक निर्माण पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से *जल जीवन मिशन, जवाहर सेतु योजना,* अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि के अंतर्गत निर्माण, राजभवन के निर्माण आदि के व्यय मे वृद्धि के कारण हुई है।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2021 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.4.3.2.1 कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कम्पनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे मे चल रहे है या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों (जैसे डिस्कोम), निगमों (जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम) और सहकारी समितियों (जैसे शक्कर कारखाना) को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे है और जिनकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे अर्थात, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, निवेश पर प्रतिफल की दर, निवल संपति का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल आदि रिपोर्ट के **अध्याय 5** में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.4.3.2.2 निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा वर्ष 2020–21 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 22 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2021 तक ₹7,261.30 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान इन निवेशों पर ₹2.29 करोड़ की वापसी अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.20: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	35.90(02)	37.82(02)	86.92(10)	87.88(10)	88.34(10)
सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,459.45(13)	6,459.45(13)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,683.34(28)
संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	57.60(04)	144.80(05)	145.21(22)	145.21(22)	145.21(22)
ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	24.31(01)	25.15(01)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय (ईकाइयों की संख्या)	201.34(1523)	199.15(1523)	327.42(1523)	324.21(1460)	319.26(1460)
कुल निवेश	**6,778.60**	**6,866.37**	**7,268.05**	**7,265.79**	**7,261.30**
वर्ष के अन्त में निवेश	6,778.60	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30
निवेश पर प्रतिफल	0.55	4.80	1.49	2.39	2.29
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.01	0.07	0.02	0.03	0.03
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.62	6.38	6.10	6.83	6.57
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.61	6.31	6.08	6.80	6.54
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	448.07	433.27	442.15	493.86	474.89
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं					

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान निवेश पर प्रतिफल 2.29 करोड़ (0.03 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.57 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

2.4.3.2.3 राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानो/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। **तालिका 2.21** 31 मार्च 2021 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ ब्याज प्राप्तियों के विरूद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.21: वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरीत एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,273.96	941.98	1,519.63	1,597.75	1,397.08
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	272.71	368.76	240.44	56.11	50.50
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	172.99	138.59	162.32	256.78	104.80
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	**1,373.69**	**1,172.16**	**1,597.75**	**1,397.08**	**1,342.78**
निवल वृद्धि	99.72	230.17	78.12	(–)200.67	(–)54.30
ब्याज प्राप्तियाँ	30.19	27.61	28.32	1.67	6.88
शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्याज दर	2.28	2.36	1.77	0.12	0.51
शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर	6.62	6.38	6.10	6.83	6.57
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत)	(–)4.34	(–)4.02	(–)4.33	(–)6.71	(–)6.06

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिए गए ऋण के संवितरण में कमी थी। मार्च 2021 के अंत में शासन के पास ₹1,342.78 करोड़ के बकाया ऋण और अग्रिम थे, जिसमें से ₹286.02 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं, ₹381.93 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹392.52 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को ऋण और अग्रिम का भुगतान किया गया, जिनके विरूद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.22: वर्ष 2020–21 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2020 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	कुल बकाया राशि
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2017–18	82.00	13.00	0.00	95.00
भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2016–17	74.00	13.00	10.00	77.00
महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2010–11	89.67	24.00	10.00	103.67

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरूद्ध

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरूद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार लिया गया धन ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

31 मार्च 2021 को या उससे पहले ₹10 करोड़ और उससे अधिक की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.23** में दिया गया है।

तालिका 2.23: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें				31 मार्च 2021 को 149 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			51 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत जिसे संशोधित किया गया		51 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 51 अपूर्ण परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत	
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	15	516.68	02	151.60	551.20	399.60	586.89
जल संसाधन	134	3,927.48	49	1,766.61	3,670.42	1,903.81	4,883.49
योग	**149**	**4,444.16**	**51**	**1,918.21**	**4,221.62**	**2,303.41**	**5,470.38**

स्रोतः वित्त लेखे 2020–21

परियोजना के कामों को पूरा करने में विलंब से लागत में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि राज्य शासन ने 98 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए राज्य द्वारा व्यय किए जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.24 में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई / टीई	ईएसई / टीई	डीई / टीई	सीई / टीई	शिक्षा / टीई	स्वास्थ्य / टीई
औसत (अनुपात) 2016–17							
सामान्य श्रेणी राज्य#	17.12	35.81	35.16	70.97	19.77	14.93	5.49
छत्तीसगढ़	22.03	41.40	36.44	77.84	16.83	19.89	5.69
औसत (अनुपात) 2020–21							
सामान्य श्रेणी राज्य#	16.18	37.81	28.48	66.29	13.03	15.00	6.74
छत्तीसगढ़	22.58	35.40	37.78	73.18	11.47	18.39	7.19

टीईः कुल व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई–विकास व्यय, सीईः पूँजीगत व्यय, ईएसईः आर्थीक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य

स्रोत : आर्थिक सलाहाकार से प्राप्त आंकड़े

जबकि वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य शासन द्वारा सामान्य रूप से पूँजीगत व्यय को आबंटित प्राथमिकता सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम रही है, सामाजिक व्यय और विकास व्यय पर परिव्यय के मामले मे, विशेष

रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर, राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से बेहत्तर प्रदर्शन किया। सामाजिक व्यय पर, परिव्यय को छोडकर, सामान्य श्रेणी के राज्यों की प्रासंगित अनुपात वर्ष 2020–21 में भी उसी प्रवृत्ति में जारी रहा, जिसमे सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ में कमी देखी गई है ।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष तक के लेन–देन को दर्शाते हैं। इसलिए उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे **तालिका 2.25** में दी गई है।

तालिका 2.25: बजट आंबटन के विरूद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
14–सहायता अनुदान	28,574.16	20,975.25	73.41
01–वेतन एवं भत्ते	24,881.01	20,742.54	83.37
13–वित्तीय सहायता	8,078.20	7,307.93	90.46
12–पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	6,681.33	7,114.99	106.49
97–निर्माण कार्य	5,767.38	3,283.79	56.94
35–ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	6,616.78	5,853.90	88.47
26–वृहद निर्माण कार्य	5,059.94	3,260.61	64.44
45–पूँजीगत परि–संपत्तियों का निर्माण	2,922.19	1,837.67	62.89
25–सामग्री और पूर्तियाँ	3,551.87	2,800.51	78.85
37–अंतः लेखा अन्तरण	2,165.32	1,344.34	62.09
योग	**94,298.18**	**74,521.53**	**79.03**

स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2020–21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 10 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹94,298.18 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2020–21 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹74,521.53 करोड़ (79.03 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन–देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 शुद्ध लोक लेखा

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। मार्च 2021 के समाप्त तक राज्य के लोक लेखे में घटक–वार शुद्ध शेष नीचे दी गई **तालिका 2.26** में दिए गए हैं।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखे अंतर्गत घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
ज्ञ–अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखें	426.96	640.61	754.51	785.26	403.73
त्र–आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	323.40	(–)517.65	197.87	701.07	(–)813.13
	(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	316.40	39.72	(–)33.08	5,155.13	296.75
ट–जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	(–)1.74	(–)21.02	(–)6.79	(–)5.62	(–)4.13
	(ख) बिना ब्याज वाली जमा	552.40	141.79	(–)224.60	(–)518.43	505.95
	(ग) अग्रिमों	0.02	0.18	0.00	(–)0.09	0.00
ठ–उचंत तथा विविध	(क) उचंत	37.53	(–)72.83	(–)21.28	(–)6.30	(–)9.58
	(ख) अन्य लेखे	(–)159.01	22.10	1.70	(–)0.96	(–)2.75
	(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड–प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	67.54	54.39	(–)126.73	93.41	(–)36.49
	(ख) अंर्त–सरकार समायोजन लेखे	(–)18.40	16.53	4.30	(–)12.62	(–)14.59
योग		**1,545.10**	**303.82**	**545.90**	**6,190.85**	**325.76**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखे में घटकवार निवल शेष वर्ष 2016–17 में ₹1,545.10 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 में ₹325.76 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में 2020–21 में लोक लेखे में निवल राशि ₹5,865.10 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बिना ब्याज आरक्षित निधि में ₹5,184.58 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.5.2 आरक्षित निधि

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्ष 2000–2001 (राज्य के गठन से) से 17 आरक्षित निधि रख गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2021 की स्थिति मे 14 निधि संचालित थीं और तीन निधि असंचालित थी। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत में कुल संचित शेष राशि ₹9,180.67 करोड़ थी (संचालित निधि में ₹9,180.57 करोड़ और असंचालित निधि में ₹0.10 करोड़), जिसमें से ₹7,181.07 करोड़ (78.22 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए आरक्षित निधि, *"ग्रामीण विकास निधि"* का गठन 2001–02 में किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹23.02 करोड़ निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31 मार्च 2021 तक निधि का संचयी ₹288.68 करोड़ था लेकिन इसकी स्थापना के बाद से इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण और संवितरण, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से समेकित निधि के तहत उपयुक्त राजस्व और व्यय शीर्षों से प्रभावित होते हैं। ये वास्तविक नकदी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व केवल तभी करते हैं जब वे रिजर्व बैंक डिपॉजिट को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं।

चूंकि कोई वास्तविक नकदी बहिर्वाह नहीं था, इसलिए आरक्षित निधि के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दर्शाए गए ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं, जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन में अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हैं।

2.5.3 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरूआत मे बकाया देनदारियो का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान निधि मे स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹393.56 करोड़ (31 मार्च 2020 तक ₹78,712.46 करोड़ का बकाया देयता का 0.50 प्रतिशत) संचित निक्षेप निधि में हस्तांतरित करना था, जिसके विरूद्ध केवल ₹275.00 करोड़ (वर्ष की शुरूआत में ₹78,712.46 करोड़ का बकाया देयता का 0.35 प्रतिशत) स्थानांतरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹118.56 करोड़ का कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2021 तक निधि में ₹2,586.94 करोड़ की राशि पड़ी थी और कुल राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.4 राज्य आपदा राहत निधि

राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से की पूरी राशि और संबंधित राज्य के हिस्से को फंड में स्थानांतरित करना था। 01 अप्रैल 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹491.88 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹345.60 करोड़ और ₹115.20 करोड़ का संबंधित राज्य का हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसे निधि में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन राज्य शासन ने केवल ₹230.40 करोड़ को निधि में स्थानांतरित किया (केंद्रीय हिस्सा – ₹172.80 करोड़ और राज्य का हिस्सा – ₹57.60 करोड़), जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम बताया गया। इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान निधि में ₹89.00 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त केंद्रीय हिस्सा का ₹66.75 करोड़ और ₹22.25 करोड़ संबंधित राज्य का हिस्सा) भी हस्तांतरित किया। राज्य शासन ने वर्ष के दौरान निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर भी ₹717.50 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹103.11[4] करोड़ का अंतिम शेष था।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय–आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिम को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य शासन को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रीय अंश के रूप में ₹86.40 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य शासन को ₹115.20 करोड़ एसडीएमएफ (₹86.40 करोड़ केंद्रीय हिस्से के साथ–साथ ₹28.80 करोड़ राज्य हिस्सा) को हस्तांतरित करना पड़ा। हालांकि, राज्य शासन ने केवल ₹57.60 करोड़ (₹43.20 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा एवं ₹14.40 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। 31 मार्च 2021 तक राज्य आपदा शमन निधि के पास ₹57.60 करोड़ का अंतिम शेष था, जिसमें से ₹57.14

[4] जिसमें ₹9.33 करोड़ का ट्रेजरी जमा शामिल है

करोड़ 91 दिन के ट्रेजरी बिल में निवेश किए गए हैं।

राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.27** में दिया गया है।

तालिका 2.27: राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2020–21 के दौरान व्यय
2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01– सूखा		
101	अनुग्राहिक राहत	5.95
282	लोक स्वास्थ्य	32.74
02– बाढ़ चक्रवात आदि		
101	अनुग्रहिक राहत	18.33
106	क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना	0.96
110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु सहायता	0.11
111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	15.89
112	जनसंख्या का निष्क्रमण	22.87
113	मकानो के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	28.84
114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानो को सहायता	7.45
116	कृषको को क्षतिग्रस्त टयूब वैल एवं पम्पसेंट की मरम्मत हेतु सहायता	0.01
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.81
80–सामान्य		
101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.04
102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	60.19
800	अन्य व्यय	517.30
कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय		**717.49**
05–आपदा राहत निधि		
901	घटाएं–राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	**(–)717.50**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.5 प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष की शुरूआत में बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था। तदनुसार, राज्य शासन को वर्ष 2020–21 में प्रत्याभूति मोचन निधि बनाने और निधि में ₹99.18 करोड़ हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के विपरीत राज्य शासन ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अधिकतम गारंटी ''मध्यम और कम'' जोखिम का था और राज्य के गठन के बाद राज्य शासन को दायित्व/भार स्थानांतरित करने के लिए किसी भी संस्था ने स्वीकृत गारंटियों के प्रति ऋण की चुकौती में चूक नहीं की थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, कर्ज की अदायगी, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और पांच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान राज्य को उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा का विवरण **तालिका 2.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
बकाया समग्र ऋण		44,258.28	52,907.08	66,749.51	78,712.46	92,714.22
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	28,330.29	36,690.44	49,553.83	60,382.67	70,538.81
	भारत सरकार से ऋण	2,047.16	2,339.57	2,700.39	2,764.05	6,169.30
लोक लेखे की देयतायें		13,880.83	13,877.07	14,495.29	15,565.74	16,006.11
समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (डी) (प्रतिशत)		17.27	19.54	26.16	17.92	17.79
सकल राज्य घरेलू उत्पाद		2,62,801	2,82,283	3,18,101	3,44,955	3,50,270
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (जी) (प्रतिशत)		16.72	7.41	12.69	8.44	1.54
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		16.84	18.74	20.98	22.82	25.58[5]
कुल प्राप्त ऋण[6]		**11,803.64**	**15,851.32**	**20,736.52**	**31,921.72**	**33,423.87**
कुल ऋण का पुनर्भुगतान		**6,113.92**	**7,202.52**	**6,923.87**	**19,958.77**	**19,422.11**
कुल उपलब्ध ऋण		**5,689.72**	**8,648.80**	**13,812.65**	**11,962.95**	**14,001.76**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है। बैक टू बैक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹89,605.22 करोड़ होगा। वर्ष 2020–21 के दौरान, ऋण अदायगी में मामूली कमी आई और कुल ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,502.15 करोड़ (4.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी पाँच वर्षों में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी, हालांकि, अंतर (डी–जी) वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतम (16.25 प्रतिशत) था।

ऋण का घटक–वार विवरण नीचे **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

[5] कुल बकाया ऋण (₹92,714.22 करोड़) से बैक टू बैक ऋण (₹3,109 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹89,605.22 पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना करोड़ की गई है।

[6] लोक लेखा दायित्व सहित

चार्ट 2.12: वर्ष 2020–21 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

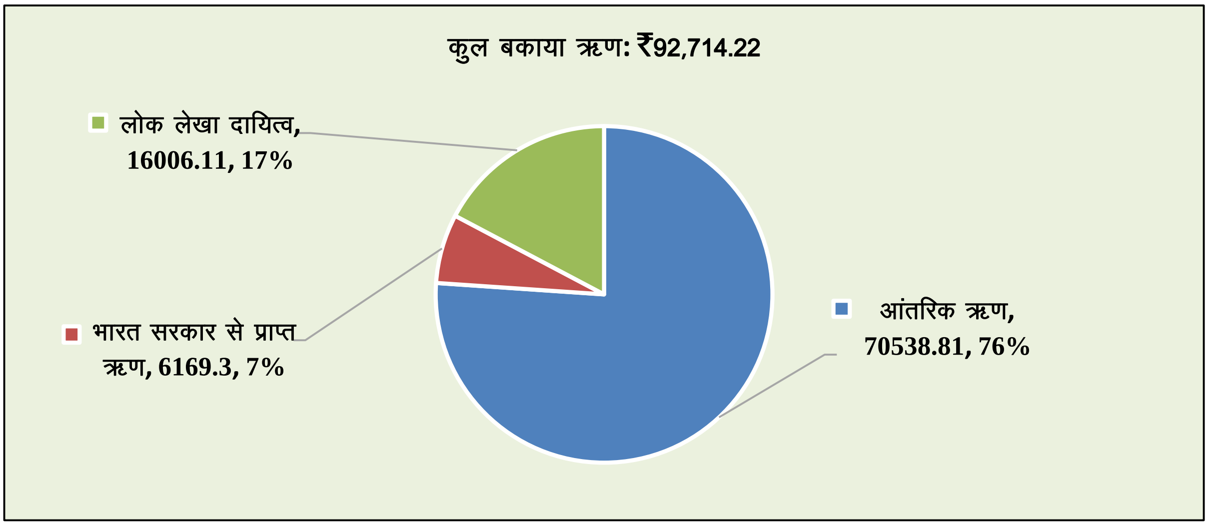

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2020–21

आंतरिक ऋण (₹70,538.81 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 76 प्रतिशत था।

चार्ट 2.13 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.13: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

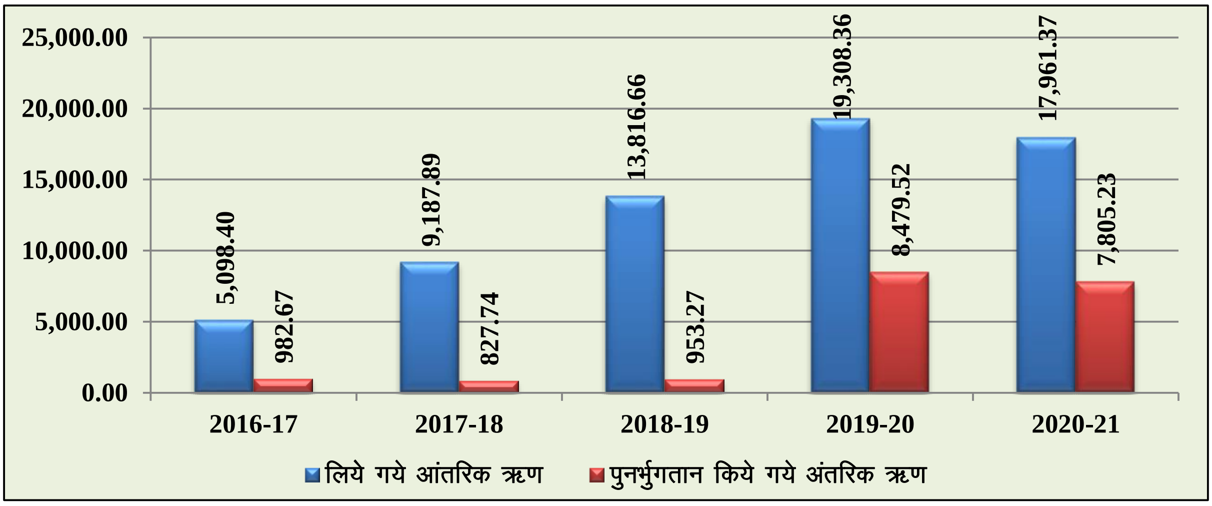

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016–21 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियां वर्ष 2016–17 में ₹5098.40 करोड़ से 252 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020–21 में ₹17,961.37 करोड़ हो गईं। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान अपनी आंतरिक ऋण प्राप्तियों का 43.45 प्रतिशत पिछले आंतरिक ऋण की अदायगी में उपयोग किया, परिणामस्वरूप केवल 56.55 प्रतिशत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2019–20 में सबसे कम (56.08 प्रतिशत) और वर्ष 2018–19 में सबसे ज्यादा (93.1 प्रतिशत) थी।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना **तालिका 2.29** में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–.20	2020–.21
राजकोषीय घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य(+)	5,520.65	3,417.32	683.76	(–)9,608.61	(–)6,856.66
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(–)9,468.14	(–)9,997.64	(–)8,898.19	(–)8,561.69	(–)9,019.34
शुद्ध ऋण तथा आग्रिम	(–)99.78	(–)230.00	(–)77.80	200.75	53.62
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**(–)4,047.27**	**(–)6,810.32**	**(–)8,292.23**	**(–)17,969.55**	**(–)15,822.38**
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप					
बजार से लिए गए उधार	3,897.68	8,100.00	12,899.99	10,980.00	10,500.00
भारत सरकार से ऋण	211.57	292.41	360.82	63.66	3,405.25
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(–)420.53	(–)431.13	(–)443.74	(–)455.88	(–)455.88
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	638.58	691.28	407.14	304.72	112.02
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	426.96	640.61	754.51	785.26	403.73
जमा तथा अग्रिम	550.68	120.95	(–)231.39	(–)524.14	501.82
उचंत तथा विविध	(–)629.98	(–)1,611.16	(–)5,709.95	4,505.27	1,845.02
प्रेषण	49.14	70.92	(–)122.43	80.79	(–)51.08
अन्य	639.80	(–)765.14	60.40	814.16	(–)465.18
योग	**5,363.90**	**7,108.74**	**7,975.35**	**16,553.84**	**15,795.70**
कुल आधिक्य (+)/घाटा(–)	1,316.63	298.42	(–) 316.88	(–)1,415.71	(–)26.68
योग	**4,047.27**	**6,810.32**	**8,292.23**	**17,969.55**	**15,822.38**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा उठाए गए बाजार ऋण ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से का वित्तपोषण जारी रखा और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 66.36 प्रतिशत रही।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण **तालिका 2.30** में दिखाया गया है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	13,000.00	2,500,00	10,500.00
2	भारत सरकार से ऋण	3,620.31	215.06	3,405.25
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.88	(–)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	934.85	822.83	112.02
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,690.60	1,286.87	403.73
6	जमा तथा अग्रिम	4,094.42	3,592.60	501.82
7	उचंत तथा विविध	1,39,629.30	1,37,784.28	1,845.02

8	प्रेषण	8,570.63	8,621.71	(–)51.08
9	आरक्षित निधि	6,057.17	6,522.35	(–)465.18
10	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
11	कुल घाटा	1,77,597.28	1,61,801.58	15,795.70
12	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0.00	26.68	(–)26.68
13	सकल राजकोषीय घाटा	1,77,597.28	1,61,774.90	15,822.38

स्रोतः वित्त लेखे

2.6.3 ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई **तालिका 2.31** और **चार्ट 2.14** राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.31: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
0 से 1	4,417.92	280.30	4,698.22	6.38
1 से 3	12,857.36	588.33	13,445.69	18.27
3 से 5	19,404.71	350.11	19,754.82	26.84
5 से 7	21,608.93	314.78	21,923.71	29.79
7 और उससे अधिक	12,053.29	1,239.54	13,292.83	18.06
अन्य[7]	196.60	287.24	483.84	0.66
योग	**70,538.81**	**3,060.30**	**73,599.11**	**100.00**

स्रोतः वित्त लेखे 2020–21

चार्ट 2.14: ऋण परिपक्वता का रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

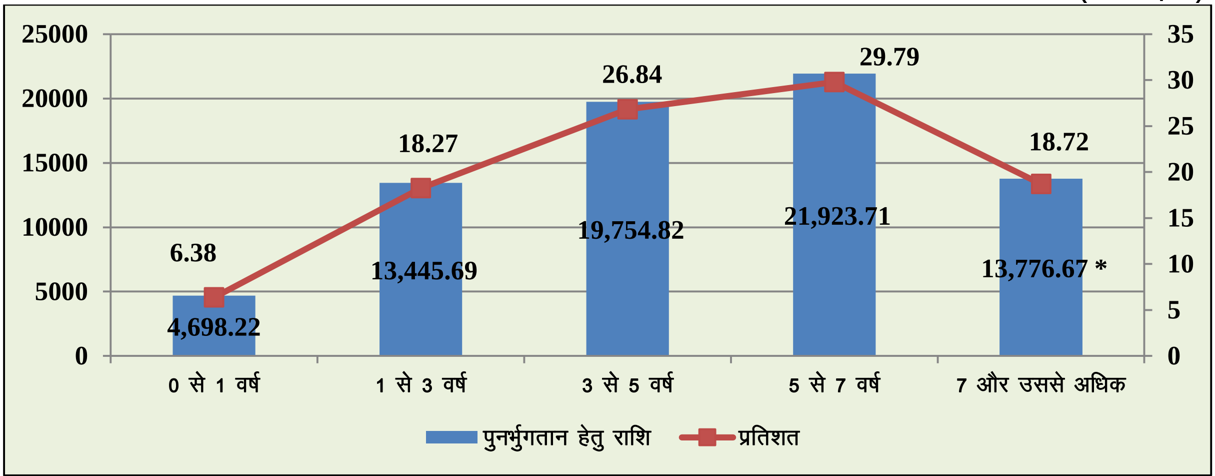

स्रोतः वित्त लेखे 2020–21 ***में** अन्य (₹483.84 करोड़) शामिल हैं जिसके लिए परिपक्वता वर्ष उपलब्ध नहीं है।

31 मार्च 2021 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 81.25 प्रतिशत भुगतान करना है।

[7] परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

राजकोषीय देनदारियों को स्थिर माना जाता है यदि राज्य शासन निकट भविष्य के लिए इन देनदारियों के भंडार की अदायगी करने में सक्षम है और ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अप्रबंध्य अनुपातों तक नहीं बढ़ता है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के दौरान, वर्ष 2020–21 को छोड़कर, ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और ब्याज भुगतान का बोझ वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से अधिक होता रहा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

2.7.1 राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण स्थिरता को परिभाषित किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य शासन के लिए राजकोषीय समेकन के लिए सिफारिश की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमाएं प्रदान कीं।

पंद्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों के विरूद्ध ऋण स्टॉक की स्थिति **तालिका 2.32** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.32: ऋण स्थिरता का विश्लेषण

वर्ष	राजकोषीय घाटा सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद		ऋण स्टॉक सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	(प्रतिशत में)			
	14वें/15वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें/15वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि
2016–17	3.50	1.54	15.50	16.84
2017–18	3.50	2.41	17.05	18.74
2018–19	3.50	2.61	18.40	20.98
2019–20	5.00	5.21	19.58	22.82
2020–21	5.00	4.53	28.10	25.58

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 14वें/15वें वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन वर्ष 2016–21 के दौरान वित्तीय घाटे को वित्त आयोग के लक्ष्यों से कम रखने में सक्षम थी, केवल वर्ष 2019–20 को छोड़कर, जहां यह लक्ष्य से काफी अधिक था। ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी वर्ष 2016–20 के दौरान हासिल नहीं किया गया, हालांकि, इसे वर्ष 2020–21 के दौरान हासिल किया गया था।

ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (25.58 प्रतिशत) की गणना जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर, ₹89,605.22 करोड़ के कुल बकाया ऋण पर की गई है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय/स्थिर नहीं है। **तालिका 2.33** उधार ली गई निधियों के उपयोग और उपयोग की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

तालिका 2.33: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क.सं	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	कुल उधारियाँ[8]	11,803.64	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87
2	पूर्व उधारियों का पूनर्भुगतान (मूलधन)	6,113.92	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	5,689.72	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76
4	निवल पूँजीगत व्यय	(–)9,468.14	(–)9,997.64	(–)8,898.19	(–)8,561.69	(–)9,019.34
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(–)99.78	(–)230	(–)77.80	200.75	53.62
6	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	निरंक	निरंक	3,602.01	5,036.04
7	रोकड़ शेष	निरंक	निरंक	4,836.66	निरंक	निरंक

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि उधार ली गई धनराशि का 58 प्रतिशत पहले के उधारों के पुर्नभुगतान के लिए उपयोग किया गया था और केवल 27 प्रतिशत का उपयोग वर्ष 2020–21 के दौरान पूँजीगत व्यय के लिए किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान उधार से राजस्व व्यय का वित्त पोषण ₹3,602.01 करोड़ (11.28 प्रतिशत) से बढ़कर ₹5,036.04 करोड़ (15.06 प्रतिशत) हो गया, जिससे ऋण और ब्याज देनदारियों के स्टॉक का निर्माण हुआ और शासन को अंततः पूँजीगत व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। अतः भविष्य के ऋण भुगतानों के बारे में अधिक जागरूकता के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करे कि जिन वर्षों में अधिकतम पुर्नभुगतान देय है, उन वर्षों में नए उधारों से ही भुगतान न करना पड़े।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां है जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत विधायिका द्वारा तैयार किया गया छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गारंटी नियम 2003 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में कुल बकाया गारंटी पिछले वर्ष में राज्य राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसा कि महालेखाकार की पुस्तक में है। राज्य शासन द्वारा पिछले पाँच वर्षों मे गारंटी के लिए दिये गये अधिकतम राशि और बकाया गारंटी **तालिका 2.34** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.34: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
गारंटी की अधिकतम राशि	12,641.13	6,549.89	19,573.79	27,994.79	26,694.79
गारंटी की बकाया राशि	3,982.97	3,881.92	10,769.42	18,459.36	19,836.13

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक राज्य शासन ने विभिन्न संस्थाओं को ₹18,469.42 करोड़ के ऋण की गारंटी दी। वर्ष 2020–21 के दौरान, पुनः ₹3,260.78 करोड़ राशि की और गारंटी दी। वर्ष के दौरान ₹1,894.07 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिससे मार्च 2021 के अंत में ₹19,836.13 करोड़ की गारंटी बकाया थी। गारंटी की बकाया राशि, राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों (₹63,176.18 करोड़) का 31.39 प्रतिशत थी। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹76.58 करोड़ की प्राप्त गारंटी शुल्क के विरूद्ध ₹74.58 करोड़ प्राप्त हुए तथा

[8] लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

अटल नगर विकास प्राधिकरण को दी गई गारंटी के लिये गारंटी शुल्क (₹2.00 करोड़) प्राप्त नहीं हुई।

2.7.4 रोकड़ शेष की प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता हैं।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है।

तालिका 2.35 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा नकद शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.35: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2020 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	**31 मार्च 2021 की स्थिति में अंतिम शेष**
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
रिजर्व बैंक में जमा	(–)1,094.99	(–)1,121.67
अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
योग	**(–)1,094.99**	**(–)1,121.67**
"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	5,246.81	3,389.68
योग (अ)	**4,151.82**	**2,268.01**
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12,17	11.95
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,232.27	7,181.07
योग (ब)	**7,244.78**	**7,193.36**
योग (अ) तथा (ब)	**11,396.60**	**9,461.37**
अर्जित ब्याज	**196.10**	**29.66**

स्रोत : वित्त लेखे 2020–21

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में वर्ष 2019–20 में ₹11,396.23 से वर्ष 2020–21 में ₹9,461.37 करोड़ होने पर ₹1,935.23 करोड़ की कमी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹0.72 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान किसी भी तरह से अर्थोपाय अग्रिम का लाभ नहीं उठाया है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹4,026.52 करोड़ रुपये की विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया और वर्ष 2020–21 के दौरान इस संबंध में ₹1.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

पाँच वर्ष की अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश **तालिका 2.36** में नीचे

दर्शाया गया है।

तालिका 2.36: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रोकड़ शेष निवेश				लिया गया बाजार ऋण	अंतिम रोकड़ शेष
	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज		
2016–17	1,856.17	2,512.00	655.83	126.78	4,200.00	4,658.85
2017–18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20	8,100.00	6,804.91
2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33	12,899.99	12,277.88
2019–20	9,759.02	5,246.81	(–)4,512.21	196.10	11,680.00	11,396.60
2020–21	5,246.81	3,389.68	(–)1,857.13	29.66	13,000.00	9,461.37

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अंतिम रोकड़ शेष की स्थिति वर्ष 2016–19 के दौरान ₹4,658.85 करोड़ से ₹12,277.88 करोड़ की बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करती है और मार्च 2021 तक यह घटकर ₹9,461.37 करोड़ हो गई। अधिशेष रोकड़ शेष भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया था।

निवेश खाते में ₹3,389.68 करोड़ का अधिशेष नकद राशि मुख्य रूप से मार्च 2021 के महीने में ₹2,000 करोड़ के बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण था। बड़े रोकड़ शेष का निर्माण राज्य शासन के लिए ब्याज लागत के बोझ को बढ़ाता है। राज्य शासन इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ शेष का उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.08 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेत्तर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी आई और बजटीय अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 52 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल व्यय में गिरावट आई है।

वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 मे ऋण पुनर्भुगतान मे कमी हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹92,714.22 करोड़ था जिसमें ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल था। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹5,036.04 करोड़ की उधार राशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया था। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय नहीं है और यह संपत्ति के निर्माण को प्रभावित करेगा।

2.9 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को वित्त आयोग और राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनरूप अपने वित्तीय मापदण्डों में सुधार के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विभिन्न उपायों का पता लगाना चाहिए।

ii. पूँजीगत व्यय को बढ़ानें की जरूरत है और उधार ली गई निधि का उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। शासन को पूँजीगत परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिये शामिल विभागों को सक्षम करने के लिये त्वरित उपाय शुरू करना चाहिए।

तृतीय अध्याय
बजटीय प्रबंधन

तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को बिना किसी अपव्यय या धन के विचलन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है। यह अध्याय राज्य शासन की आबंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजट निर्माण की पारदर्शिता और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप–डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है।

➢ वित्तीय वर्ष की शुरूआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और किसी भी हाल के घटनाक्रम जो संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

➢ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।

➢ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेन्डर शामिल है। इसके साथ जेण्डर और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए है।

➢ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधानों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया गया है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने पर वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिसमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुर्नविनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2020–21 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश

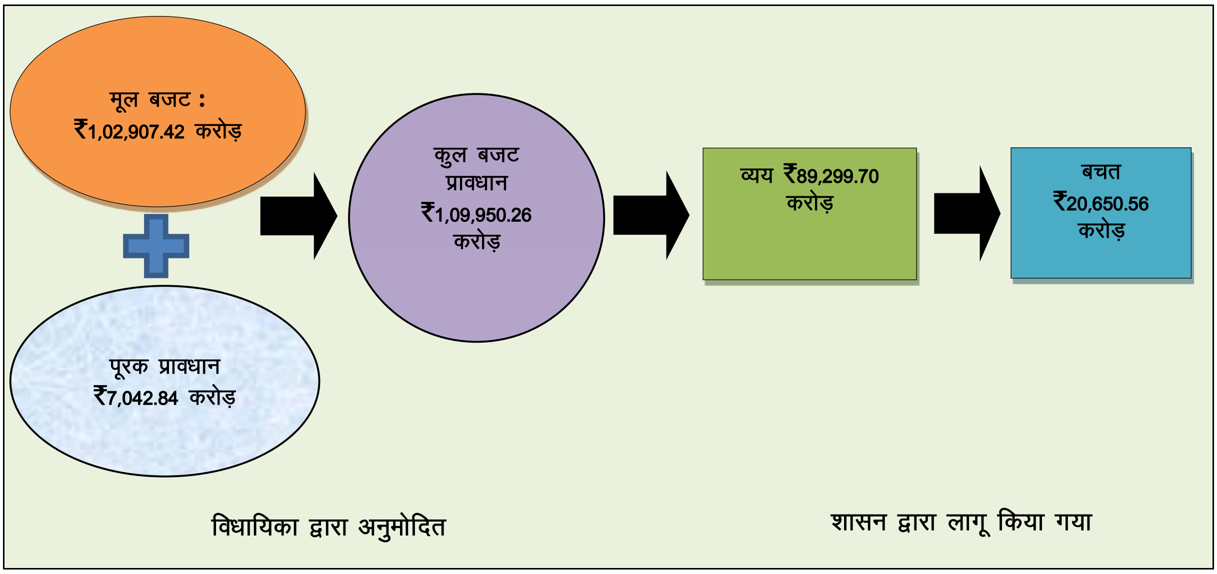

3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है– (1) महिला–विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने 23 योजनाओं के लिए ₹2,616.23 करोड़ प्रावधनित किया (मूल बजट ₹2,572.71 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹43.52 करोड़) जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं हेतु है। कुल बजट ₹2,616.23 करोड़ में से, केवल ₹1,030.03 करोड़ (39.37 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹1,586.20 करोड़ (60.63 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिखाया गया है।

बजट प्रावधान ₹8,029.73 करोड़, 89 योजनाओं के लिए किया गया जिसमें वर्ष 2020–21 के दौरान बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप–शीर्षों या उद्देश्य शीर्षों का विवरण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है–(1) युवा–विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य शासन ने 51 योजनाओं के लिए ₹5,010.24 करोड़ (मूल बजट का ₹4,939.81 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹70.43 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹5,010.24 करोड़ के कुल बजट में से ₹2,518.71 करोड़ (50.27 प्रतिशत) का व्यय हुआ और ₹2,491.49 करोड़ (49.73 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** मे दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹1,168.34 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2020–21 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप–शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार, युवा–केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ–साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों[1] के तहत 260 योजनाओं के लिए ₹17,976.10 करोड़ (मूल बजट ₹17,693.26 करोड़ का और अनुपूरक बजट ₹282.84 करोड़) का बजट प्रावधान किया। कुल बजट में से ₹9,253.93 करोड़ (51.48 प्रतिशत) के व्यय और ₹8,722.17 करोड़ (48.52 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया।

3.3.4 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार ने ₹7,128.37 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 88 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की। इन प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 30 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹1,068.47 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक व्यय भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार व्यय किया गया है कि व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2020–21 के दौरान 72 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति नीचे दर्शायी गई है–

[1] कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत	आधिक्य	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	76,581.86	5,551.35	82,133.21	65,497.62	–16,887.83 (20.56)	252.24 (0.31)	–16,205.09 (95.96)
	पूँजीगत परिव्यय	14,576.52	1,072.20	15,648.71	9,500.28	–6,148.43 (39.29)	0.00	5,702.49 (92.75)
	ऋण तथा अग्रिमों	477.35	0.00	477.35	112.51	–364.84 (76,43)	0.00	359.42 (98.51)
	कुल दत्तमत	**91,635.73**	**6,623.55**	**98,259.28**	**75,110.41**	**–23,401.10 (23.82)**	**252.24 (0.26)**	**22,267.00 (95.15)**
भारित	राजस्व	6,374.83	419.29	6,794.12	6,149.98	–645.19 (9.50)	1.05 (0.02)	596.20 (92.41)
	पूँजीगत	55.39	0.00	55.39	19.02	–36.37 (65.66)	0.00	36.26 (99.68)
	लोक ऋण	4,841.47	0.00	4,841.47	8,020.29	0.00	3,178.82 (65.66)	847.70
	कुल भारित	**11,271.69**	**419.29**	**11,690.98**	**14,189.29**	**–681.56 (5.83)**	**3,179.87 (27,20)**	**1,480.16 (217.17)**
कुल योग		**1,02,907.42**	**7,042.84**	**1,09,950.26**	**89,299.70**	**–24,082.67 (21.90)**	**3,432.11 (3.12)**	**23,747.15 (98.61)**

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020–21

कुल बचत ₹24,082.67 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 21.90 प्रतिशत) थी, जिसमें से ₹23,747.15 करोड़ समर्पित किया गया था और ₹335.52 करोड़ (1.39 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत हो गया था। कुल समर्पित राशि ₹23,747.15 करोड़ में से, ₹23,511.71 करोड़ (99 प्रतिशत) की राशि को 31 मार्च 2021 को समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चुंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹7,042.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

3.4.2 बजटीय निधि का उप–युक्ततम उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप–युक्ततम रहा है, वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान बजट का उपयोग

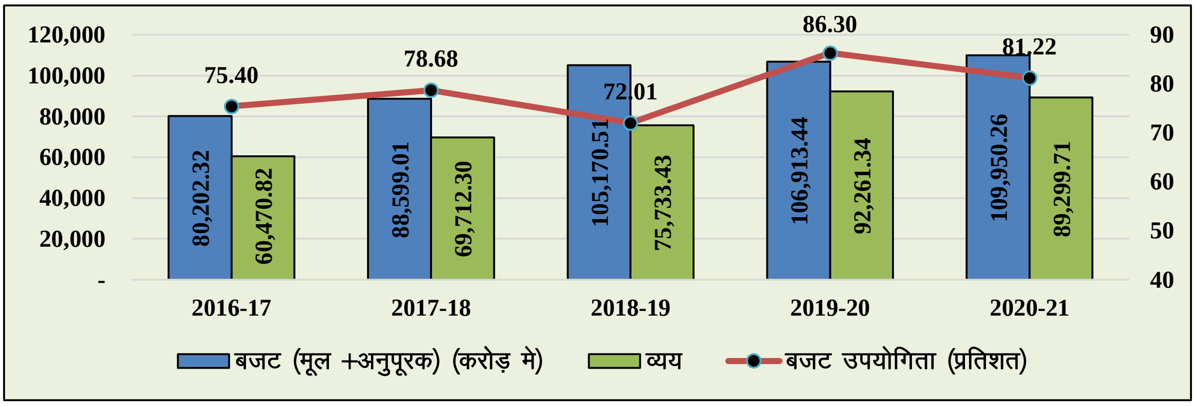

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

विगत पाँच वर्षों के दौरान बजट के उपयोग में प्रवृत्ति वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2016–17 में 75.40 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में 81.22 प्रतिशत तक बढ़ा है । हालाँकि बजट का उपयोग वर्ष 2019–20 में 86.30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020–21 में कुल बजटीय प्रावधान का 81.22 प्रतिशत हो गया। बजट के उपयोग में यह कमी मुख्य रूप से सब्सिडी के तहत कम व्यय के कारण थी। राज्य शासन ने बजट प्रावधान के उपयोग को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया और सरकारी व्यय और इष्टतम उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रशिक्षण, सरकारी दौरों और बैठकों, नई योजनाओं के कार्यान्वयन और नए वाहनों की खरीद आदि जैसे कई मदों से संबंधित व्यय को विनियमित किया जिससे कोविड–19 महामारी के दौरान संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 विधि के प्राधिकार के बिना व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही राज्य के समेकित कोष से कोई धन निकाला जाएगा अन्यथा नहीं। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,241.58 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	बिना प्रावधान के व्यय
6003–112–विशेष आहरण सुविधा–91 दिवस के जमा पर	4,026.52
6004–09–101–3052–ब्लाक कर्जे	121.80
6004–02–101–6718–12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित ऋण	93.26
कुल	**4,241.58**

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020–21

3.5.2 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)–2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिस उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड–एक की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत अनुभाग में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मुख्यतः किसी सामग्री और स्थानीय चरित्र की बढ़ती हुई ठोस संपत्ति के उद्देश्य के साथ व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थाओं को अनुदान सहायता में व्यय, संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थाओं के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेषतः अधिकृत प्रकरणों को छोडकर, पूँजीगत शीर्ष लेखे के नामे किया जायेगा।

वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रदान किए गए ₹1,837.67 करोड़ के अनुदान और वर्गीकृत अनुदान का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त कार्यालय का व्यय ₹3.43 करोड़ और ₹24.75 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान को राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत नियत किया गया है। वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,432.94	2,359.39	1,998.74	1,939.61	1,865.85
कुल पूँजीगत व्यय	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश	15.13	23.59	22.45	22.64	20.68

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश

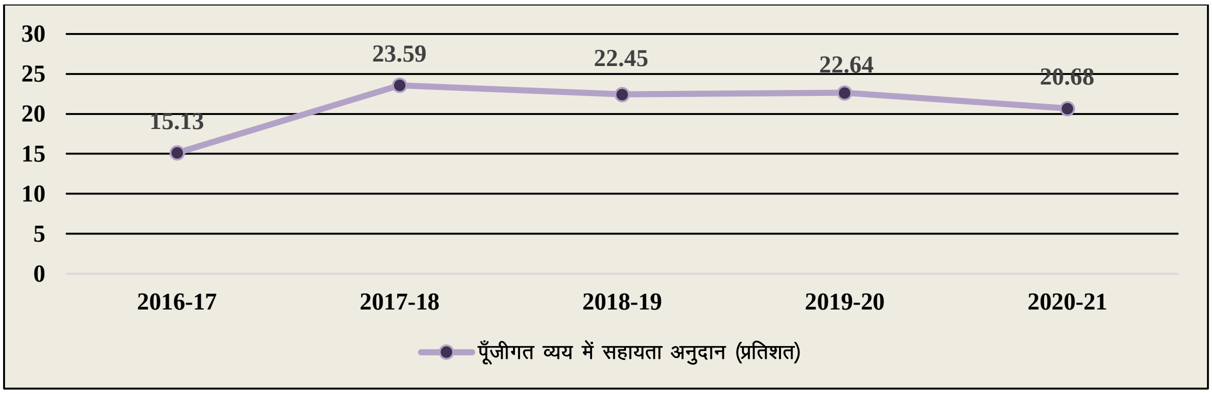

स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग लेखे

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹7,042.84 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 27 अनुदान/विनियोग से संबंधित 33 मामलों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹3,560.38 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

कुल 17 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये भले ही बचत ₹100 करोड़ और मूल बजट प्रावधान से अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान के बाहर बचत	अनुपूरक प्रावधान	
					राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)						
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,069.53	–877.49	17.74
10	जंगल	1,760.92	213.80	1,516.28	–244.64	13.89
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	499.09	11.78	374.40	–124.69	24.98
24	लोक निर्माण कार्य – सडकें और पुल	1,190.99	1.00	786.14	–404.85	33.99

27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	4,106.56	–1,043.25	20.26
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	445.70	11.35	309.62	–136.08	30.53
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	1,486.53	–1,570.20	51.37
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,217.57	–641.16	13.20
41	आदिवासी क्षेत्र उप–योजना	15,741.75	901.19	12,486.69	–3,255.06	20.68
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	218.73	–135.90	38.32
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,083.75	9.47	650.92	–432.83	39.94
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	4,780.56	–734.62	13.32
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	713.23	–206.60	22.46
	कुल राजस्व दत्तमत	**45,524.13**	**1,783.07**	**35,716.76**	**–9,807.37**	**21.54**
पूँजीगत (दत्तमत)						
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	703.54	0.50	369.89	–333.65	47.42
23	जल संसाधन विभाग	430.09	8.00	291.41	–138.68	32.24
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	2,208.78	–861.28	28.05
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	990.61	136.07	741.52	–249.09	25.14
67	लोक निर्माण कार्य – भवन	914.81	22.11	377.48	–537.33	58.74
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	697.31	0.50	176.87	–520.44	74.63
	कुल पूँजीगत दत्तमत	**6,806.42**	**469.08**	**4,165.95**	**–2,640.47**	**38.79**
	कुल योग	**52,330.55**	**2,252.15**	**39,882.71**	**–12,447.84**	**23.79**

स्रोत : विनियोग लेखे 2020–21

इसके अतिरिक्त, 14 उप–शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹544.78 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है। यह धन की आवश्यकता के अवास्तविक अनुमान और खराब बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.5: विवरण जहां संपूर्ण पूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रह गया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान
1	02–2052–90–6452–मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	120.00	120.00
2	06–2052–90–6454–बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	120.00	120.00
3	02–4070–800–101–6452–मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	80.00	80.00
4	06–4070–800–101–6454–बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	80.00	80.00
5	58–2245–2–122–6457–राज्य आपदा नवीनीकरण कोष से व्यय	0.00	60.00	60.00
6	58–2245–80–800–6457–राज्य आपदा नवीनीकरण कोष से व्यय	0.00	53.20	53.20
7	23–4700–80–800–701–6354–बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण–II	5.50	5.50	11.00
8	79–4210–04–101–0311–6441–कोविड–19 का उपचार और रोकथाम	0.00	9.98	9.98
9	23–4701–80–800–701–6354–बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण–II	2.50	2.50	5.00
10	79–4210–1–110–701–6387–कैंसर संस्थान	0.00	5.00	5.00
11	41–4702–796–800–702–6354–बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण–II	2.00	2.00	4.00
12	03–2055–101–801–6460–मानव तस्करी रोधी इकाई	0.00	3.60	3.60
13	58–2245–80–102–6457–राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	0.00	2.00	2.00
14	81–2215–1–1–101–7845–शहरी निकायों की जल वृद्धि योजना	0.00	1.00	1.00
	कुल	**10.00**	**544.78**	**554.78**

स्रोत : विनियोग लेखे 2020–21

3.5.4 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में अनुदान में एक इकाई (जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है), दूसरी इकाई को (जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है), धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, छः अनुदानों से संबंधित सात मामलों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि **तालिका 3.6** में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.6: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन–विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	अंतिम अधिक्य (+)/कमी (–)
08–2029–103–3150 भूमि सर्वेक्षण	2.84	0.00	0.12	2.96	2.65	–0.31
19–4210–2–197–101–5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	28.66	0.00	0.50	29.16	23.82	–5.34
41–2210–1–796–196–102–1473 जिला अस्पताल	116.28	0.00	5.00	121.28	98.19	–23.08
58–2245–2–116–7357 बाढ़ अनुदान सहायता आदि	0.10	0.00	0.01	0.11	0.01	–0.10
64–2210–3–789–198–103–2777 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	43.87	0.00	0.50	44.37	39.01	–5.36
64–4210–2–789–104–103–5998 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	9.41	0.00	3.55	12.96	6.68	–6.28
79–2210–5–101–101–469 आयुर्वेदिक कॉलेज	23.41	0.00	3.75	27.16	22.61	–4.55

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2020–21

3.5.5 उप–शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

107 मामलों में, 36 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप–शीर्षों के लिए (₹10 करोड़ और उससे अधिक) तक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹10,437.50 करोड़ अप्रयुक्त रहें। विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण मामले, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान **तालिका 3.7** में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.7: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	नाम	कुल प्रावधान
02	02–2052–90–6452 मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा रख–रखाव	120.00
06	06–2052–90–6454 बुनियादी सुविधाओं का विकास	120.00
13	13–2401–102–101–8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2,397.00
40	40–4705–209–701–7907 कमान क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति	115.52
41	41–2216–3–796–105–702–7807 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	608.00
41	41–2401–796–102–102–8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	1,938.00
64	64–2401–789–102–103–8972 धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	765.00
80	80–2515–198–7675 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान	173.05
CH1	CH1–6003–110–637 अर्थोपाय अग्रिम	660.00
CH1	CH1–6003–110–779 कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	264.51
CH2	CH2–2049–1–101–2199 नया बाजार ऋण	275.00

3.5.6 बृहद बचत/समर्पण

कुल बचत ₹24,082.67 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 23 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹21,641.14 करोड़ की राशि जो कि ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत रूप में वर्ष के दौरान समग्र बचत का 89.86 प्रतिशत है, इन 23 अनुदानों/विनियोगों में से दस अनुदानों के तहत कुल बचत ₹12,939. 71 (₹500 करोड़ से अधिक) थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.7*** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 60 अनुदानों में किए गए ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण की अनुमानित राशि ₹23,525.85 करोड़ है जो कि ***परिशिष्ट 3.8*** में विस्तृत हैं।

कुल 72 अनुदानों/विनियोजनों में से 17 अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत् से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2020–21 में बचत ज्यादा हुई । वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक 17 अनुदानों/विनियोजनों में बजट प्रावधानों का उपयोग **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं	अनुदान	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	वर्षों की संख्या*	बजट 2020–21	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)						(₹ करोड़ में)	
1	02–सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	66	65	58	46	06	2	227.15	341.01
2	04– गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	49	67	59	57	34	2	139.20	365.88
3	09– राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	46	36	37	58	24	4	21.24	108.75
4	21– आवास एवं पर्यावरण विभाग	68	45	31	58	37	3	616.91	3,656.55
5	22– शहरी प्रशासन और विकास	80	87	82	73	24	1	23.46	132.20
6	25–खनिज संसाधन विभाग	89	98	32	12	23	3	501.36	2,932.23
7	36–परिवहन	36	35	38	68	49	4	101.58	494.05
8	37–पर्यटन	56	33	33	60	32	3	103.50	379.95
9	40–आयाकट विभाग	64	39	05	03	03	4	120.85	573.72
10	42– जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–सड़कों और पुलों से संबंधित लोक निर्माण	50	40	76	98	49	2	960.52	5,791.29
11	43–खेल एवं युवा कल्याण	24	27	20	25	13	5	84.40	377.58
12	46–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	62	36	35	34	34	4	25.50	111.55
13	57– जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	00	–	–	–	00	2	100.00	101.00
14	65– विमानन विभाग	52	46	52	35	41	3	130.01	483.30
15	68– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	85	45	48	40	36	4	165.57	977.67
16	71–सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	57	31	22	77	37	3	192.58	1,502.11
17	75– जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनायें	98	74	66	29	25	2	697.81	3,197.33

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कम बजट उपयोग प्रणालीगत खामियों का संकेत है जो सरकार द्वारा त्वरित सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक करीबी समीक्षा की आवश्यकता है। अनुदान 43–खेल और युवा कल्याण में बार–बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या

स्वीकृत बजट के विरूद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन मामलों के दिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। इससे आगे की सीमा, उप–शीर्ष/उप–उप–शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) में इस तरह के बदलाव को विनियोग लेखे में समझाया जाना है, जो लोक–लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निर्धारित किया है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक लेखा समीति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप–शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड है (अतिरिक्त/बचत)–

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी हैः

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।

2. टिप्पणियाँ उन सभी उप–प्रमुखों के लिए बचत (शुल्क) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी हैः

- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप–शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएंगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

4. टिप्पणियाँ सभी उप–शीर्षों के लिए अतिरिक्त (प्रभारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2020–21 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 51.27 प्रतिशत मामलों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,230 उप–शीर्षों में से 1,656 उप–शीर्षो के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 826 उप–शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 830 उप–शीर्षों में से जिनके लिए सरकारी विभाग के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भिन्नता के कारण प्रस्तुत किए गए थे, 122 मामलों में व्यय में भिन्नता के कारणों को कोविड–19 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उप–शीर्षों के संबंध में, लेखें में उप–शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप–शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के

लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, **चार्ट 3.4** में दिए गए है।

चार्ट–3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश

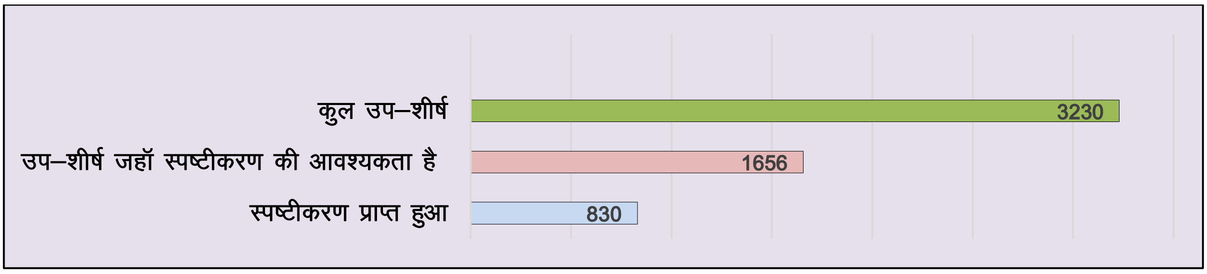

बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य शासन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा नियमित रूप से अनुदान/विनियोजन से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दो अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹3,432.11 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,026.52 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्श्विक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण नीचे **तालिका 3.9** में दिया गया।

तालिका 3.9: वर्ष 2020–21 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6,992.20	7,243.79	251.59
जनजातीय विभाग	83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता–शहरी निकाय	51.66	52.31	0.65
राजस्व भारित					
वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.50	1.55	1.05
पूँजीगत भारित					
लोक ऋण	–	लोक ऋण	4,841.47	8,020.29	3,178.82
		कुल	**11,885.83**	**15,317.94**	**3,432.11**

स्रोत : विनियोग लेखे

वर्ष के लिए प्रावधान पर अधिक व्यय न केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब योजना का भी संकेत है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000–01 से 2019–20 के लिए प्रावधानों पर ₹9,944.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी नियमित नहीं किया गया है, जिसे ***परिशिष्ट 3.10*** में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता

को प्रोत्साहित करता है। वर्ष 2000–01 से 2019–20 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2000–01 से 2019–20 के दौरान नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2000–01	11	2	10.21
2001–02	14	2	115.90
2002–03	8	2	114.59
2003–04	4	2	591.12
2004–05	4	5	133.36
2005–06	4	2	23.27
2006–07	4	1	5.13
2007–08	3	3	15.99
2008–09	9	1	115.26
2009–10	10	5	216.77
2010–11	22	6	293.78
2011–12	24	1	498.09
2012–13	2	2	0.96
2013–14	3	3	178.96
2014–15	4	2	833.54
2015–16	3	2	98.24
2016–17	2	3	12.38
2017–18	3	3	2.61
2018–19	2	4	1.67
2019–20	3	4	6,682.69
कुल	**139**	**55**	**9,944.52**

स्रोत : संबंधित वर्षं के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान ₹6,682.69 करोड़ विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय किया गया था।

हालाँकि, विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020–21 के दौरान 23 मुख्य शीर्षों में 10 अनुदानों के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹3,674.01 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की हड़बड़ी को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

17 प्रमुख शीर्षों पर ₹1,649.08 करोड़ का व्यय किया गया जो मार्च 2021 में संबंधित प्रमुख शीर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च माह में कुल व्यय	योजना के कुल व्यय में से माह मार्च में किये गये व्ययों का प्रतिशत
2030	मुद्रांक और पंजीयन	5.41	4.69	5.99	93.83	109.91	88.50	80.52
2250	नहरें और तालाब	0.07	0.18	0.15	5.78	6.18	4.86	78.70
2425	सहकारिता	14.42	10.93	11.38	139.60	176.33	102.47	58.11
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	13.73	13.73	13.73	100.00
2810	नवीन और अक्षय ऊर्जा	0.00	16.01	0.09	58.60	74.70	47.80	63.99
2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	11.75	8.25	73.62	123.06	216.68	117.53	54.24
3275	अन्य संचार सेवाएँ	0.00	0.00	6.63	29.00	35.63	18.75	52.62
4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	48.40	12.81	101.47	349.03	511.71	291.13	56.89
4225	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	10.90	43.49	303.91	358.30	251.99	70.33
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.03	0.10	34.15	34.29	34.12	99.52
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय	0.25	1.30	1.82	16.60	19.98	11.06	55.38
4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	20.32	181.79	202.10	181.63	89.87
4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्त्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	350.00	63.64
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	100.00
5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	100.00
6853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	100.00
	कुल	**80.30**	**65.10**	**265.06**	**2,034.57**	**2,445.03**	**1,649.08**	**67.45**

स्रोतः विनियोग लेखे और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी

पाँच प्रमुख शीर्षों में, मार्च 2021 के महीने में 100 प्रतिशत खर्च किया गया था। व्यय की स्थिर गति को बनाए रखना ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उस विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी की कमी को दूर करता है।

3.6.1 उप–शीर्ष (योजनाएं) जहाँ मार्च 2021 में पूरा व्यय किया गया था

10 योजना शीर्षों के अंतर्गत, ₹27.78 करोड़ का पूरा व्यय वर्ष के अंत में किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.12*** में दिखाया गया है। वर्ष के अंत में व्यय का एक उच्च प्रतिशत इंगित करता है कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है, को नहीं बनाए रखा गया था। इन 10 योजना शीर्षों में से एक योजना शीर्ष –"2406–1–800–6447 जैव विविधता प्रबंधन समिति" में मार्च 2021 में ₹13 करोड़ का संपूर्ण योजना व्यय किया गया था।

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं यथार्थवादी नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप बचत/अधिकता हुई। इसके अलावा, बजट के निष्पादन और निगरानी के लिए बजटीय नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को उचित पुनर्विनियोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एवं प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाती है और उन्हें निदृष्टि विनिदष्ट समय–सीमा के भीतर समर्पण कर दिया जाता है ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त था। इसके अलावा, पिछले वर्ष (86.30 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग (81.22 प्रतिशत) के प्रतिशत में कमी आई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान दो अनुदान और दो विनियोजन से संबंधित ₹3,432.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये बचतों को न तो समय पर समर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय की भिन्नता के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। व्यय के आधार पर आवंटन मे बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

3.8 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को विभागों की आवश्यकताओं की विश्वसनीय मान्यताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।

ii. शासन द्वारा एक उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत पर अंकुश लगाया जा सकता है, अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाता है, और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाती है और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पण किया जाता है।

iii. राज्य शासन को वर्ष 2000–01 से वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा यथाशीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है।

iv. राज्य शासन को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हों।

चतुर्थ अध्याय

लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

चतुर्थ अध्याय : लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली मे निहित नियम संख्या 182 निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय आधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिये हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के 17 विभागों को वर्ष 2008–09 से 2019–20 की अवधि के दौरान दिए गए कुल ₹7,016.93 करोड़ के अनुदान के संबंध में 460 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब का आयु–वार विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: आयु-वार लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

दिए गये सहायता अनुदान	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र	31 मार्च 2021 को लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र		
		विलम्ब	संख्या	राशि
2017–18 तक	सितम्बर 2018 तक	दो वर्षों से अधिक	67	245.61
2018–19	सितम्बर 2019	एक वर्ष से अधिक	155	3,445.21
2019–20	सितम्बर 2020	06 माह	238	3,326.11
कुल			**460**	**7,016.93**

इसे ध्यान में रखते हुए कि विभागीय प्राधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि ₹7,016.93 करोड़ की राशि को विगत वर्षों में किस प्रकार खर्च की गई, यह चिंता का विषय है क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान की गई सार्वजनिक निधि शामिल है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों और उनसे संबंधित राशियों का वर्ष–वार विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष–वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2008–09	01	0.01
2009–10	02	0.99
2010–11	00	0.00
2011–12	00	0.00
2012–13	15	21.86
2013–14	14	25.39
2014–15	00	0.00
2015–16	00	0.00
2016–17	00	0.00
2017–18	35	197.37
2018–19	155	3,445.20
2019–20	238	3,326.11
योग	**460**	**7,016.93**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े।

विगत वर्ष 2008–09 से मुहैया कराई गई निधि के व्यय से संबन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में, इन निधियों का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए हीं किया गया है, इसका आश्वासन नहीं है एवं निधियों के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं जा सकता है । **तालिका 4.2** से पता चलता है कि 85.43 प्रतिशत बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र पिछले दो वर्षों 2018–19 और 2019–20 से संबंधित हैं। वर्ष 2019–20 तक भुगतान किए गए अनुदानों के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। पांच प्रमुख विभागों के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2019–20 तक पाँच मुख्य विभागों को दिए गये अनुदान से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

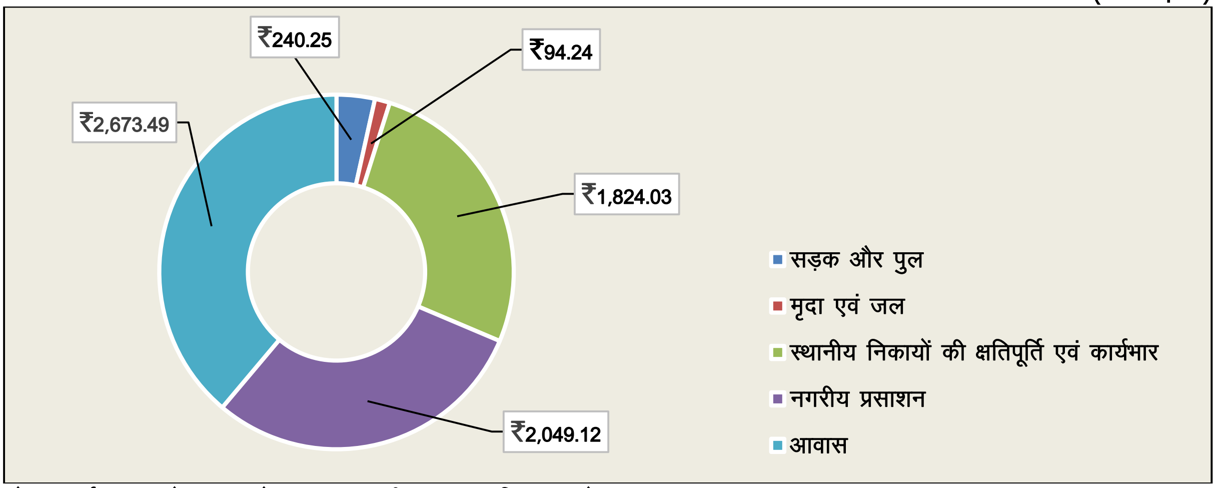

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े।

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। बड़ी संख्या में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, निधियों के दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयकों (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देनी है ।

31 मार्च 2021 तक छत्तीसगढ़ सरकार के 19 विभागों ने 460 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध ₹295.53 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत नहीं किए थे। वर्ष 2020–21 तक के वर्षों के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है। पाँच प्रमुख विभागों के लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति **चार्ट 4.2** में दी गई है।

चार्ट 4.2: पाँच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

(₹ करोड़ में)

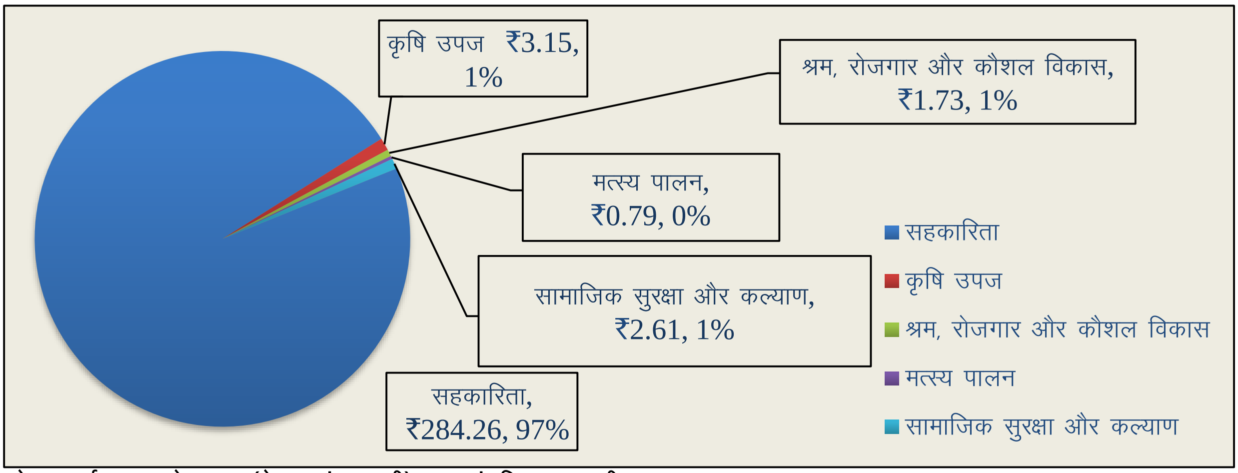

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी ।

वर्ष 2020–21 तक के वर्षों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों के लम्बित रहने का वर्ष–वार विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: संक्षिप्त देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष 2018–19 तक	160	132.95	911	1,304.50	783	1,252.80	288	184.65
2019–20	288	184.65	277	3,275.53	250	3,258.59	315	201.59
2020–21	315	201.59	208	2,947.73	63	2,853.79	460	295.53

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी ।

31 मार्च 2021 तक ₹295.53 करोड़ के 460 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों में से 86 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.98 करोड़), 186 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹191.46 करोड़) और 172 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹102.89 करोड़) क्रमशः वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21 से संबंधित हैं।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को जमा न किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है अपितु अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना को

बढ़ावा देता है और इसलिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारीयों द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की अप्राप्ति की सीमा तक, वित्तीय खातों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम नहीं माना जा सकता।

4.4 लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा 29 जिला कोषालयों, 53 वन मण्डलों, 64 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं तथा 155 अन्य संभागों[1] द्वारा दिये गये प्रारम्भिक लेखों से संकलित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मासिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में कोषागारों द्वारा एक से 31 दिन, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक दिन से तीन माह तथा वन विभाग द्वारा एक से 29 दिनों तक विलम्ब हुआ।

राज्य शासन को इसकी ध्यान से परिवीक्षा करने की आवश्यकता है कि, जितने भी लेखा प्रतिपादित करने वाले प्राधिकरण है, इनके बजट को और भी प्रभावी ढंग से संचलित करने हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय पर यह लेखायें प्रतिपादित करें।

4.5 उचंत और ऋण जमा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

सरकारी खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके समापक लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके समापक लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दिखाया जाता है।

प्रेषण में उन सभी लेन–देनों को शामिल किया जाता है, जो लेखा शीर्षों से समायोजित है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिट अथवा क्रेडिट को उसी लेखा मंण्डली अथवा अन्य में उसके तत्स्थानी डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है ।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों मे अलग से बकाया डेबिट एवं क्रेडिट को समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों को निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति **तालिका 4.4** में दी गयी है ।

तालिका 4.4: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8658–उचंत–लघु शीर्ष	2017–18		2018–19		2019–20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	52.55	18.83	67.35	19.50	75.32	15.59
निवल	**नामे 33.72**		**नामे 33.72**		**नामे 47.85**	
102–उचंत लेखा (सिविल)	32.44	0.17	30.81	0.17	29.62	0.17
निवल	**नामे 32.27**		**नामे 32.27**		**नामे 30.64**	
109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	2.61	3.02	0.03	0.68	1.61	0.04
निवल	**जमा 0.41**		**जमा 0.41**		**जमा 0.65**	

[1] 53 लोक निर्माण खण्ड, 62 सिंचाई मण्डल (जल संसाधन विभाग), 36 लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल तथा 4 सड़क विकास खण्ड।

110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1.72	0.00	3.57	0.01	13.62	0.01
निवल	**नामे 1.72**		**नामे 1.72**		**नामे 3.56**	
112–स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	0.00	65.08	0.00	71.10	0.00	63.14
निवल	**जमा 65.08**		**जमा 65.08**		**जमा 71.10**	
113–भविष्य निधि उचंत	46.08	0.00	44.35	0.00	20.62	0.00
निवल	**नामे 46.08**		**नामे 46.08**		**नामे 44.35**	
123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.16	0.00	0.19	0.00	0.27
निवल	**जमा 0.16**		**जमा 0.16**		**जमा 0.19**	
129–सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00	84.11	0.00	84.11	0.00	81.67
निवल	**जमा 84.11**		**जमा 84.11**		**जमा 81.67**	
मुख्य शीर्ष 8782–नगद प्रेषण						
102–लोक निर्माण प्रेषण	112.34	9.13	74.83	42.43	74.32	9.13
निवल	नामे 103.21		**नामे 32.40**		**नामे. 65.19**	
103–वन प्रेषण	37.83	5.22	36.20	5.44	50.44	5.56
निवल	**नामे 32.61**		**नामे 30.76**		**नामे 44.88**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी।

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दर्शाया जाता है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों की गैर–निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की यथार्थता को प्रभावित करती है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खातें

विशिष्ट परिस्थितियों मे शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते है। व्यक्तिगत जमा खातों से निधियों का हस्तांतरण सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य के संचित निधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती है। कोषालय संहिता भाग –एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, प्रशासकों का ऐसे खातें वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर बंद करने तथा व्यय नहीं किये गये शेष राशि को वापस संचित निधि में हस्तांतरित करने की अवश्यकता होती है ताकि अगले वर्ष यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को पुनः खोला जा सके, हालाँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पंचवर्षीय अवधि वर्ष 2016–21 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति **तालिका 4.5** प्रदान करती है।

तालिका 4.5: वर्ष 2016–21 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में धन का रखा जाना।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रेल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियाँ/प्राप्तियाँ		वर्ष के दौरान संवृतियाँ/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016–17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2018–19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
2019–20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
2020–21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संबंधित वर्षों में संकलित डेटा ।

जैसा कि **तालिका 4.5** से देखा जा सकता है, वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान कुल 15 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए और 99 खाते बंद किए गए, 31 मार्च 2021 तक 208 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,560.95 करोड़ था।

राज्य सरकार ने मार्च 2021 के दौरान तीन मुख्य शीर्षों से ₹0.86 करोड़ की राशि आहरित की और इसे व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया, जिसका विवरण **तालिका 4.6** में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे स्थानान्तरण इंगित करते हैं कि ये स्थानान्तरण बजटीय प्रावधान की चूक को रोकने के लिए किए गए थे।

तालिका 4.6: मार्च 2021 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रशासक	मुख्य शीर्ष	राशि
अधीक्षक, केंन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.26
संयुक्त संचालक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.08
उपसंचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर	2235	0.50
कलेक्टर, भू अभिलेख, धमतरी	2029	0.02
योग		**0.86**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी।

पीडी खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों ने कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित शेषों का सत्यापन/मिलान नहीं किया है।

4.6.1 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियां

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹1,560.95 करोड़ के अंतिम शेष में से ₹1,301.95 करोड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि का लाभार्थियों में संवितरण न करने के कारण थे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित असंवितरित निधियों का कोषालय–वार विवरण **तालिका 4.7** में दिया गया है।

तालिका 4.7: व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियों का विवरण।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि
1	बिलासपुर	293.46
2	रायपुर	256.19
3	रायगढ़	189.01
4	जांजगीर–चंपा	92.01
5	सरगुजा (अंबिकापुर)	66.08
6	बलरामपुर	49.57
7	गरियाबंद	41.15
8	कोरबा	64.93
9	जगदलपुर	26.16
10	राजनंदगांव	35.19
11	महासमुंद	25.04
12	कबीरधाम	9.14
13	जशपुर	13.39
14	कोरिया	12.67
15	सूरजपुर	5.88
16	कांकेर	9.09
17	दुर्ग	1.71
18	कोंडागांव	7.11
19	दंतेवाड़ा	6.24
20	बलौदाबाजार	3.13
21	धमतरी	7.63
22	मुंगेली	27.53

23	बेमेतरा	2.18
24	बीजापुर	0.18
25	पेंड्रा– मरवाही[2]	57.28
योग		**1301.95**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

ऐसे व्यतिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों से असंचालित हैं, उन्हें व्यतिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 208 व्यतिगत जमा खातों में से ₹13.54 करोड़ की कुल शेष राशि वाले 16 व्यतिगत जमा खाते 31 मार्च 2021 तक तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित रहे। हालांकि इन खातों को बंद करने के लिए संबंधित कोषालयों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

4.7 केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है । वर्तमान लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सड़क एव पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा – 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है ।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के विपरीत, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के लिए ₹234.92 करोड़ जारी किए गये जिसमें से केवल ₹176.63 करोड़ राज्य सरकार द्वारा "8449–अन्य जमा–103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता" में स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व और राजकोषीय घाटे को ₹58.29 करोड़ तक कम बताया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान केंद्रीय सड़क कोष में वर्ष 2019–20 से संबंधित ₹119.91 करोड़ भी हस्तांतरित किए गये हैं।

वर्ष 2018–21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा "8449–अन्य जमा–103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता" के लिए सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित निधि का विवरण **तालिका 4.8** में दिया गया है ।

तालिका 4.8: वर्ष 2018–21 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार के द्वारा जारी अनुदान	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8449–अन्य जमा–103 को हस्तांतरित अनुदान	अंतिम शेष (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हस्तांतरित नहीं की गयी राशि)
2018–19	0.00	214.02	200.00	14.02
2019–20	14.02	371.61	198.55	187.08
2020–21	187.08	234.92	296.54	125.46[3]

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी।

4.7.1 अधोसंरचना विकास कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और पर्यावरण सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने हेतु भूमि पर

[2]पेंड्रा– मरवाही के आंकडें पिछले वर्ष बिलासपुर के कोषालय में लिया गया था ।

[3]वर्ष 2019–20 तक हस्तांतरित देय ₹187.08 करोड़ (₹14.02+₹173.06) की कुल बकाया निधि में से ₹119.91 करोड़ को वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8449–अन्य जमा–103 में स्थानांतरित किया गया। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी भी ₹125.46 करोड़ 8449–अन्य जमा–103 को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

उपकर लगाया जाएगा। अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित है और 27 मई 2005 से लागू है। अधिनियम के अनुसार, अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी भूमियों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा जिन पर भू–राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई अधोसंरचना विकास उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019–20 में ₹219.90 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया और वर्ष 2020–21 के दौरान इतनी ही राशि अधोसंरचना विकास निधि को हस्तांतरित नहीं की गई। ₹219.90 करोड़ की अहस्तांतरित शेष राशि राज्य सरकार के अनुन्मोचित दायित्व में योगदान करती है। इस तरह के अहस्तांतरित शेष के परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया।

4.7.2 पर्यावरण कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण कोष स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2019–20 में पर्यावरण उपकर के रूप में ₹219.90 करोड़ एकत्र किए गए थे और उस राशि को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान पर्यावरण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी। एकत्रित उपकर को पर्यावरण निधि में अंतरित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम बताया गया जिसके कारण इस कोष के सृजन का उद्देश्य भी विफल हो रहा है।

4.8 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित उपकर चेकों/ धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। सरकारी विभागों[4] द्वारा एकत्रित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष–8443–सिविल जमा–108–लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत सीधे दर्ज किया गया है। इसके अलावा, चूंकि लघु शीर्ष–लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत कोई और उप–शीर्ष नहीं है, कर्मकार कल्याण मण्डल को भुगतान की गई राशि को पृथक करना संभव नहीं है। इस प्रकार, श्रम उपकर के लेखांकन के लिए विशिष्ट नियमों और प्रावधानों के अभाव में श्रम उपकर के संग्रहण और हस्तांतरण के लिए श्रम उपकर को कर्मकार कल्याण मण्डल में स्थानांतरित करने के लिए सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रियाओं में कोई एकरूपता नहीं है।

4.8.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति और उपयोग

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए उपकर की प्राप्ति और व्यय की वर्षवार स्थिति **तालिका 4.9** में दर्शायी गयी है।

[4] लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

तालिका 4.9: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
		पंजीकरण शुल्क और अन्य प्राप्तियां	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
2018–19	273.45	0.95	199.71	19.99	494.10	193.57	300.53
2019–20	300.53	9.93	163.62	21.81	495.89	115.09	380.80
2020–21	380.80	0.73	172.34	31.39	585.26	108.10	477.16

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित।

वर्ष 2020–21 के दौरान ₹108.10 करोड़ के कुल व्यय में से, मण्डल द्वारा कल्याण योजनाओं पर ₹105.06 करोड़ (97.18 प्रतिशत) और स्थापना शुल्क पर ₹3.04 करोड़ (2.82 प्रतिशत) व्यय किया गया।

राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों जैसे कि मातृत्व लाभ, भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, रसोई गैस एवं चूल्हे का वितरण इत्यादि का संचलान किया गया है। वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: उपलब्ध निधि से योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध राशि	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरूद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरूद्ध व्यय
2017–18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.00
2018–19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,847	51.78	48.75	33.79
2019–20	495.89	21	367.32	96.57	20,00,567	3,90,818	19.54	26.29	19.47
2020–21	585.26	22	382.68	105.06	21,15,415	1,69,239	8.00	27.45	17.95

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित।

मण्डल उपलब्ध धनराशि का केवल 17.95 प्रतिशत उपयोग कर सका और वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल आठ प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक लाभान्वित हुए।

उपलब्ध ₹477.16 करोड़ की धनराशि के उपयोग नहीं होने के कारण पंजीकृत श्रमिक इन विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गये। कोविड–19 महामारी के दौरान मण्डल ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए ₹8.87 करोड़ (प्रवासी श्रमिकों के परिवहन के लिए विभिन्न रेलवे बोर्डों को ₹4.92 करोड़, प्रवासी श्रमिकों की विभिन्न आकस्मिक जरूरतों पर ₹3.80 करोड़ और विभिन्न कल्याण योजनाओं के माध्यम से ₹0.38 करोड़) खर्च किए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार के चार विभागों द्वारा एकत्रित ₹35.32 करोड़ उपकर में से केवल ₹35.86 करोड़ की राशि (पिछले वर्षों की शेष राशि ₹6.66 करोड़ भी शामिल है) मण्डल को हस्तांतरित की गई थी और शेष ₹6.12 करोड़ को लोक लेखा प्रमुख शीर्ष 8443 के तहत रखा गया है। इन चार विभागों द्वारा उपकर के कम हस्तांतरण का विवरण **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: श्रम उपकर का मण्डल को विभागवार अल्प हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अल्प हस्तांतरण
लोक निर्माण विभाग	4.73
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.44
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.16
ग्रामीण विकास संभाग (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.79
योग	**6.12**

4.9 लघु शीर्ष –800 में समायोजन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 43 राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की गई राशि ₹3,030.67 करोड़ (वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य की ₹63,176.18 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.80 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लघु शीर्ष –'800 अन्य प्राप्तियां' के तहत वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, 13 मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व प्राप्तियों) के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में बुकिंग का प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों के 55.93 से 106.95 प्रतिशत के बीच था। विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। ₹497.94 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से 13 मुख्य लेखा शीर्षों में ₹440.26 करोड़ (88.42 प्रतिशत) को '800–अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 47 राजस्व और पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज ₹1,268.92 करोड़ (वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के ₹79,057.03 करोड़ के कुल व्यय का 1.61 प्रतिशत) को लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के तहत वर्गीकृत किया गया था। बारह मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व और पूंजी) के तहत दर्ज कुल ₹1,156.95 करोड़ के व्यय में से ₹1,127.82 करोड़ (97.48 प्रतिशत) की राशि को '800–अन्य व्यय' के लघु शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया था और प्रतिशत लघु शीर्ष के तहत इस तरह के व्यय का वर्गीकरण संबंधित प्रमुख शीर्षों के तहत कुल व्यय के 47.21 से 100 प्रतिशत के बीच था, जो वर्गीकरण की असंगति को दर्शाता है, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4*** में दिखाया गया है।

प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा, वर्ष 2016–21 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.3** और **4.4** में दी गई है:

चार्ट 4.3 : वर्ष 2016–21 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

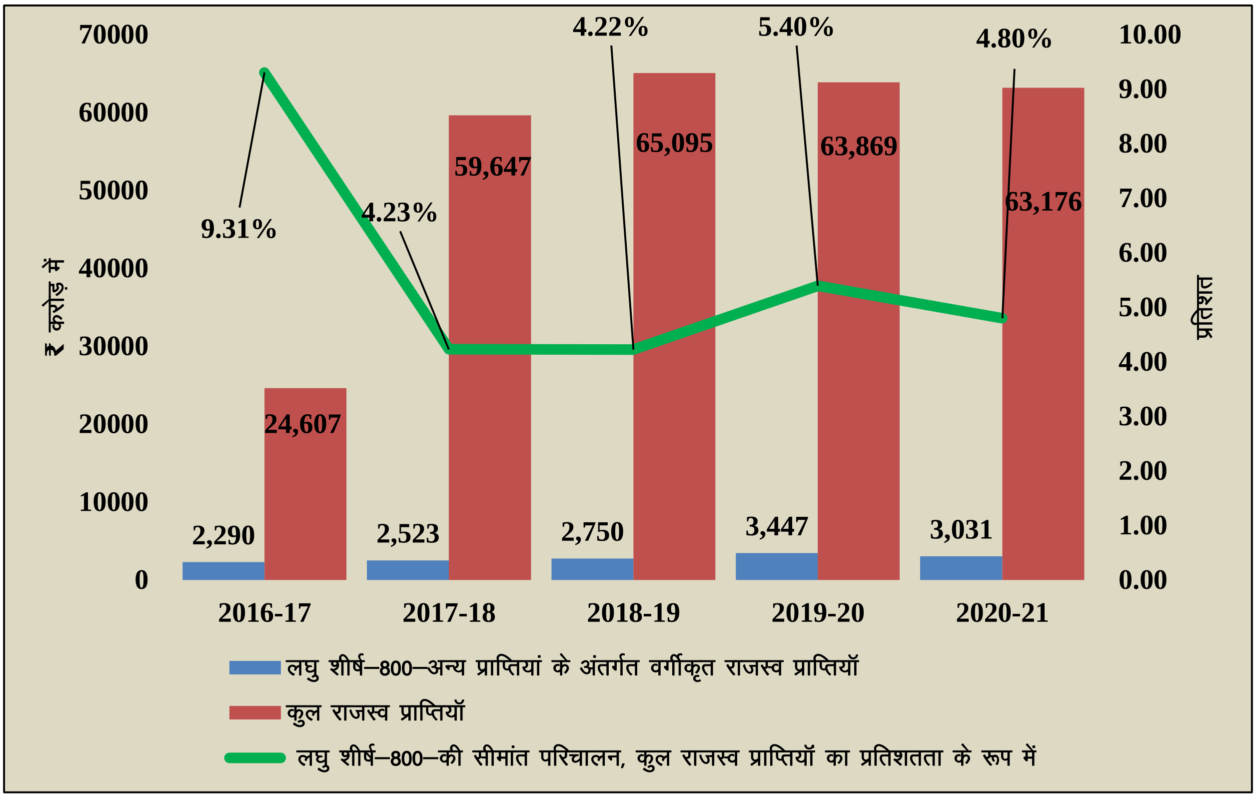

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

चार्ट 4.4: वर्ष 2016–21 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का संचालन

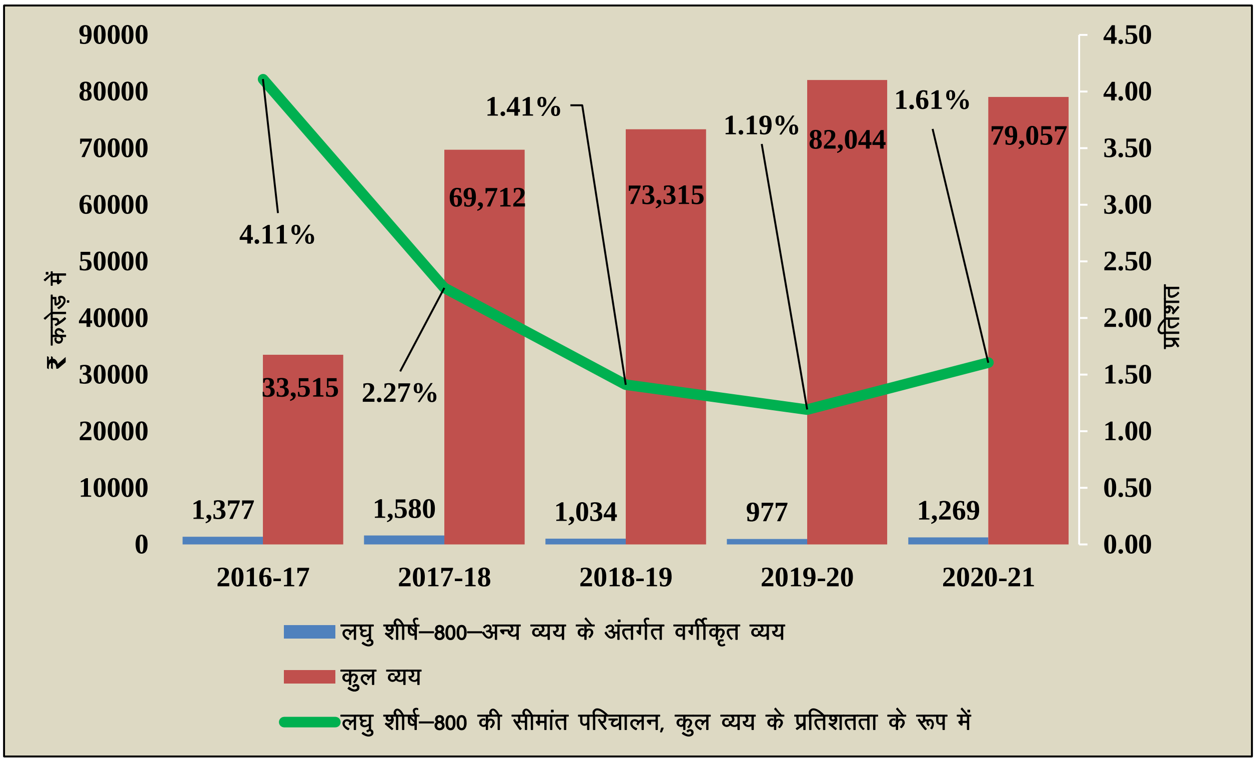

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

इस विषय को राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है । प्राप्ति पक्ष पर इस लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि में पिछले वर्ष (5.40 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2020–21 (4.80

प्रतिशत) के दौरान मामूली कमी हुई है। व्यय पक्ष पर, यह वर्ष 2019–20 में 1.19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020–21 के दौरान कुल व्यय का 1.61 प्रतिशत हो गया। तथ्य यह है कि प्राप्तियों और व्यय का इतना बड़ा अनुपात लघु शीर्ष–800 के तहत दर्ज किया गया है, यह गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4.9.1 लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रॉयल्टी की बुकिंग

संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, खदानों से प्राप्त रॉयल्टी को मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग–लघु शीर्ष 102–खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य एवं लघु शीर्ष 0853–800 के चालानों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020–21 में मुख्य शीर्ष 0853–800 के अंतर्गत ₹5,538.49 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति के सामने ₹5.50 करोड़ की प्राप्त रॉयल्टी को लघु शीर्ष –102–खनिज रियायत, शुल्क, किराये और रॉयल्टी की जगह जैसा कि लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया। विवरण **तालिका 4.12** में दिखाया गया है।

तालिकाः 4.12: लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कोषालय/बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज कुल प्राप्तियॉ
1	रायपुर	43	0.91
2	गरियाबंद	05	0.77
3	बैकुंठपुर और कोरिया	40	1.14
4	अंबिकापुर	06	0.15
5	बिलासपुर	15	0.63
6	रायगढ़	15	1.02
7	जशपुर	10	0.11
8	डोंगरगांव	08	0.58
9	बेमेतरा	02	0.19
योग		**144**	**5.50**

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडे।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) के अनुसार कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत् पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग को एवं शेष कुल रॉयल्ठी राजस्व का 67 प्रतिशत् संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत को संवितरित किया जाना चहिए। उपर्युक्त कही हुई प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्ष 0853 (गैर अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग) के अंतर्गत लघु शीर्ष 102 (खनीज रियायत शुल्क, किराय और रॉयल्टी) का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों में होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को हुई पर्याप्त राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों के लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियॉ एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों मे दर्ज प्राप्तियॉ एवं व्यय से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियंत्रक अधिकारियों को व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण एवं बजटीय आवंटन का कुशल प्रबंधन तथा उनके लेखों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्तियों का 85.74 प्रतिशत और संवितरण का 53.60 प्रतिशत मिलान किया गया

था, ये आंकड़े वर्ष 2020–21 के लिए प्राप्तियों के लिए 56.02 प्रतिशत और संवितरण के संबंध में 90.12 प्रतिशत हैं।

तीन साल की अवधि 2018–21 के दौरान नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति **चार्ट 4.5** में दर्शाया गई है।

चार्ट 4.5: तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2018–21 के दौरान मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

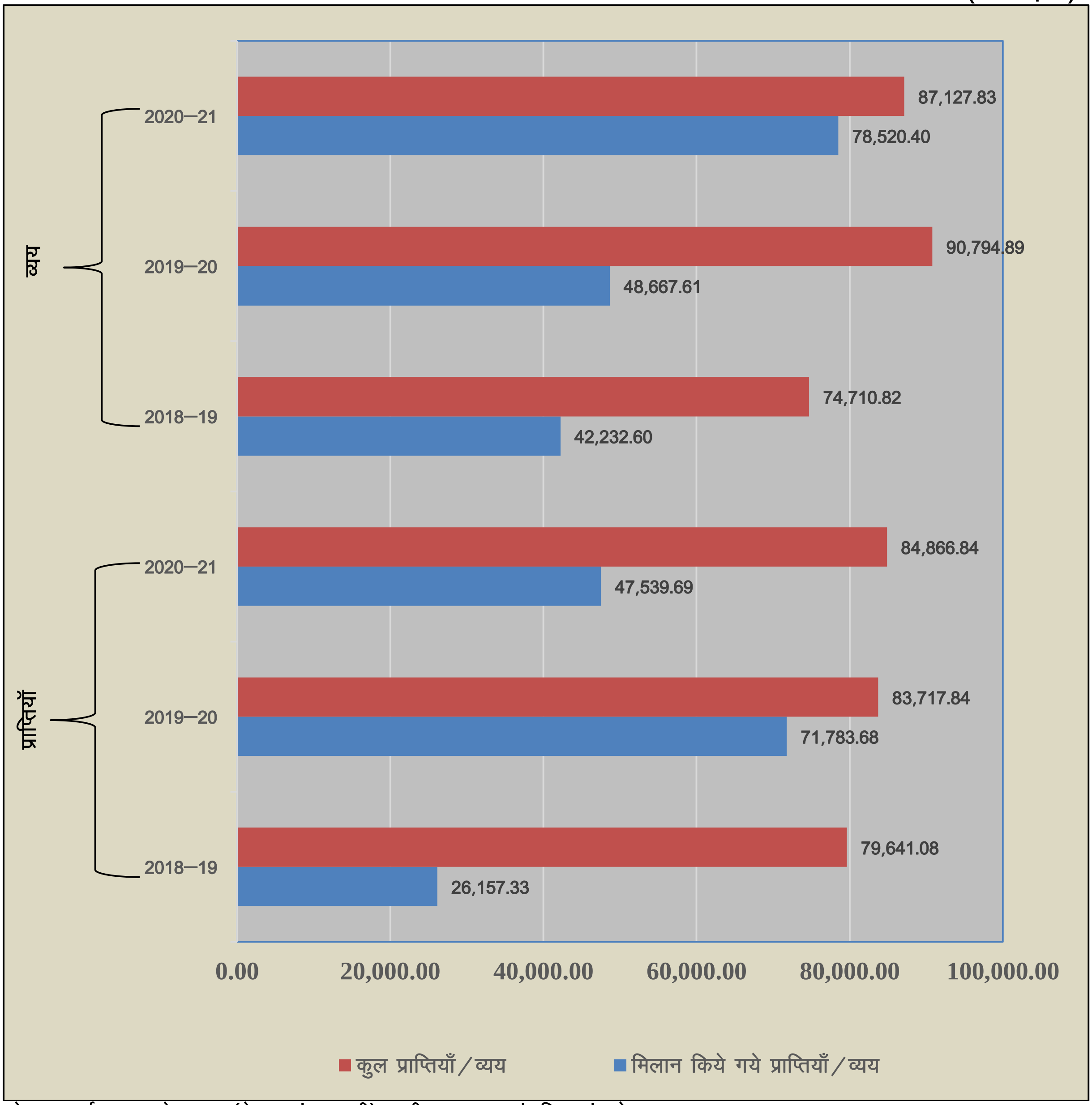

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संकलित आंकडे।

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी **तालिका 4.13** में दिया गया है ।

तालिका 4.13: प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रक आधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियॉ / व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ / व्यय	मिलान प्रतिशत
प्राप्तियॉ							
2018–19	40	13	00	27	79,641.08	26,157.33	32.84
2019–20	40	14	14	12	83,717.84	71,783.68	85.74
2020–21	40	04	31	05	84,866.84	47,539.69	56.02
व्यय							
2018–19	94	44	20	30	74,710.82	42,232.60	56.53
2019–20	94	19	39	36	90,794.89	48,667.61	53.60
2020–21	94	61	23	10	87,127.83	78,520.40	90.12

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकडे।

आंकडों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोडल प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग / पालन में असफलता को कारण ना केवल प्राप्तियॉ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बाल्कि बजटीय प्रक्रिया की उद्देश्य को भी मात देती है।

4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोकड़ शेष में ₹194.71 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अन्तर था। यह अंतर प्रत्यायित बैंक द्वारा केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन के रोकड़ शेष की रख–रखाव की है, को गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने के कारण है।

4.12 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, जो सरकारी लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों को लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक तीन भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इन मानकों का विवरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन मानकों उनके वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण में अनुपालन **तालिका 4.14** में किया गया है।

तालिका 4.14: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों के सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
भा.स.ले.मा–1 सरकार द्वारा प्रत्याभुति (गारंटी)–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक की आवश्यकता है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये अधिकतम प्रत्याभुतियों को परिग्रहितियेा, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ उनके वित्तीय विवरण में प्रकट करें।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान भा.स.ले.मा–1 के निर्धारित प्रारूप में गारंटी से संबंधित 13 गारंटी संस्थानों में से लगभग 11 (85 प्रतिशत) के बारे में मार्च 2021 के समाप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त, खारिज, लागू और बकायों के साथ प्रकट किया ।

भा.स.ले.मा–2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों मे राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के निरपेक्ष वर्गीकृत किया जाये।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य सरकार ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹1,837.67 करोड़ की सहायता अनुदान राशि का वितरण किया और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में इसको दर्ज किया गया है। इसके अलावा, 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 13 अर्थात 14 प्रतिशत ने भा.स.ले.मा–2 के निर्धारित प्रारूप में सहायता अनुदान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।लेखांकन मानकों के गैर–अनुपालन के कारण राजस्व घाटे को कम बताया गया और पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
भा.स.ले.मा–3 सरकार द्वारा बनाए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये लोन एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकरूपीया लेखांकन प्रथा को सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 53 अर्थात 57 प्रतिशत ने भा.स.ले.मा–3 के निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है। भा.स.ले.मा–3 के गैर–अनुपालन से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता होती है।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य शासन ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये है, जिसमें से केवल चार स्वायत निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को न्यासित किया गया है। जून 2021 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण **तालिका 4.15** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.15: लेखों को जमा करने की स्थिति

क. सं.	निकाय का नाम	अनुभाग	सौपे जाने की अवधि	जिस वर्ष लेखों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	लेखों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2019–20[5]	वर्ष 2016–17 क पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 04–06–2021 को राज्य सरकार को जारी किया गया।	36 (2017–18) 24 (2018–19) 12 (2019–20) 00 (2020–21)
02	छत्तीसगढ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 और उससे आगे	2012–13 से 2014–15[6]	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	60 (2015–16) 48 (2016–17) 36 (2017–18) 24 (2018–19) 12 (2019–20) 00 (2020–21)
03	छत्तीसगढ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	वर्ष 2011–12 के आगे (अर्थात वर्ष 2012–13 से) नहीं सौंपा गया
04	छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2019–20 से आगे	2019–20	..	06 (2019–20) 00 (2020–21)

[5] वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लेखे दिनांक 05–07–2021 को प्राप्त हुए और इनकी लेखापरीक्षा शीघ्र ही की जाएगी।

[6] जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद एवं जांजगीर चांपा के वर्ष 2018–19 के लेखे प्राप्त हो चुके हैं एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद के वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक के लेखे प्राप्त हो चुके हैं । इसके अलावा, तीनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त खातों की अवधि तक जारी किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखापरीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, डीपीसी एक्ट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत मार्च 2019 को न्यासित किया गया।

4.14 हानि तथा गबन आदि के मामले

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पुलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति में, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल ₹125.73 करोड़ के कुल 2,138 मामले लम्बित थे, जो निर्णायक जाँच और निपटारे के लिए लंबित थे। लंबित प्रकरणों का विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है। मामलों का वर्ष–वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 4.6*** में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की आयु–रूपरेखा और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या अर्थात चोरी और गबन को **तालिका 4.16** द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.16: हानियों और गबन आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि				लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि		प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	291	9.81				
5 – 10	510	91.13		चोरी	137	0.58
10 – 15	256	11.41		सम्पत्ति/ सामग्रियों की हानि	1,933	119.83
15 – 20	204	3.52				
20 – 25	222	4.48		गबन	68	5.32
25 से अधिक	655	5.38		**लंबित प्रकरणों का योग**	**2,138**	**125.73**
योग	**2,138**	**125.73**				

स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण।

कुल 2,138 मामलों में से वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमशः 524 और 39 मामले थे जो 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। 2,138 मामलों में से 345 मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई. आर.) दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि पांच मामलों में, विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹1.04 लाख की वसूली की गई, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.7*** में वर्णित है।

4.15 ऑफ बजट उधार

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। ऐसे ऋणों की अदायगी अपने बजटीय संसाधनों से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। इस तरह के उधार राज्य सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। इस तरह की देनदारियों को बजट में बताए बिना बनाना, पारदर्शिता और अंतर–पीढ़ीगत इक्विटी दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ–बजट उधार को

बजट दस्तावेजों में प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ–बजट देनदारियों के तीन उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को सरकारी अधिकारियों के लिए 6424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से ₹800 करोड़ और इलाहाबाद बैंक से 2017–18 में 728 फ्लैट खरीदने के लिए ₹195.00 करोड़ का ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की। 31 मार्च 2021 तक कुल दिए गये गारंटी राशि के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने क्रमशः ₹751.95 करोड़ और ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार द्वारा उक्त ऋणों पर ₹203.20 करोड़ का ब्याज एवं मूलधन बजट के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

ख) इसी प्रकार, सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस आवास निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को दो वित्तीय संस्थानों अर्थात इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़) और केनरा बैंक (₹400 करोड़) से पुलिस अधिकारी के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए जून/जुलाई 2017 में ₹800 करोड़ के ऋण प्राप्त करने की गारंटी भी जारी की (वर्ष 2027 तक वैध)। सीपीएचसीएल ने मार्च 2021 तक कुल ₹562.03 करोड़ का ऋण लिया है, जबकि अधिकतम गारंटीकृत राशि ₹1200 करोड़ है। राज्य सरकार ने उक्त ऋणों पर ₹115.03 करोड़ का ब्याज बजट के माध्यम से चुकाया है।

ग) इसके अलावा, सरकार ने फरवरी 2018 में "प्रधान मंत्री आवास योजना" (पीएमएवाई–शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ के ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) को गारंटी जारी की (वर्ष 2022 तक वैध)। जिसमें से सूडा ने 31 मार्च 2021 तक ₹825 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से उपरोक्त ऋण के ब्याज और मूलधन के रूप में ₹103.83 करोड़ का पुनर्भुगतान किया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से जुटाई गई उधार राशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उधार ऋण की गणना राज्य सरकार के खातों में से बाहर रहे। चालू व्यय का भार आने वाली पीढ़ियों पर बाद के वर्षों में बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण की सेवा की सीमा तक स्थानांतरित हो जाएगा। 31 मार्च 2021 तक बकाया ₹92,714.22 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की कुल बजट देनदारी ₹2,309.79[7] करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 2.49 प्रतिशत) है। राज्य सरकार के वर्ष 2017–18 से 2020–21 के बजट दस्तावेजों में किसी भी आफ बजट उधारी का खुलासा नहीं किया गया है।

4.16 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

वर्ष 2020–21 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹12,538.27 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक ऐसी राशि के हस्तांतरण की प्रवृति **चार्ट 4.6** में दर्शायी गई है।

[7] कुल ऋण (₹2333.98 करोड़) – मूलधन का पुनर्भुगतान (₹24.19 करोड़) मार्च 2021 तक।

चार्ट 4.6: 2018–19 से 2020–21 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे दिए गये अनुदान के हस्तांतरण का रुझान

(₹ करोड़ में)

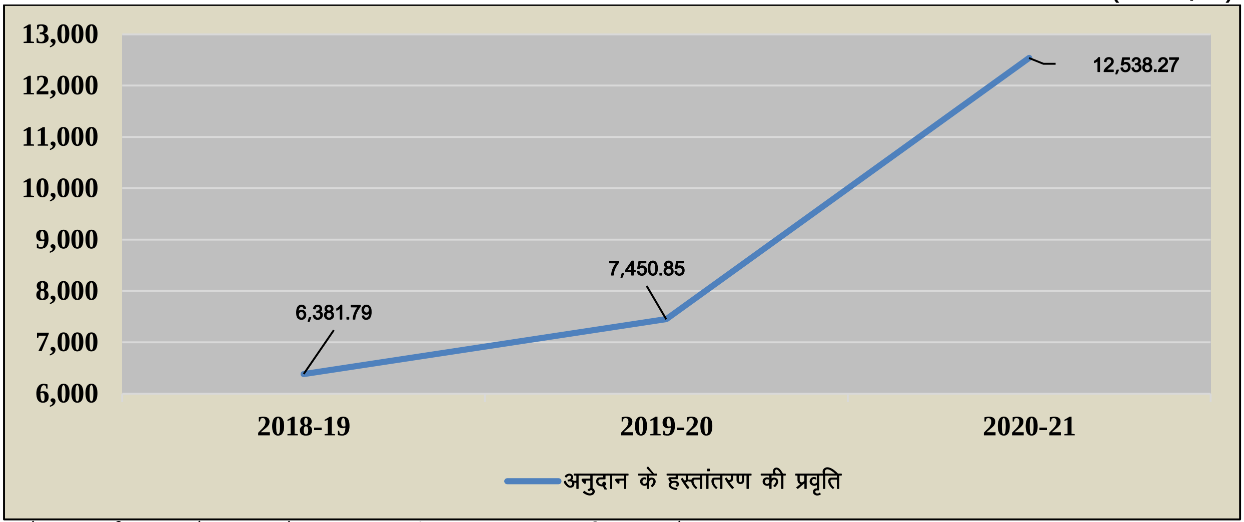

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकडे।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में ₹5,087.42 करोड़ (68.28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है ।

4.17 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जा रहा है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा की लोक लेखा समिति ने इन प्रतिवेदनो पर चर्चा (सितंबर 2021) से नहीं किया है ।

4.18 निष्कर्ष

विशिष्ट विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र और विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक बिलों को जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खातों को जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है ।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800– 'अन्य प्राप्तियां' (₹3,030.67 करोड़) और 'अन्य व्यय' (₹1,268.92 करोड़) के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के आंकड़ों के साथ न करना सरकार के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कमजोर प्रदर्शन और खातों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उठाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अपने आदेश पर प्राप्त ऋणों के संबंध में अपने ऑफ–बजट उधार का बजट में खुलासा नहीं किया है।

4.19 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को यू.सी. एवं डी.सी.सी. बिलों को जमा करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ निर्धारित समय सीमा का पालन करें। एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करनें की आवश्यकता है।

ii. खाते प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई/अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चंत एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।

iii. राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखापुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखा शीर्षो की पहचान हो सकें।

iv. राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन्न हो सकें।

v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ो का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन–देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।

पंचम अध्याय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में सीएजी द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2020–21 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी एक राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो, और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रुप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

[1] 1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 तक अंतिमीकृत/जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

31 मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 30 पीएसयूज (29 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम[2]) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

राज्य के 30 पीएसयूज में से 28 पीएसयूज (27 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो[3] पीएसयूज निष्क्रिय थे। इन 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2021 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तीन पीएसयूज जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (दो पीएसयूज[4]) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयू[5]) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है **(*परिशिष्ट 5.1*)**।

पीएसयूज के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 25 पीएसयूज को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 25 पीएसयूज का टर्नओवर (₹39,964.32 करोड़) वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹3,50,270 करोड़) का 11.41 प्रतिशत था। 2020–21 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत से अधिक है **(तालिका 5.1)**।

तालिका 5.1: वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	6	23,153.77	6.61
2	अधोसंरचना	5	25.42	0.01
3	वित्त	1	2.77	0.01
4	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2	545.01	0.16
5	सेवाएं	9	16,215.65	4.63
6	अन्य	2	21.70	0.01
	योग	**25**	**39,964.32**	**11.41**

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 30 कम्पनियों (29 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2021 को पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 5.2** में प्रस्तुत की गई है।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।
[3] छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।
[4] छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
[5] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयूज का प्रकार	पीएसयूज की कुल संख्या	30 सितंबर 2021 की स्थिति में पीएसयूज द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2020–21[6] के लेखें	2019–20 के लेखें	2018–19 के लेखें	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	27	6	12	9	27	21 (36)
सांविधिक निगम	1	–	–	1	1	1 (2)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**28**	**6**	**12**	**10**	**28**	**22 (38)**
निष्क्रिय पीएसयूज	2	1	–	1	2	1 (2)
योग	**30**	**7**	**12**	**11**	**30**	**23 (40)**

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 25 पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश **तालिका 5.3** में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयूज की कुल संख्या	30
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की संख्या	25
प्रदत्त पूँजी (25 पीएसयूज)	₹6,907.41 करोड़
दीर्घावधि ऋण (25 पीएसयूज)	₹13,283.01 करोड़
शुद्ध लाभ (15 पीएसयूज)	₹697.56 करोड़
शुद्ध हानि (7 पीएसयूज)	₹978.50 करोड़
शून्य लाभ/हानि (तीन पीएसयूज)	–
घोषित लाभांश (दो पीएसयूज)	₹3.84 करोड़
निवल मूल्य (25 पीएसयूज)	₹2,400.05 करोड़

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2021 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.52	889.62	7,562.14	6,672.52	707.14	7,379.66	6,672.52	724.83	7,397.35
केन्द्र सरकार	25.42	0	25.42	25.42	286.53	311.95	25.42	292.78	318.20
अन्य	315.76	12,716.13	13,031.89	315.76	11,795.90	12,111.66	315.76	12,847.58	13,163.34
योग	**7,013.70**	**13,605.75**	**20,619.45**	**7,013.70**	**12,789.57**	**19,803.27**	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**

[6] कोविड–19 महामारी के कारण आरओसी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक सामान्य सभा के आयोजन की नियत तिथि को सामान्य नियत तिथि (अर्थात 30 सितंबर 2021) से दो महीने (अर्थात 30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया था।

कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	95.14	6.54	36.67	95.14	5.53	37.26	95.14	5.23	35.43

स्रोतः 30 सितंबर 2021 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

वर्ष 2019–21 में इन पीएसयूज में कुल निवेश में 1.26 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2021 की स्थिति में, राज्य के 30 पीएसयूज के कुल निवेश में अंश पूँजी 33.59 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 66.41 प्रतिशत था। राज्य के 30 पीएसयूज में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹1,017.61 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,847.58 करोड़ शामिल थे (***परिशिष्ट 5.2***)। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ₹778.30 करोड़ के कुल निवेश (पूँजी, ऋण और सब्सिडी/अनुदान) में से, ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 78.12 प्रतिशत (₹607.98 करोड़) थी।

5.6.2 सम्पत्तियों की पर्याप्तता

सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2021 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रम इस मानदंड को पूरा नहीं करते हैं **(तालिका 5.5)**।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	3	1,703.36	3,090.58	181.44	7	11,862.14	7,593.19	64.01
सांविधिक निगम	1	67.98	656.62	965.90	–	–	–	–

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण **तालिका 5.6** में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[7]	2018-19		2019-20		2020-21	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
(i) ऋण	2	82.71	2	51.89	1	62
(ii) अनुदान/सब्सिडी	10	6,190.20	11	9,546.26	9	8,445.74

[7] राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

बहिर्गमन का योग (i+ii)	**12**	**6,272.91**	**13**	**9,598.15**	**10**	**8,507.74**
बकाया गारंटी	4	2,398.25	4	3,764.41	2	3,426.34
गारंटी प्रतिबद्धता	4	6,753.59	4	6,752.59	3	6,682.28

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2018–19 में ₹6,272.91 करोड़ से बढ़कर 2020–21 की अवधि के दौरान ₹8,507.74 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए ऋण (₹62 करोड़) के रुप में बजटीय सहायता दी गई थी। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा (₹4,752.85 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन यथा एकल बल्ब कनेक्शन, कृषि पंप को बिजली की मुफ्त आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना, कृषि पंप को ऊर्जान्वित करना इत्यादि एवं राजस्व सब्सिडी के लिए तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹3,417.77 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था ।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 14 पीएसयूज जिन्होनें 2018–19 में ₹991.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया था, की तुलना में 15 पीएसयूज द्वारा 2020–21 में अर्जित लाभ ₹697.56 करोड़ रुपये था। लाभ में कमी का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानि में वृद्धि ₹42.27 करोड़ (2018–19) से ₹972.64 करोड़ (2020–21) होना था। 2020–21 में लाभ अर्जित करने वाले चार शीर्ष पीएसयूज को **तालिका 5.7** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयूज जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	अर्जित शुद्ध लाभ (₹करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	402.68
छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम	138.69
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	78.13
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	30.26
योग	**649.76**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयूज को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

19 पीएसयूज जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था, का लाभांश भुगतान **तालिका 5.8** में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयूज के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयूज जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयूज जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूँजी निवेश	पीएसयूज की संख्या	लाभ	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8=7/5*100)**
2018–19	19	6,670.87	13	991.25	2	3.14	0.38
2019–20	19	6,670.87	13	950.52	2	3.84	0.48
2020–21	19	6,670.87	14	697.51	2	3.84	0.72

इन 19 पीएसयूज में से 14 पीएसयूज ने कुल ₹697.51 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया।

5.8 ऋण का भुगतान

5.8.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2018–19	1,451.82	2,486.19	10	6	2
2019–20	1,480.67	1,024.85	12	5	3
2020–21	1,490.98	1,303.82	12	6	2

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि ब्याज भार वाले 12 पीएसयूज में से एक पीएसयू (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का आईसीआर 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान एक से कम था। एक से कम आईसीआर वाले पीएसयूज की संख्या में छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार की गारंटी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक उन सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखों पर प्रतिवेदन देते है, जो

कुछ उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम 2019–20 के दौरान अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल रहा।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2021 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 15 पीएसयूज ने कुल ₹697.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 2020–21 के दौरान लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयूज, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹78.13 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹972.64 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 15 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों ने केवल अपने परिचालन[8] से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[9] से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
	1	**2**	**3**	**4**	**5 = 3/4*100**
लाभार्जन करने वाले	2018–19	14	2,233.28	15,720.66	14.21
	2019–20	14	2,138.93	15,473.92	13.82
	2020–21	15	1,931.44	16,115.05	11.99
हानि वहन करने वाले	2018–19	8	316.31	–385.52	–82.05
	2019–20	8	–539.41	–649.71	83.02
	2020–21	7	–569.71	–988.77	57.62
शून्य लाभ/हानि वाले	2018–19	3	0	1,151.98	0.00
	2019–20	3	0	200.93	0.00
	2020–21	3	0	200.93	0.00
कुल	**2018–19**	**25**	**2,549.59**	**16,487.12**	**15.46**
	2019–20	**25**	**1,599.52**	**15,025.14**	**10.65**
	2020–21	**25**	**1,361.73**	**15,327.21**	**8.88**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2019–21 की अवधि के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 15.46 प्रतिशत से 8.88 प्रतिशत तक गिरावट की ओर है **(तालिका 5.10)**।

---

[8] परिचालन गतिविधियों से लाभ= टर्नओवर –कुल व्यय।

[9] नियोजित पूंजी= प्रदत्त अंशपूंजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/–संचित हानियां। आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार है।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2021 की स्थिति में ऐतिहासिक लागत के आधार पर 25 पीएसयूज में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 20,540.89 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई **तालिका 5.11** में दी गई है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	आर ओ आर आर (प्रतिशत में)
सरकारी कम्पनियाँ						
2018–19	7,421.47	25.42	12,693.52	20,140.41	788.12	3.9
2019–20	7,263.70	311.95	11,773.29	19,348.94	–165.78	–0.9
2020–21	7,325.70	318.20	12,824.97	20,468.87	–422.34	–2.1
सांविधिक निगम						
2018–19	139.02	0.00	2.02	141.04	138.69	98.3
2019–20	114.31	0.00	2.02	116.33	138.69	119.2
2020–21	70.00	0.00	2.02	72.02	138.69	192.6
महायोग						
2018–19	**7,560.49**	**25.42**	**12,695.54**	**20,281.45**	**926.81**	**4.6**
2019–20	**7,378.01**	**311.95**	**11,775.31**	**19,465.27**	**–27.09**	**–0.1**
2020–21	**7,395.70**	**318.20**	**12,826.99**	**20,540.89**	**–283.65**	**–1.4**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल –2.1 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 98.3 प्रतिशत से 192.6 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के अधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई।

इन पीएसयूज में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2021 की स्थिति में की गई है जहाँ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रुप में निवेशित किया है।

- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयूज द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयूज द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।

- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रुप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रुप में माने जाने योग्य नहीं है।

- सम्बन्धित वर्ष[10] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रुप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रुप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 5.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण/ बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतारित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी एवं स्थापना अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ -च+ छ)	झ=ख+ज	ट	ठ=झ* (1 + ट/100)	ड=झ* ट /100	ढ	त=ढ*100/झ
2016–17 तक		6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	**6.62**	14538.38			
2017–18	14538.38	21.6	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018–19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.1	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019–20	18429.89	0	–57.77	0	271.8	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	–25.07	–0.13
2020–21	19917.29	**0**	**0**	0	**331.89**	**331.89**	**20249.18**	6.57	**21579.56**	1330.37	–280.83	–1.39
योग		**6670.87**	**376.96**	**20.11**	**4481.17**	**11508.89**						

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2020–21 के अंत में राज्य सरकार का 19 पीएसयूज में कुल निवेश ₹11,508.89 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,670.87 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹356.85 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान/सब्सिडी (₹4,481.17 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹21,579.56 करोड़ की गई। 2017–18 से प्रतिफल कम हो रहे है एवं 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान ऋणात्मक हो गये।

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियॉ

मार्च 2021 के अंत में सात पीएसयूज ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियॉ वहन की। इन पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियॉ 2018–19 में ₹62.70 करोड़ से बढ़कर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹978.50 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे **तालिका 5.13** में दिया गया है।

[10] सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/{(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

तालिका 5.13: 2018–19 से 2020–21 के दौरान हानियॉ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य
सरकारी कम्पनियाँ				
2018–19	8	–62.70	–6,338.60	–3,668.41
2019–20	8	–980.19	–7,259.71	–4,915.14
2020–21	7	–978.50	–7,259.77	–4,915.20
सांविधिक निगम				
2018–19	–	–	–	–
2019–20	–	–	–	–
2020–21	–	–	–	–
कुल				
2018–19	**8**	**–62.70**	**–6,338.60**	**–3,668.41**
2019–20	**8**	**–980.19**	**–7,259.71**	**–4,915.14**
2020–21	**7**	**–978.50**	**–7,259.77**	**–4915.2**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2020–21 में, सात पीएसयूज द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹978.50 करोड़ में से, ₹972.64 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू[11] द्वारा किया गया था।

5.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹7,263.26 करोड़ के विरुद्ध, 25 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित हानि ₹4,872.05 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2021 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,391.21 करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹972.64 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹7,290.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

25 पीएसयूज में से तीन[12] पीएसयूज के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। इन तीन पीएसयूज, जिनकी पूँजी का क्षरण (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य) हो गया था, में से दो[13] पीएसयूज ने 2020–21 के दौरान ₹5.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

5.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

[11] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

[12] छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड।

[13] छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड।

नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंर्तगत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते है तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रुप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रुप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनियाँ अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

वर्ष 2020–21 के लिए सभी पीएसयूज के सांविधिक लेखापरीक्षकों (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अलावा) की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अगस्त 2020 के दौरान की गई।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी की बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ राज्य विधानसभा के

समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिए भी उनके संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 30 सितम्बर 2021[14] तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल है, कारावास एवं दंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2021 की स्थिति में नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 29 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से 30 नवंबर 2021 तक या उसके पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु केवल 7 सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखें प्रस्तुत किए गए। सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: बकाया लेखों का विवरण

विवरण		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
बकाया लेखों की संख्या		38	2	40
बकाया सीमावधि		4 वर्षों तक	2 वर्ष	–
बकाया विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	–	–	–
	(ii) निष्क्रिय	2	–	2
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	4	–	4
	(iv) अन्य	32	2	34

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की निगरानी लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारुप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं 250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य

[14] कोविड– 19 महामारी के कारण आरओसी, कारपॅारेट कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक सामान्य सभा के आयोजन की नियत तिथि को सामान्य नियत तिथि (30 सितम्बर 2021 तक) से दो माह (30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया था।

वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 29 सरकारी कम्पनियों में से, आठ कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड अकाटटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि तीन पीएसयूज[15] द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस)/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (जनवरी 2020 से सितंबर 2021) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 19 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 14 विगत वर्षो से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, समीक्षा की गई तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 5.15** में दी गई है।

तालिका 5.15: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	7	–	7	14	–	14
समीक्षा नहीं की गई	1	–	1	1	–	1
समीक्षा की गई	–	–	–	8	–	8
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	5	–	5	5	–	5

[15] छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

शून्य टिप्पणियां जारी	1	–	1	3	0	3
टिप्पणियां जारी	–	–	–	5	–	5

**30 सितम्बर 2021 की स्थिति में*

समीक्षाधीन अवधि में पाँच पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (2018–19)	वित्तीय लागत में 2 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक से प्राप्त ऋण पर अदेय उपार्जित ब्याज के लिए ₹6.05 करोड़ शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय लागत, अल्पकालिक प्रावधान और हानि को ₹6.05 करोड़ से कम बताया गया।
2.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018–19)	अन्य व्ययों में वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न औषधि गोदामों से भेजी गई एक्सपायरी दवाओं के निपटान के दायित्व के रुप में ₹58.60 लाख शामिल नहीं थे। प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरुप वर्तमान देयताओं (अल्पकालिक प्रावधान), अन्य व्यय–एक्सपायरी दवा का निपटान और तदनुरुपी लाभ को ₹58.60 लाख से अधिक दर्शाया गया।
3.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (2019–20)	वर्तमान देनदारियों में 31 मार्च 2020 तक विभिन्न पक्षों को देय राशि ₹1.26 करोड़ शामिल नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरुप अल्पकालिक प्रावधानों को कम और लाभ को ₹1.26 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2018–19)	अन्य आय में सौभाग्य, आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई की योजना निधि के लिए राज्य सरकार के अंशदान की सावधि जमा से प्राप्त ₹6.32 करोड़ का ब्याज शामिल है। इसके परिणामस्वरुप अन्य आय को ₹6.32 करोड़ से अधिक और वर्तमान देनदारियों एवं हानि को उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।

वित्तीय–स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. सं	कम्पनी	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2017–18)	चालू दायित्व के स्थान पर अन्य चालू दायित्वों में छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान ₹2.63 करोड़ की राशि शामिल है जिसके परिणामस्वरुप चालू दायित्व को अधिक और गैर–चालू दायित्व को ₹2.63 करोड़ से कम दर्शाया गया।
2.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड़ (2018–19)	दीर्घकालिक देयताओं (सरकार से निधि) में दरों में अंतर के कारण दवाओं के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य राशि ₹76.47 लाख शामिल नहीं थी जिसके परिणामस्वरुप दीर्घकालिक देयताएं (सरकार से निधि) और अन्य चालू सम्पतियाँ–दवाओं के भुगतान पर वसूली प्रत्येक को ₹76.47 लाख से कम दर्शाया गया।
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2019–20)	पूँजीगत कार्य–प्रगति के रुप में शामिल करने के बजाय, गैर चालू परिसंपत्तियों में कम्पनी के कर्मचारियों के लिए आवसीय भवन के निर्माण के लिए दिए गए ₹2 करोड़ का अग्रिम शामिल है, जिसके परिणामस्वरुप पूंजीगत कार्य प्रगति को कम और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों को ₹2 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	प्लांट, मशीनरी और उपकरणों (सितंबर 2013 में पूँजीकृत) के लिए वसूली गई परिसमापन क्षति की राशि होने के कारण ₹15.66 करोड़ के तदनूरुपी मूल्यहास के साथ गैर–चालू परिसंपत्तियो में ₹45 करोड़ की कमी पायी गई। इसको अन्य आय के रुप में मान्यता नहीं देने के परिणामस्वरुप सकल ब्लॉक (संपत्ति) और अन्य आय को ₹45 करोड़, मूल्यह्रास को ₹15.56 करोड़ और लाभ को ₹29.41 करोड से कम दर्शाया गया।
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	गैर –चालू परिसंपत्तियों में 29 पूँजी गत कार्य जिनकी राशि ₹32.47 करोड़ है, शामिल हैं जो कि 2019–20 तक पूर्ण किए गए थे, हालांकि इसे पूँजीकृत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप पूँजीगत कार्य प्रगति को ₹32.47 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को ₹19.79 करोड़ से कम, मूल्यहास को ₹12.68 करोड़ से कम और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

चार[16] पीएसयूज के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुपालन में सीएजी के सभी उप–निर्देशों पर प्रतिवेदन करने में विफल रहे।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

जनवरी 2020 और सितंबर 2021 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
इंड एएस 110– समेकित वित्तीय विवरण	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए थे, हालांकि कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी इफको छत्तीसगढ़ पावर कम्पनी लिमिटेड (अब उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड) और सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलियरीज लिमिटेड की मूल कम्पनी थी।
एएस 12– शासन अनुदान	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी ने वित्तीय विवरण में अपने नोट्स में सरकारी अनुदान के लिए किसी भी लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उतरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

[16] छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (2019–20), छत्तीसगढ़ सड़क एवं अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2018–19), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2018–19) एवं उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (2018–19)

पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान तीन[17] सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थी:

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2021 तक, एक सांविधिक निगम सहित 30 सार्वजनिक उपक्रम थे। 30 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 28 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2021 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2020–21 के दौरान, इन 25 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹39,964.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 11.41 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योगदान 2020–21 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर के 57 प्रतिशत से अधिक है।

31 मार्च 2021 के अंत में राज्य सरकार का 30 पीएसयूज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹20,878.89 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध ₹7,397.35 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण पिछले वर्ष (2019–20) के दौरान ₹12,789.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक ₹13,865.19 करोड़ हो गये।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 14 पीएसयूज के 2018–19 में ₹991.45 करोड़ का अर्जित लाभ की तुलना में 15 पीएसयूज का 2020–21 में अर्जित लाभ ₹697.56 करोड़ था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। सात पीएसयूज को हुई कुल ₹978.50 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹972.64 करोड़) की थी।

30 पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज (22 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2020–21 के लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयूज, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 23 पीएसयूज के 40 लेखे बकाया थे।

[17] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड

5.18 अनुशंसाएं

(i) छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयूज के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(ii) सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग–अलग पीएसयूज के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

(iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।

(दिनेश आर. पाटील)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक 25 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 अप्रैल 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका–1.1: पृष्ठ 1)

राज्य की रूपरेखा

अ–सामान्य आंकडे

स.क्र.	विवरण		आंकडे (छत्तीसगढ़)
1	क्षेत्र		1,35,192 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)		2.55 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)		39.93 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)		70.30 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2019 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=30 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		40 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014–18 संपूर्ण भारत का औसत=69..40)		65.20
8	जनसंख्या वृद्धि (2011–2021)	संपूर्ण भारत	12.30
		छत्तीसगढ़	15.17
9	2020–21 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी)		3,50,270 करोड़

ब–वित्तीय आंकडे

विवरण					
सी.ए.जी.आर		वर्ष 2011–12 से 2019–20		वर्ष 2019–20 से 2020–21	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	11.61	11.96	–4.56	–1.08
ख	कर राजस्व का	9.88	9.49	–4.43	3.49
ग	करेत्तर राजस्व का	13.20	8.74	–35.60	–10.04
घ	कुल व्यय का	12.18	14.41	4.54	–3.64
ङ	पूँजीगत व्यय का	10.10	6.20	–2.36	5.24
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	11.12	15.90	–1.50	–11.21
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.33	20.74	14.65	20.02
ज	मजदूरी एवं वेतन का	10.18	14.34	2.27	1.33
झ	पेंशन का	13.31	17.10	6.02	7.50

(नोटः वित्तीय आंकडे राज्य शासन के वित्त लेखें पर आधारित है)

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भः कंडिका 2.4.1: पृष्ठ 28)

राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
भाग क–प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**53,685(90)**	**59,647(86)**	**65,095(82)**	**63,869(76)**	**63,176(74)**
(i) स्वयं के कर राजस्व	**18,945(35)**	**19,895(33)**	**21,427(33)**	**22,118(35)**	**22,118(36)**
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	9,927(52)	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)	4,236(19)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,444(18)	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)	4,636(20)
वाहन कर	985(5)	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)	1,148(05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,211(6)	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)	1,585(07)
भू–राजस्व	504(3)	446(2)	488(02)	552(02)	938(02)
माल एवं यात्री कर	1,340(7)	478(2)	54(0)	41(0)	80(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)	7,925(35)
अन्य कर	1,534(8)	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)	2,341(10)
(ii) करेत्तर राजस्व	**5,669(11)**	**6,340(11)**	**7,703(12)**	**7,934(12)**	**7,137(11)**
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	**18,809(35)**	**20,755(35)**	**23,459(36)**	**20,206(32)**	**20,338(32)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**10,262(19)**	**12,657(21)**	**12,506(19)**	**13,611(21)**	**12,812(20)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**02**	**03**	**05**	04	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**173**	**138**	**162**	**257**	**105**
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**00**	**01**	**02**	00	00
4. कुल राजस्व एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**53,860**	**59,789**	**65,264**	**64,130**	**63,286**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**5,480(9)**	**9,652(14)**	**14,370(18)**	**19,588(53)**	**21,582(25)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,098	9,188	13,817	19,308	17,961[1]
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	382	465	553	279	3,620
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**59,340**	**69,441**	**79,634**	**83,718**	**84,868**
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	**60**	**00**	**00**	**05**	**00**
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	**62,694**	**72,058**	**76,903**	**89,910**	**81,446**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**1,22,094**	**1,41,499**	**1,56,537**	**1,73,628**	**1,66,314**
भाग खः व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	**48,165(83)**	**56,230(84)**	**64,411(88)**	**73,477(89)**	**70,033(89)**
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	11,496(24)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)	19,586(28)
समाजिक सेवायें	21,342(44)	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)	25,066(35)
आर्थिक सेवायें	14,176(29)	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)	24,255(35)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,151(02)	1,365(02)	895(01)	1,120(2)	1,125(02)

[1] विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21
11. पूँजीगत व्यय	**9,471(16)**	**10,001(15)**	**8,903(12)**	**8,566(02)**	**9,024(11)**
सामान्य सेवायें	188(1.99)	303(3)	255(03)	194(02)	509(06)
समाजिक सेवायें	2,461(26)	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22	2,935(33)
आर्थिक सेवायें	6,822(72)	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)	5,581(62)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	**273**	**369**	**240**	**56**	**51**
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**0.44**	**1.00**	**0.25**	**0.05**	**0.01**
13. योग (10+11+12+12(अ))	**57,909**	**66,600**	**73,555**	**82,100**	**79,108**
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	**1,153**	**1,000**	**1,146**	**8,696**	**8,020**
आंतरिक ऋण	983(85)	828(83)	953(83)	8,480(98)	7,805(97)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	170(15)	172(17)	193(17)	216(02)	215(03)
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	**59,122**	**67,600**	**74,700**	**99,419**	**87,128**
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**
18. लोक लेखे से भुगतान	**61,149**	**71,754**	**76,357**	**83,719**	**81,120**
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	**1,20,271**	**1,39,354**	**1,51,057**	**1,83,138**	**1,68,248**
भाग गः घाटे					
20. राजस्व कमी (—)(1—10)/आधिक्य (+)	**5,521**	**3,417**	**684**	**(—)9,609**	**(—)6,857**
21. वित्तीय कमी (—)/आधिक्य (+)(4—13)	**(—)4,047**	**(—)6,810**	**(—)8,292**	**(—)17,970**	**(—)15,822**
22. प्राथमिक कमी (—)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	**(—)1,360**	**(—)3,712**	**(—)4,640**	**(—)12,999**	**(—)10,189**
भाग घः अन्य आंकडे					
23. ब्याज भुगतान	**2,687**	**3,098**	**3,652**	**4,971**	**5,633**
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**2,62,801**	**2,82,283**	**3,18,101**	**3,44,955**	**3,50,270**
27. वर्षान्त पर देयतायें	**44,258**	**52,907**	**66,750**	**78,712**	**92,714**[2]
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	**3,983**	**3,882**	**10,769**	**18,459**	**19,836**
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	**12,641**	**6,550**	**19,574**	**27,995**	**26,695**
30. अधूरे परियोजना की संख्या	**145**	**110**	**107**	**145**	**149**
31. अधूरे परियोजना में अवरूद्ध पूँजी	**5,937**	**4,067**	**4,365**	**3,355**	**4,444**
भाग ङः राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I. संसाधन सं					
स्वयं कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय कर हस्तांतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06

[2] बैक टू बैक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,605 करोड़ होगी

	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
II- व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.22	0.24	0.23	0.24	0.23
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.08	1.12	1.13	1.29	1.25
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.83	0.84	0.88	0.89	0.89
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.16	0.15	0.12	0.10	0.11
III- राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.01	0.00	(–)0.03	(–)0.02
राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(–)0.02	(–)0.02	(–)0.03	(–)0.05	(–)0.05
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(–)0.01	(–)0.01	(–)0.02	(–)0.04	(–)0.03
राजस्व घाटा/आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	(–)1.36	(–)0.50	(–)0.08	(–)0.53	(–)0.43
IV- राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25[3]
राजकोषीय देनदारियाँ/राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.81	0.89	1.03	1.23	1.47
V- अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.07	0.02	0.03	0.06
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.53	1.48	1.43	1.23	1.13

3 ₹92,714 करोड़ की कुल देनदारियों की राशि से ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर गणना की गई।

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भ:कंडिका–3.3.1: पृष्ठ 54)

वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला–केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	761–कन्या शिक्षा परिसर	23.84	0.01	23.85	15.48
2	1206– ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	0.74
3	2216–नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	49.86	0.00	49.86	22.28
4	3459–महिला खेल–कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.00
5	4663–स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.07	0.00	0.07	0.05
6	4691–कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.00	0.00	6.00	5.01
7	5534–स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.40	0.00	1.40	1.40
8	5551–हाई–स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.69
9	5645–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.00
10	6388–नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	65.56	0.00	65.56	30.95
11	7330–मितानिन कल्याण निधि	110.00	25.00	135.00	185.00
12	7336–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	68.19	18.51	86.70	88.36
13	7361–सबला योजना	8.45	0.00	8.45	3.49
14	7435–पोषण	38.50	0.00	38.50	33.05
15	7490–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	400.00	0.00	400.00	267.77
16	7747–महतारी जतन योजना	31.00	0.00	31.00	13.93
17	7807–प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1,600.00	0.00	1,600.00	254.24
18	7875–सुचिता योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
19	7884–प्रधानमंत्री मातृ वंदना	38.00	0.00	38.00	21.70
20	8977–असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	1.07
21	8989–ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	4.36
22	9131–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.00	0.00	7.00	0.00
23	9369–महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	3.45
योग		**2,572.71**	**43.52**	**2,616.23**	**1,030.03**

परिशिष्टः 3.2

(संदर्भ–कंडिका–3.3.2: पृष्ठ–54)

वर्ष 2020–21 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	436–विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.01
2	1079–खिलाड़ियो को प्रशिक्षण	4.00	0.00	4.00	1.10
3	1190–ग्रामीण खेल–कूद प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.40
4	1853–ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.47
5	2216–नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	49.86	0.00	49.86	22.28
6	3459–महिला खेल–कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.00
7	3673–राज्य छात्रवृत्ति	330.00	0.00	330.00	237.88
8	4699–अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.10	0.00	1.10	0.80
9	5223–खिलाड़ियो को प्रोत्साहन	5.50	0.00	5.50	0.43
10	5428–राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.02
11	5429–युवा कल्याण गतिविधि	3.00	0.00	3.00	1.07
12	5551–हाई–स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.50	0.00	64.50	63.69
13	5571–विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना	4.10	0.00	4.10	3.93
14	5645–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.00
15	5646–सैनिक स्कूल की स्थापना	3.66	0.00	3.66	0.93
16	5671–बी.पी.एल बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.45
17	5672–बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजना	6.15	0.00	6.15	6.06
18	5904–अ.जा. के छात्रो के लिए पुस्तक आदि का प्रदाय	109.18	0.00	109.18	1.82
19	6047–स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
20	6386–मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	601.46	70.43	671.89	420.31
21	6425–मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
22	6728–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,602.73	0.00	1,602.73	971.90
23	6889–मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	1.50	0.00	1.50	1.44
24	6913–कुंभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	1.55	0.00	1.55	0.70
25	6944–पुस्तकालय योजना	1.12	0.00	1.12	0.00
26	7341–आई0आई0आई0टी0 की स्थापना	25.00	0.00	25.00	8.00
27	7363–युवा कैरियर विकास योजना	12.03	0.00	12.03	3.54
28	7366–सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.01
29	7367–मॉडल स्कूल योजना	30.76	0.00	30.76	14.77
30	7430–शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.38
31	7434–कवर्धा मत्सय महाविद्यालय के लिये अनुदान	4.00	0.00	4.00	2.40
32	7435–असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	33.05
33	7627–व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	4.15
34	7632–युवा क्षमता विकास योजना	9.10	0.00	9.10	0.21
35	7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	84.85	0.00	84.85	0.00
36	7751–स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.29	0.00	7.29	3.55
37	7867–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	0.00
38	7884–प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	38.00	0.00	38.00	21.70
39	7914–कौशल स्वरोजगार योजना	1.62	0.00	1.62	0.00
40	7979–समग्र शिक्षा	1,590.00	0.00	1,590.00	539.89
41	8050–छात्रवृत्ति	39.90	0.00	39.90	31.00

42	8539–कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना	10.00	0.00	10.00	0.00
43	8899–पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	3.30
44	8918–विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	10.00	0.00	10.00	6.76
45	8928–मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.42
46	8935–*लाइवलीहुड कालेज* परियोजना	27.82	0.00	27.82	8.08
47	8977–छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	1.07
48	8979–एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	124.81	0.00	124.81	79.46
49	8989–छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	4.36
50	9381–बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.04
51	9805–आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.83	0.00	0.83	0.74
	योग	**4,939.81**	**70.43**	**5,010.24**	**2,518.71**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका–3.3.4: पृष्ठ–55)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नही हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6369–बृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	80.00	0.00	80.00	0.00
2	6371–मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	18.60	0.00	18.60	0.00
3	6372–लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और नवीकरण	1.40	0.00	1.40	0.00
4	6373–लघु वनोपज के लिए अनुदान	50.00	0.00	50.00	0.00
5	6375–विकलांगों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्राई साइकिल योजना	3.51	0.00	3.51	0.00
6	6378–स्काडा योजना	61.04	0.00	61.04	0.00
7	6380–सिरपुर समेकित विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
8	6381–रत्न और आभूषण पार्क की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
9	6382–उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	2.00	0.00	2.00	0.00
10	6390–मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	13.00	0.00	13.00	0.00
11	6394–धर्म निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालय	2.02	0.00	2.02	0.00
12	6396–कुदुरगढ़ में रोपवे का निर्माण	3.00	0.00	3.00	0.00
13	6397–दमाखेड़ा में अवस्थापना विकास	3.00	0.00	3.00	0.00
14	6401–चावल किलेबंदी	5.80	0.00	5.80	0.00
15	6407–राज्य युवा महोत्सव	5.00	0.00	5.00	0.00
16	6408–राज्य युवा मितान क्लब	50.00	0.00	50.00	0.00
17	6409–मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
18	6410–मुख्यमंत्री ई–समीक्षा	4.00	0.00	4.00	0.00
19	6415–प्रधानमंत्री कुसुम योजना	189.90	0.00	189.90	0.00
20	6416–सौर पम्पों के माध्यम से नदियों/एनीकटों से तालाबों को पानी भरने की योजना	20.00	0.00	20.00	0.00
21	6417–मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	25.00	0.00	25.00	0.00
22	6425–मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
23	6426–हरित खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
24	6427–राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	1.00	0.00	1.00	0.00
25	6434–आई.आई.टी. भिलाई को जलापूर्ति योजना	3.00	0.00	3.00	0.00
26	6436–मुख्यमंत्री प्रोद्योगिक प्रोत्साहन एवं विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
27	6437–खेल प्राधिकरण	2.00	0.00	2.00	0.00
28	6452–मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण और उन्नयन प्राधिकरण	0.00	200.00	200.00	0.00
29	6454–बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	200.00	200.00	0.00
30	6457–राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय	0.00	115.20	115.20	0.00
योग		**553.27**	**515.20**	**1,068.47**	**0.00**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः कंडिका–3.5.3: पृष्ठ 58)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधानो से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	264.56	1.00	176.60	–87.96
02	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	27.15	120.00	13.40	–13.75
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,069.53	–877.49
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	111.31	5.54	46.14	–65.17
10	वन	1,760.92	213.80	1,516.28	–244.64
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,006.97	–27.40
14	पशुपालन विभाग	499.09	11.78	374.40	–124.69
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	233.48	2.00	147.71	–85.77
24	लोक निमार्ण कार्य–सड़कें और पुल	1,190.99	1.00	786.14	–404.85
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	4,106.56	–1,043.24
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	445.70	11.35	309.62	–136.08
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	1,486.53	–1,570.21
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,217.57	–641.17
34	सामाजिक कल्याण	94.01	19.89	79.72	–14.29
36	परिवहन	88.11	0.50	45.93	–42.18
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15,741.75	901.19	12,486.69	3,255.06
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	218.73	–135.90
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1,083.75	9.47	650.92	–432.83
64	अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	4,780.56	–734.62
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	125.86	1.72	35.63	–90.23
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	713.23	–206.60
81	वित्तीय सहायता शहरी निकायों के लिए	1,745.02	392.74	1,656.59	–88.42
योग–राजस्व दत्तमत		**52,248.00**	**2,835.74**	**41,925.45**	**–3,812.43**
पूँजीगत (दत्तमत)					
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.00	80.00	0.00	0.00
03	पुलिस	128.88	6.51	106.21	–22.66
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	21.55	0.80	0.80	–20.75
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.39	80.00	0.06	–0.33
12	ऊर्जा विभाग	703.54	0.50	369.89	–333.62
23	जल संसाधन विभाग	430.11	8.00	291.41	–138.70
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	2,208.78	–861.28
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	990.61	136.07	741.52	–249.09
67	लोक निमार्ण कार्य–भवन	914.81	22.11	377.48	–537.33
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाए	697.31	0.50	176.87	–520.44

79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	131.81	88.25	100.22	−31.60
योग–पूँजीगत दत्तमत		**7,089.07**	**724.64**	**4,373.24**	**−2,715.81**
कुल योग		**59,337.07**	**3,560.38**	**46,298.69**	**−6,528.24**

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भ–कंडिका–3.5.5, पृष्ठ–60)

उप–शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नही हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	02–2052–90–6452–मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	120.00	120.00
2	02–4070–800–101–6452–मुख्यमंत्री अधोसंरचना अनुरक्षण एवं उन्नयन प्राधिकरण	0.00	80.00	80.00
3	03–2055–109–8333–सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	20.00	0.00	20.00
4	04–4070–800–7718–आपातकालीन सेवाएं	16.34	0.00	16.34
5	06–2052–90–6454–बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	120.00	120.00
6	06–4070–800–101–6454–बुनियादी सुविधाओं का विकास	0.00	80.00	80.00
7	07–2040–1–1201–7919–छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	10.00	0.00	10.00
8	08–2029–797–6753–पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	57.82	0.00	57.82
9	08–2029–797–6754–अधोसंरचना विकास निधियों को अंतरण	75.40	0.00	75.40
10	10–2406–1–105–252–अन्य व्यय क्षतिपूर्ति अनुदान वित्तीय सहायता	14.84	0.00	14.84
11	10–2406–1–203–5641–वन प्रबंधन समिति	35.94	0.00	35.94
12	10–2406–1–797–3885–वन विकास निधि में स्थानांतरण	10.00	0.00	10.00
13	11–4851–101–101–5385–नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	20.60	0.00	20.60
14	12–4801–2–190–101–7498–पारेषण/उत्पादन/वितरण कंपनी पर पूँजीगत व्यय	47.50	0.00	47.50
15	12–4801–5–52–101–6378–स्काडा योजना	61.04	0.00	61.04
16	12–4801–80–800–101–6417–मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास	12.50	0.00	12.50
17	12–4810–101–101–6416–सौर पम्प के माध्यम से नदी/एनीकट से तालाबों को पानी से भरने की योजना	10.00	0.00	10.00
18	12–4810–101–311–6415–प्रधानमंत्री कुसुम योजना	85.20	0.00	85.20
19	13–2401–102–101–8972–धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	2,397.00	0.00	2,397.00
20	13–2401–800–1201–6353–चिराग योजना	25.00	0.00	25.00
21	17–4425–108–101–7678– सहकारी समितियां के लिए शेयर पूंजी	10.50	0.00	10.50
22	20–6215–1–101–101–2182–नवीन शहरी जलापूर्ति योजनाएं	50.00	0.00	50.00
23	21–2216–2–190–101–7670–मुख्यमंत्री आवास योजना	10.00	0.00	10.00
24	21–4217–1–50–101–5371–नया रायपुर विकास प्राधिकरण	34.00	0.00	34.00
25	21–6217–1–800–101–7669 –रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	50.00	0.00	50.00
26	21–6217–1–800–101–7883–जलापूर्ति योजना	15.00	0.00	15.00
27	22–2217–80–1–7761–शिक्षकों का वेतन	11.00	0.00	11.00
28	23–4700–1–800–101–5685–बांध सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण	10.00	0.00	10.00
29	23–4700–80–800–701–6354–बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण	5.50	5.50	11.00
30	24–5054–5–337–101–7818–इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	79.29	0.00	79.29
31	27–2202–1–108–101–5904–पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	13.13	0.00	13.13
32	27–2202–1–109–101–1394–लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	20.67	0.00	20.67
33	27–2202–2–106–101–5904–पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	12.83	0.00	12.83
34	30–5054–4–101–101–4871–प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
35	30–5054–4–337–101–4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
36	39–2408–1–3–101–8919–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण	14.90	0.00	14.90
37	39–2408–1–102–101–7894–सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	42.50	0.00	42.50
38	39–6408–2–190–311–8545–नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	77.00	0.00	77.00
39	40–4705–209–701–7907–कमान क्षेत्र में सिंचाई की आपूर्ति	115.52	0.00	115.52
40	41–2202–1–796–108–102–5904–पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	21.00	0.00	21.00
41	41–2202–1–796–109–102–1394–लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	43.00	0.00	43.00
42	41–2202–2–796–106–102–5904–पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	17.80	0.00	17.80
43	41–2204–796–103–102–6408–राज्य युवा मितान क्लब	19.00	0.00	19.00
44	41–2216–3–796–105–702–7807–प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	608.00	0.00	608.00
45	41–2230–3–796–3–802–7867–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
46	41–2230–3–796–101–102–7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	33.85	0.00	33.85
47	41–2236–2–796–101–102–6359–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	23.00	0.00	23.00
48	41–2401–796–102–102–8972–धान उत्पादन पर संवेदनहीन योजना	1,938.00	0.00	1,938.00
49	41–2401–796–800–1202–6353–चिराग योजना	19.00	0.00	19.00
50	41–2402–796–102–702–7350–एकीकृत जल शेड प्रबंधन कार्यक्रम	76.00	0.00	76.00
51	41–2406–1–796–105–702–6373–लघु वन उपज प्रसंस्करण के लिए अनुदान	50.00	0.00	50.00
52	41–2408–1–796–3–102–8919–सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतया कम्प्यूटरीकरण	11.32	0.00	11.32
53	41–2408–1–796–102–102–7894–सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	32.30	0.00	32.30
54	41–4202–1–796–202–1002–1400–विवेकानंद गुरुकुल उनानयन योजना	55.00	0.00	55.00
55	41–4202–1–796–202–1202–1400–विवेकानंद गुरुकुल उनानयन योजना	16.00	0.00	16.00
56	41–4425–796–108–102–7678–सहकारी समितियों के लिए शेयर पूंजी	29.38	0.00	29.38
57	41–4801–2–796–190–102–7498–पारेषण / उत्पादन / वितरण कंपनी पर पूँजीगत व्यय	36.10	0.00	36.10
58	41–4810–796–101–312–6415–प्रधानमंत्री कुसुम योजना	64.75	0.00	64.75
59	41–5054–4–796–101–102–4871–प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
60	41–5054–4–796–337–102–4855–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
61	41–6215–1–796–101–102–2182–नवीन शहरी जलापूर्ति योजनाएं	20.00	0.00	20.00
62	41–6408–2–796–190–312–8545–नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	57.72	0.00	57.72
63	42–5054–4–796–101–702–7842– ग्रामीण सड़क परियोजना–2	60.00	0.00	60.00
64	42–5054–5–796–337–102–7818–इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	62.68	0.00	62.68
65	43–2204–103–101–6408–राज्य युवा मितान क्लब	25.00	0.00	25.00
66	43–2204–104–101–7473–37वां राष्ट्रीय खेल	15.00	0.00	15.00
67	47–2230–3–3–101–7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	41.00	0.00	41.00
68	47–2230–3–3–801–7867–मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	10.00	0.00	10.00
69	55–2236–2–101–101–6359–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	30.00	0.00	30.00
70	57–4700–13–800–1202–6369–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
71	57–4700–14–800–1202–6369–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
72	57–4700–15–800–1202–6369–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00
73	57–4700–16–800–1201–6369–मुख्यमंत्री पोषण अभियान	20.00	0.00	20.00

74	57–4701–80–800–1201–6371–मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण एवं नवीकरण कार्य	15.00	0.00	15.00
75	58–2245–1–101–7710–फसल के विनाश के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
76	58–2245–2–122–6457–राज्य विघटन नवीकरण निधि से व्यय	0.00	60.00	60.00
77	58–2245–2–122–989–पुनः स्थापना और क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत	10.00	0.00	10.00
78	58–2245–80–103–4849–राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण	50.00	0.00	50.00
79	58–2245–80–800–6457–व्यय राज्य विघटन नवीकरण निधि से	0.00	53.20	53.20
80	64–2202–1–789–109–103–1394–लड़कियों को वर्दी (बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए)	12.83	0.00	12.83
81	64–2202–2–789–106–103–5904–पाठ्य पुस्तकों की निः शुल्क आपूर्ति	10.00	0.00	10.00
82	64–2230–3–789–3–103–7683–मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
83	64–2401–789–102–103–8972–धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	765.00	0.00	765.00
84	64–2408–1–789–102–103–7894–सहकारी भंडारों को वित्तीय सहायता	10.20	0.00	10.20
85	64–4202–1–789–202–1203–1400–विवेकानंद गुरुकुल उनानयन योजना	12.38	0.00	12.38
86	64–4801–2–789–190–103–7498–पारेषण / उत्पादन / वितरण कंपनी पर पूँजीगत व्यय	11.40	0.00	11.40
87	64–4810–789–101–313–6415–प्रधानमंत्री कुसुम योजना	20.45	0.00	20.45
88	64–5054–5–789–337–103–7818–इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण	40.41	0.00	40.41
89	64–6408–2–789–190–313–8545–नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	19.28	0.00	19.28
90	65–5053–2–102–101–4727–हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार	21.05	0.00	21.05
91	67–4202–2–105–101–515–इंजीनियरिंग / टेक्निकल कॉलेज और संस्थानों के लिए भवन का निर्माण	10.17	0.00	10.17
92	71–3275–800–101–7276–डाटा सेंटर की स्थापना	31.38	0.00	31.38
93	71–5275–101–701–7892–भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	15.00	0.00	15.00
94	75–4700–7–800–311–5516–वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	15.00	0.00	15.00
95	75–4700–9–800–311–5516–वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	45.00	0.00	45.00
96	76–5054–3–337–1201–7433–छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास क्षेत्र परियोजनाएं, चरण–II	10.00	0.00	10.00
97	80–2515–198–7675–14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	173.05	0.00	173.05
98	81–2217–5–191–7675–14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	63.93	0.00	63.93
99	81–2217–5–192–7675–14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	22.01	0.00	22.01
100	81–2217–5–193–7675–14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्राप्त अनुदान	18.86	0.00	18.86
101	81–6217–60–192–101–7241–शहरी बुनियादी ढांचे का विकास	20.10	0.00	20.10
102	82–2202–1–796–196–102–8403–बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए शिक्षा के सेनाओं को वेतन के लिए अनुदान सहायता	20.00	0.00	20.00
103	CH1–6003–110–637–तरीके और अग्रिम मतलब	660.00	0.00	660.00
104	CH1–6003–110–779–अग्रिम कमी को पूरा करने के लिए	264.51	0.00	264.51
105	CH1–6004–9–101–3052–ब्लॉक ऋण	67.60	0.00	67.60
106	CH1–6004–9–101–6718–12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित ऋण	93.26	0.00	93.26
107	CH2–2049–1–101–2199–नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
योग		**9,918.79**	**518.70**	**10,437.49**

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका–3.5.6: पृष्ठ –61)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
02	सामान्य प्रशासन	27.15	120.00	147.15	13.40	–133.75	–129.80	–3.95
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,997.62	4,070.15	–927.47	–892.78	–34.70
07	वाणिज्यि कर विभाग	291.15	0.00	291.15	187.19	–103.96	–102.96	–1.00
08	भू–राजस्व एवं जिला प्रशासन	937.11	0.00	937.11	620.38	–316.73	–303.99	–12.74
10	वन	1,760.92	213.80	1,974.72	1,516.28	–458.44	–372.64	–85.80
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,543.66	4,006.97	–536.69	–536.94	0.25
14	पशुपालन विभाग	499.09	11.78	510.87	374.40	–136.47	–136.30	–0.17
17	सहयोग	232.26	0.00	232.26	125.96	–106.29	–106.37	0.08
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,233.56	387.31	2,620.86	2,412.44	–208.42	0.00	–208.42
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	337.39	0.00	337.39	219.07	–118.32	–116.94	–1.39
23	जल संसाधन विभाग	631.58	0.00	631.58	460.48	–171.10	–171.70	0.61
24	लोक निर्माण कार्य–सड़क एवं पुल	1,190.99	1.00	1,191.99	786.14	–405.85	–748.24	342.39
25	खनिज संसाधन विभाग	374.52	0.15	374.67	99.86	–274.81	–274.88	0.06
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	5,175.70	4,106.56	–1,069.13	–1,075.04	5.91
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	445.70	11.35	457.05	309.62	–147.43	0.00	–147.43
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3,056.73	162.74	3,219.47	1,486.53	–1,732.95	–1,742.47	9.52
33	जनजातीय कल्याण	4,858.73	8.02	4,866.75	4,217.57	–649.19	–658.80	9.61
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,416.30	0.00	2,416.30	2,182.00	–234.30	–234.02	–0.28
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	15,741.75	901.19	16,642.94	12,486.69	–4,156.25	–3,838.94	–317.31
44	उच्च शिक्षा	767.36	0.00	767.36	594.97	–172.39	–177.29	4.90
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	354.63	11.30	365.93	218.73	–147.20	–91.87	–55.33
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,083.75	9.47	1,093.22	650.92	–442.29	–443.16	0.87
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	695.07	924.48	1,619.55	1,095.63	–523.92	–524.10	0.18
64	अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	5,881.11	4,780.56	–1,100.55	–1,035.51	–65.04
67	लोक निर्माण–भवन	688.51	25.00	713.51	564.89	–148.62	–80.23	–68.39
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	906.44	0.10	906.54	796.47	–110.07	–110.07	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	919.83	10.00	929.82	713.23	–216.60	0.00	–216.60

80	त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,676.54	668.72	3,345.26	2,944.74	–400.52	–412.69	12.17
81	नगरीय निकायों का वित्तीय सहायता	1,745.02	392.74	2,137.75	1,656.59	–481.16	–484.29	3.13
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	360.66	0.00	360.66	238.86	–121.80	–136.09	14.28
योग		**64,879.13**	**4,810.86**	**69,689.95**	**53,937.28**	**–15,752.70**	**–14,938.10**	**–814.59**
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	5,855.79	414.78	6,270.57	5,695.91	–574.66	–6,845.23	0.00
योग		**5,855.79**	**414.78**	**6,270.57**	**5,695.91**	**–574.66**	**–6,845.23**	**0.00**
पूँजीगत (दत्तमत)								
11	वाणिज्य और उद्योग से संबंधित व्यय	132.81	0.00	132.81	8.53	–124.28	–124.22	–0.06
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	703.54	0.50	704.04	369.89	–334.15	–334.15	0.00
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	315.93	0.00	315.93	82.60	–233.33	–233.33	0.00
23	जल संसाधन	430.11	8.00	438.11	291.41	–146.70	–146.66	–0.04
24	लोक निर्माण कार्य– सड़के और पुल	1,484.94	0.05	1,484.99	1,040.82	–444.17	–480.20	36.02
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	868.59	0.00	868.59	765.12	–103.47	–102.70	–0.76
40	आयाकट	117.52	0.00	117.52	1.38	–116.14	–115.52	–0.61
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	3,371.96	2,208.78	–1,163.18	–964.64	–198.54
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	947.23	0.04	947.27	474.55	–472.72	–484.78	12.06
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	100.00	0.00	100.00	0.00	–100.00	–100.00	0.00
64	अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना	990.61	136.07	1,126.68	741.52	–385.16	–376.82	–8.33
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	914.81	22.11	936.92	377.48	–559.43	–555.02	–4.41
68	जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–भवनों से संबंधित लोक निर्माण	165.57	0.00	165.57	59.77	–105.80	–106.00	0.20
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	–520.94	–520.13	–0.81
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	730.00	0.00	730.00	453.03	–276.97	–275.69	–1.28
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	131.81	88.25	220.07	100.22	–119.85	0.00	–119.85
82	जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	130.00	0.00	130.00	22.50	–107.50	–107.50	0.00
योग		**11,930.84**	**557.42**	**12,488.27**	**7,174.47**	**–5,313.79**	**–5,027.36**	**–286.41**
कुल योग		**82,665.76**	**5,783.06**	**88,448.79**	**66,807.66**	**–21,641.10**	**–26,810.70**	**–1,101.00**

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका– 3.5.6: पृष्ठ –61)

वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	4,947.02	50.60	4,997.62	4,070.15	–927.47	–892.78	–34.70
13	कृषि	4,034.38	509.29	4,543.66	4,006.97	–536.69	–536.94	0.25
27	स्कूल शिक्षा	5,149.81	25.89	5,175.70	4,106.56	–1,069.13	–1,075.04	5.91
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,056.73	162.74	3,219.47	1,486.53	–1,732.95	–1,742.47	9.52
33	आदिवासी कल्याण	4,858.73	8.02	4,866.75	4,217.57	–649.19	–658.80	9.61
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	15,741.75	901.19	16,642.94	12,486.69	–4,156.25	–3,838.94	–317.31
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	695.07	924.48	1,619.55	1,095.63	–523.92	–524.10	0.18
64	अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना	5,515.18	365.93	5,881.11	4,780.56	–1,100.55	–1,035.51	–65.04
योग		**43,998.67**	**2,948.14**	**46,946.80**	**36,250.66**	**–10,696.15**	**–10,304.56**	**–391.58**
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,070.06	301.90	3,371.96	2,208.78	–1,163.18	–964.64	–198.54
67	लोक निर्माण कार्य–भवन	914.81	22.11	936.92	377.48	–559.43	–555.02	–4.41
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	–520.94	–520.13	–0.81
योग		**4,682.18**	**324.51**	**5,006.69**	**2,763.13**	**–2,243.55**	**–2,039.79**	**–203.76**
कुल योग		**48,680.86**	**3,272.65**	**51,953.49**	**39,013.79**	**–12,939.70**	**–12,344.37**	**–595.34**

परिशिष्ट–3.8

(संदर्भः कंडिका– 3.5.6 पृष्ठ –61)

माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)	समर्पण
1	01-सामान्य प्रशासन	353.59	1.18	354.77	232.03	–122.74	94.43
2	02–सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	27.15	200.00	227.15	13.40	–213.75	209.80
3	03–पुलिस	5,076.86	57.11	5,133.97	4,176.47	–957.50	918.19
4	04–गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	132.86	6.34	139.20	47.24	–91.96	90.25
5	05–जेल	196.71	0.00	196.71	141.50	–55.21	55.20
6	06–वित्त	358.32	0.00	358.32	248.45	–109.87	108.87
7	07–वाणिज्य कर विभाग	1,168.73	0.00	1,168.73	832.48	–336.25	318.24
8	08–भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	21.24	0.00	21.24	5.12	–16.12	16.11
9	10–वन	1,793.83	217.19	2,011.01	1,533.55	–477.46	388.45
10	11–वाणिज्य एवं उद्योग	349.02	0.00	349.02	173.73	–175.29	175.22
11	12–ऊर्जा	2,962.21	208.95	3,171.16	2,812.89	–358.28	353.28
12	13–कृषि	4,050.24	509.29	4,559.53	4,011.93	–547.60	547.88
13	14–पशुपालन	509.83	11.78	521.61	379.54	–142.08	141.91
14	15– अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	252.39	0.00	252.39	147.18	–105.21	113.02
15	16–मतस्य पालन	70.06	0.00	70.06	55.46	–14.61	14.51
16	17–सहकारिता	256.26	0.00	256.26	138.96	–117.29	117.37
17	18–श्रम	215.85	0.00	215.85	150.95	–64.90	65.42
18	19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	639.45	225.36	864.81	641.17	–223.64	225.03
19	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	614.91	2.00	616.91	230.82	–386.10	386.09
20	21–भवन एवं पर्यावरण विभाग	23.46	0.00	23.46	5.66	–17.80	17.80
21	23–जल संसाधन	1,070.25	8.00	1,078.25	751.89	–326.36	326.92
22	25–खनिज संसाधन	2,706.95	1.05	2,708.00	1,845.46	–862.54	1,240.95
23	26–सांस्कृतिक विभाग	501.21	0.15	501.36	188.43	–312.94	313.01
24	27–स्कूल शिक्षा	45.70	0.05	45.75	29.49	–16.26	16.27
25	29–न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	5,188.67	25.89	5,214.56	4,131.93	–1,082.63	1,088.54
26	30–पंचायत और ग्रामीण विकास	3,925.51	162.74	4,088.25	2,251.65	–1,836.60	1,845.36
27	31–योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	52.01	0.15	52.16	28.51	–23.64	23.67
28	32–जनसंपर्क विभाग	233.01	0.00	233.01	176.13	–56.88	56.92
29	33–आदिवासी कल्याण	4.859.18	8.02	4.867.20	4.217.69	–649.51	659.12
30	34–सामाजिक कल्याण	94.11	19.89	114.01	79.81	–34.19	35.19
31	36–यातायात	101.08	0.50	101.58	49.90	–51.68	36.14
32	37–पर्यटन	103.50	0.00	103.50	32.71	–70.79	70.79

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)	समर्पण
33	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,495.68	0.00	2,495.68	2,182.00	–313.68	313.40
34	40–आयाकट	120.85	0.00	120.85	3.16	–117.69	117.06
35	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	18,916.89	1,203.09	20,119.98	14,719.48	–5,400.50	4,884.65
36	42– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	960.48	0.04	960.52	474.80	–485.72	497.77
37	43–खेल–कूद युवा कल्याण	84.40	0.00	84.40	11.11	–73.29	73.28
38	44–उच्च शिक्षा	779.46	0.00	779.46	595.03	–184.43	189.32
39	45–लघु सिंचाई कार्य	448.60	0.00	448.60	389.69	–58.91	59.17
40	46–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	25.50	0.00	25.50	8.76	–16.74	16.74
41	47–तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना	392.09	11.30	403.39	225.74	–177.65	115.51
42	54–कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	238.50	0.00	238.50	180.33	–58.17	51.87
43	55–महिला एवं बाल कल्याण	1,117.16	9.47	1,126.63	667.49	–459.14	460.01
44	56–ग्रामीण उद्योग	134.18	0.00	134.18	91.78	–42.39	42.40
45	57–जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	100.00	0.00	100.00	0.00	–100.00	100.00
46	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	695.27	924.48	1,619.75	1,095.63	–524.12	524.30
47	64–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,543.37	502.00	7,045.37	5,535.09	–1,510.29	1,436.91
48	65–उडड्यन विभाग	130.01	0.00	130.01	53.57	–76.44	76.44
49	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	257.26	0.00	257.26	150.68	–106.58	106.58
50	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	1,604.19	47.11	1,651.30	942.67	–708.63	635.82
51	68– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	165.57	0.00	165.57	59.77	–105.80	106.00
52	69–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	906.44	0.10	906.54	796.47	–110.07	110.07
53	71–सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	190.86	1.72	192.58	70.63	–121.95	66.96
54	75–जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	697.31	0.50	697.81	176.87	–520.94	520.13
55	76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	730.00	0.00	730.00	453.03	–276.97	275.69
56	80–त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,824.54	668.72	3,493.26	3,016.84	–476.42	488.59
57	81–नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	2,361.82	421.74	2,783.56	2,265.40	–518.16	521.29
58	82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	490.66	0.00	490.66	261.36	–229.30	243.59
59	CH1 –लोक ऋण	4,841.47	0.00	4,841.47	8,020.29	3,178.82	847.70
60	CH2 –ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	5,855.79	414.78	6,270.57	5,695.91	–574.66	574.66
	योग	**92,062.50**	**5,870.69**	**97,933.19**	**77,905.71**	**–20,027.50**	**23,525.86**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भः कंडिका–3.5.7, पृष्ठ–62)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	01–सामान्य प्रशासन	48	9	14
2	02–सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	15	6	2
3	03–पुलिस	45	13	18
4	04–गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	27	7	9
5	05–जेल	7	1	4
6	06–वित्त विभाग	54	25	0
7	07–वाणिज्य कर विभाग	30	14	3
8	08–भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	33	16	5
9	09–राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6	0	5
10	10–वन	75	44	11
11	11–वाणिज्य एवं उद्योग	46	19	1
12	12–ऊर्जा	39	2	13
13	13–कृषि	93	16	34
14	14–पशुपालन विभाग	47	0	23
15	15–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	20	7	7
16	16–मत्स्य पालन	16	6	1
17	17–सहकारिता	19	1	6
18	18–श्रम	16	13	0
19	19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	68	37	0
20	20–लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	81	9	18
21	21–आवास एवं पर्यावरण विभाग	23	2	16
22	22–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	5	2	3
23	23–जल संसाधन विभाग	107	14	35
24	24–लोक निर्माण कार्य–सड़के और पुल	45	20	12
25	25–खनिज संसाधन विभाग	13	2	7
26	26–सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्चे	29	3	9
27	27–स्कूल शिक्षा	76	6	33
28	28–राज्य विधायिका	5	4	1
29	29–न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	32	24	0
30	30–पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	47	20	11
31	31–योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	9	3	2
32	32–जनसंपर्क विभाग	50	1	5

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
33	33–आदिम जाति कल्याण	18	12	2
34	34–सामाजिक कल्याण	42	12	0
35	35–पुर्नवास	3	0	1
36	36–यातायात	18	10	0
37	37–पर्यटन	11	0	11
38	39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	34	3	12
39	40–आयकट	5	4	0
40	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	496	133	139
41	42–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	18	6	7
42	43–खेल एवं युवा कल्याण	22	1	13
43	44–उच्च शिक्षा	34	8	9
44	45–लघु सिंचाई कार्य	17	2	8
45	46–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4	0	4
46	47–तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	39	18	10
47	49–अनुसूचित जाति कल्याण	2	2	0
48	50–बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	0
49	51–धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	0	4
50	53–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायो के वित्तीय सहायता	18	2	1
51	54–कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	11	7	3
52	55–महिला एवं बाल कल्याण	52	12	27
53	56–ग्रामीण उद्योग	41	0	19
54	57–जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाए	8	0	8
55	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रो में राहत	60	26	5
56	60–जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्चे	2	1	1
57	64–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना	368	67	90
58	65–विमानन विभाग	3	0	3
59	66–पिछड़ा वर्ग कल्याण	29	13	5
60	67–लोक निर्माण कार्य–भवन	192	41	33
61	68–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	39	1	14
62	69–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	18	1	10
63	71–सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	33	14	2
64	75–जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	0	21
65	76–लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	6	2	4
66	79–चिकित्सा शिक्षा विभाग	41	30	0
67	80–त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	54	6	24
68	81–नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	93	8	21
69	82–अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26	12	6

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
70	83–अनुसूचित जनजातियो उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	23	2	1
71	CH1 – लोक ऋण	14	18	0
72	CH2 – ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	77	5	4
	योग	**3,230**	**826**	**830**

परिशिष्ट–3.10

(संदर्भः कंडिका–3.5.8ः पृष्ठ–63)

वर्ष 2000–01 से 2019–20 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000–01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	
	2 विनियोग	6 और 24	10.21
2001–02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	
	2 विनियोग	16 और 25	115.90
2002–03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	
	2 विनियोग	20 और 67	114.59
2003–04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	591.12
2004–05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	133.36
2005–06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	
	2 विनियोग	6 और 23	23.27
2006–07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	
	1 विनियोग	33	5.13
2007–08	3 अनुदान	23,33 और 60	
	3 विनियोग	13,24 और 36	15.99
2008–09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	
	1 विनियोग	23	115.26
2009–10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	216.77
2010–11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	293.78
2011–12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	
	1 विनियोग	29	498.09
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	
	2 विनियोग	6 और 55	0.96
2013–14	3 अनुदान	06,12 और 60	
	3 विनियोग	06,14 और 27	178.96
2014–15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	833.54
2015–16	3 अनुदान	6,12 और 50	
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	98.24
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	11.46
2017–18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018–19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	0.48
2019–20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6,036.62
योग			**9,944.52**

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ:कंडिका–3.5.8 पृष्ठ–64)

वर्ष 2020–21 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभ	6,320.06	381.00	6,701.06	7,136.62	435.56
2	06	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60
3	08	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	151.27	0.00	151.27	155.43	4.17
4	15	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	37.96	0.00	37.96	45.51	7.55
5	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभ	2.30	0.00	2.30	5.62	3.32
6	32	2029	भू–राजस्व	0.60	0.00	0.60	0.68	0.08
7	32	2051	लोक सेवा आयोग	0.45	0.00	0.45	0.46	0.01
8	32	2055	पुलिस	0.70	0.00	0.70	0.79	0.09
9	32	2056	जेल	0.10	0.00	0.10	0.15	0.05
10	32	2202	शिक्षा	0.32	0.00	0.32	0.34	0.02
11	32	2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1.20	0.00	1.20	1.33	0.13
12	32	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.35	0.00	0.35	0.36	0.01
13	32	2406	वानिकी और वन्य जीवन	1.50	0.00	1.50	2.02	0.52
14	32	2701	मध्यम सिंचाई	4.00	0.00	4.00	4.52	0.52
15	32	2853	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	0.07	0.00	0.07	0.17	0.10
17	32	3054	सड़कें और पुल	4.00	0.00	4.00	4.25	0.25
18	53	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7.24	0.00	7.24	7.68	0.44
19	64	2501	लोक सेवा आयोग	49.99	0.00	49.99	76.53	26.53
20	64	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.00	0.10	0.57	0.47
21	82	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	77.06	0.00	77.06	89.11	12.05
22	83	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9.60	0.00	9.60	10.34	0.74
23	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	4,680.08	0.00	4,680.08	7,805.22	3,125.15
24	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161.39	0.00	161.39	215.06	53.67
योग				**11,510.34**	**381.00**	**11,891.34**	**15,565.35**	**3,674.01**

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका–3.6.1, पृष्ठ–65)

उप–शीर्ष (योजना) जहाँ पूरा व्यय मार्च 2021 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखे के शीर्ष (उप–शीर्ष तक)	केवल मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय
1	10	2406–1–800–6447–जैव विविधता प्रबंधन समिति	13.00
2	24	5054–3–337–101–7991–सीआरएफ के तहत निर्माण में राज्य सरकार द्वारा व्यय	7.00
3	44	2202–5–102–101–7461–संस्कृत भाषा सम्मान	0.16
4	55	2235–2–102–101–7916–किशोर न्याय निधि	0.50
5	56	2851–103–101–7885–हथकरघा क्षेत्र के पुरस्कृत बंकारो के प्रमुख आर्थिक सहायता	0.15
6	56	2851–105–101–6428–खादी स्टोर की स्थापना	1.00
7	66	4225–3–800–101–7978–दामाखेड़ा का एकीकृत विकास	2.00
8	66	4225–4–800–101–7978–दामाखेड़ा का एकीकृत विकास	2.00
9	71	3275–800–101–7823–स्वान परियोजना का विस्तार	1.72
10	80	2405–101–101–7756–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	0.25
		योग	**27.78**

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भः कंडिका 4.2, पृष्ठ–66)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष / विभाग का नाम	2017–18 तक		2018–19		2019–20	
		उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
01	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	0.00*
02	2202–सामान्य शिक्षा	1	0.01	7	5.92	0	0.00
03	2203–तकनीकी शिक्षा	12	54.06	0	0.00	0	0.00
04	2205–कला एवं संस्कृति	0	0.00	0	0.00	1	1.00
05	2215–जल आपूर्ति और स्वच्छता	0	0.00	0	0.00	2	3.00
06	2216–आवास	3	119.58	17	1,927.97	12	625.94
07	2217– नगरीय प्रशासन	5	7.19	75	843.04	133	1,198.90
08	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8	0.80	5	0.53	0	0.00
09	2401–फसल–कृषि कर्म	3	4.32	2	1.61	3	35.59
10	2402–भूमि एवं जल संरक्षण	0	0.00	1	4.36	7	89.88
11	2403–पशुपालन	4	1.69	0	0.00	0	0.00
12	2405–मत्स्योद्योग	0	0.00	0	0.00	3	4.11
13	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1	9.72	0	0.00	1	0.01
14	2702–लघु सिंचाई	0	0.00	1	0.01	0	0.00
15	3054–सड़क एवं पुल	0	0.00	0	0.00	3	240.25
16	3275–अन्य संचार सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	6	13.41
17	3604–स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	30	48.24	47	661.77	65	1,114.02
योग		**67**	**245.61**	**155**	**3,445.21**	**238**	**3,326.11**

*उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि ₹2,900.00

परिशिष्ट–4.2

(संदर्भः कंडिका 4.3, पृष्ठ–68)

31 जनवरी 2021 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू–राजस्व	2017–18	01	0.01
		2020–21	01	0.02
2054	खजाना तथा प्रशासन	2019–20	01	*0.00
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	2020–21	01	#0.00
2202	सामान्य शिक्षा	2019–20	01	0.03
2203	तकनीकी शिक्षा	2020–21	01	0.37
2230	श्रम तथा रोजगार	2019–20	04	1.73
		2020–21	06	@0.00
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017–18	14	0.18
		2018–19	60	0.80
		2019–20	99	0.92
		2020–21	93	0.71
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2018–19	05	0.02
2401	फसल–कृषि कर्म	2018–19	07	0.05
		2019–20	49	1.69
		2020–21	47	1.41
2403	पशुपालन	2018–19	02	$0.00
		2019–20	03	0.01
2405	मछली पालन	2018–19	09	0.10
		2019–20	15	0.35
		2020–21	15	0.34
2406	वन एवं वन्य प्राणी	2018–19	01	%0.00
		2019–20	02	**0.00
2408	खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह	2020–21	01	^0.00
2425	सहकारिता	2019–20	05	184.26
		2020–21	03	100.00
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2019–20	01	2.42
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2018–19	01	##0.00
2701	मध्यम सिंचाई	2017–18	01	^^0.00
2851	ग्रामीण तथां लघु उद्योग	2018–19	01	*0.00
2852	उद्योग	2019–20	06	0.05
		2020–21	04	0.03
योग			**460**	**295.53**

***वि. आ. राशि ₹9,790.00, #वि. आ. राशि ₹11,906.00, @वि. आ. राशि ₹45,000.00, $वि. आ. राशि ₹58,000.00, % वि. आ. राशि ₹71,390.00**

**** वि. आ. राशि ₹16,600.00, ^वि. आ. राशि ₹33,000.00, ##वि. आ. राशि ₹29,227.00, ^^वि. आ. राशि ₹4,190.00**

परिशिष्ट–4.3

(संदर्भः कंडिका 4.9, पृष्ठ–74)

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल प्राप्तियां	वर्ष 2020–21 के दौरान लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियॉ के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियॉ	कुल प्राप्तियों का लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किये गये प्राप्तियॉ का प्रतिशत
01	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	89.77	53.24	59.31
02	0055	पुलिस	29.06	25.90	89.13
03	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.99	1.57	78.89
04	0059	लोक निर्माण कार्य	32.23	31.70	98.36
05	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	35.67	19.95	55.93
06	0217	शहरी विकास	10.20	10.20	100.00
07	0220	सूचना तथा प्रसार	0.04	0.04	100.00
08	0235*	सामाजिक सुरक्षा तथां कल्याण	13.33	13.34	100.07
09	0408	खाद्य भंडारण तथा भंडारगृह	1.30	1.30	100.00
10	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.86	1.75	94.09
11	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	37.69	34.72	92.12
12	0702	लघु सिंचाईं	232.72	233.63	100.39
13	0852	उद्योग	12.08	12.92	106.95
योग			**497.94**	**440.26**	

*मुख्य शीर्ष 0235, 0702 और 0852 के तहत प्राप्तियां राजस्व की वापसी के कारण संबंधित प्रमुख शीर्षों की कुल प्राप्तियों से अधिक प्रतीत होती हैं। इन प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत राजस्व की वापसी क्रमशः ₹0.01 करोड़, ₹2.26 करोड़ तथा ₹0.84 करोड़ थी।

परिशिष्ट–4.4

(संदर्भः कंडिका 4.9, पृष्ठ 74)

लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	कुल व्यय	वर्ष 2020–21 के दौरान मुख्य शीर्ष –800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय	मुख्य शीर्ष –800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय का प्रतिशत
01	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.20	0.20	100.00
02	2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	*1,095.63	517.30	47.21
03	2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा	49.70	29.70	59.76
04	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	216.45	116.65	53.89
05	3275	अन्य संचार सेवाएँ	35.63	35.63	100.00
06	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.70	2.70	100.00
07	4700	वृहद सिंचाईं पर पूंजीगत परिव्यय	335.25	204.60	61.03
08	4701	मध्यम सिंचाईं पर पूंजीगत परिव्यय	71.12	56.47	79.40
09	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	*202.10	150.00	74.22
10	5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	8.70	7.60	87.36
11	5055	सड़क यातायात पर पूंजीगत परिव्यय	3.97	3.97	100.00
12	5425	वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00	100.00
योग			**1,156.95**	**1,127.82**	

*मुख्य शीर्ष 2245 एवं 4801 के अंतर्गत दिखाया गया व्यय सकल व्यय है ।

परिशिष्ट–4.5

(संदर्भः कंडिका 4.14, पृष्ठ–)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
02	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0	1	0	2	0.81
03	जिला प्रशासन	1	0.68	5	0.8	1	3	7	4.48
04	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	0	0	3	11.81	6	12
05	तकनीकी शिक्षा	6	2.31	0	0	7	50.3	13	52.61
06	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.2	14	16.7	21	17.98
07	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0	0	0	2	1	2	1
08	विद्यालय शिक्षा	21	12.93	19	156.26	19	67.1	59	236.29
09	पुलिस	36	6.56	5	19.45	218	28.29	259	54.3
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3	0.29	2	0.31	7	0.85	12	1.45
11	भू–राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.5	11	1.87	2	0.18	15	2.55
12	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.8	1	0.1	183	14.76	192	16.66
13	सहकारिता	0	0	1	96.26	0	0	1	96.26
14	महिला एवं बाल विकास	1	3.5	0	0	2	0.31	3	3.81
15	डेयरी विकास	1	0.2	1	0.02	0	0	2	0.22
16	ग्रामीण एवं लद्यु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0	0	0	1	0.37	1	0.37
17	विधि एवं विधायी विभाग	8	0.39	1	7.79	1	0.07	10	8.25
18	श्रम एवं रोजगार	10	3.9	0	0	4	0.75	14	4.65
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0	1	0.08	3	0.15	4	0.23
20	फसल–कृषि कर्म	0	0	1	2.98	3	0.48	4	3.46
21	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.48	8	1.23	15	22.85
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	5	0.85	9	34.84	4	9.91	18	45.6
23	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1	5.72	0	0	952	951.14	953	956.86
24	लोक कल्याण विभाग	2	0.24	0	0	476	10,269.69	478	10,269.93
25	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0	15	548.18	22	549.43
26	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0	0	0	1	0.05
27	समाहर्ता कार्यालय	0	0	1	0.07	1	0.3	2	0.37
28	खनन एवं धातु–कर्म उपक्रम विभाग	0	0	0	0	1	0	1	0
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0	1	189.9	0	0	1	189.9
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0	0	0	2	4.41	2	4.41
31	राज्य उत्पाद शुल्क	1	3	0	0	0	0	1	3
योग		**137**	**57.81**	**68**	**532.03**	**1933**	**11,983.49**	**2138**	**12,583.33**

परिशिष्ट–4.6

(संदर्भः कंडिका 4.14, पृष्ठ–80)

सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण

(31 मार्च 2021 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	3 (0.08)	4 (2.14)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.13)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	–	–	–	–	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	–	–	1 (0.20)	2 (0.88)	1 (0.16)	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	–	–	–	2 (0.07)	1 (11.77)	3 (0.16)	6 (12.00)
5	तकनीकी शिक्षा	1 (0.15)	3 (46.79)	8 (5.42)	–	–	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	–	2 (0.75)	3 (1.46)	4 (12.67)	10 (2.89)	21 (17.98)
7	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	–	1 (0.00)	–	–	–	2 (1.00)
8	विद्यालय शिक्षा	5 (0.28)	5 (180.98)	3 (7.14)	7 (22.77)	–	39 (25.12)	59 (236.29)
9	पुलिस	152 (15.03)	57 (5.73)	30 (4.79)	11 (11.32)	3 (1.10)	6 (16.33)	259 (54.30)
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	12 (1.45)	12 (1.45)
11	भू–राजस्व (तहसील)	–	–	2 (0.98)	1 (0.00)	–	12 (1.57)	15 (2.55)
12	पशु चिकित्सा सेवाएँ	61 (4.83)	51 (5.55)	62 (3.40)	13 (2.19)	–	5 (0.69)	192 (16.66)
13	सहकारिता	–	–	–	–	–	1 (96.26)	1 (96.26)
14	महिला एवं बाल विकास	–	–	–	–	–	3 (3.81)	3 (3.81)
15	डेयरी विकास	–	–	–	1 (0.20)	–	1 (0.02)	2 (0.22)
16	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	–	1 (0.37)	–	–	–	–	1 (0.37)
17	विधि एवं विधायी विभाग	6 (0.36)	2 (0.00)	–	1 (0.10)	1 (7.79)	–	10 (8.25)
18	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	2 (0.50)	–	5 (2.71)	–	5 (0.42)	14 (4.65)
19	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	–	–	–	2 (0.12)	–	2 (0.11)	4 (0.23)
20	फसल–कृषि कर्म	–	2 (0.16)	–	2 (3.30)	–	–	4 (3.46)
21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	–	–	12 (3.10)	15 (22.85)
22	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.00)	2 (9.90)	–	1 (30.75)	5 (2.27)	9 (2.68)	18 (45.60)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	वानिकी तथा वन्य प्राणि	29 (31.90)	35 (82.27)	50 (98.73)	109 (144.37)	206 (411.77)	524 (187.82)	953 (956.86)
24	लोक कल्याण विभाग	15 (564.32)	338 (8,769.39)	83 (807.27)	42 (128.95)	–	–	478 (10,269.93)
25	जल संसाधन विभाग	9 (358.97)	5 (6.00)	8 (184.46)	–	–	–	22 (549.43)
26	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	–	1 (0.05)	–	–	–	–	1 (0.05)
27	समाहर्ता कार्यालय	–	–	–	–	–	2 (0.37)	2 (0.37)
28	खनन एवं धातु–कर्म उपक्रम विभाग	1 (0.00)	–	–	–	–	–	1 (0.00)
29	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	1 (189.90)	1 (189.90)
30	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	–	1 (4.00)	1 (0.41)	–	–	–	2 (4.41)
31	राज्य उत्पाद शुल्क	1 (3.00)	–	–	–	–	–	1 (3.00)
योग		**291 (981.32)**	**510 (9,113.83)**	**256 (1,141.21)**	**204 (351.70)**	**222 (447.66)**	**655 (537.61)**	**2,138 (12,573.33)**

परिशिष्ट–4.7

(संदर्भः कंडिका 4.14, पृष्ठ –80)

विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वसूली प्रकरण संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग के नाम	प्रकार दुर्विनियोजन/हानि/चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	100	2055	पुलिस	हानि	2020	15,550.00	15,550.00
02	101	2055		हानि	2021	3,310.33	3,310.33
03	99	2406	वन	हानि	2020	47,304.00	47,304.00
04	102	2406		हानि	2021	23,670.00	23,670.00
05	103	2406		हानि	2021	14,938.00	14,938.00
योग						**104,722.33**	**104,722.33**

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका : 5.4 में संदर्भित)

पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	वर्ष 2020–21 की समाप्ति पर कुल निवेश		
								पूँजी$	दीर्घावधि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कार्यशील पीएसयूज जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	16.11.1981	2016-17	2020-21	-2.60	52.45	1.60	1.6	0	1.6
2	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल)	16.09.2016	2016-17	2020-21	-0.02	2.98	0.10	0.10	0.00	0.1
3	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड (सीएसआईआईसीएल)	12.12.2017	प्रथम लेखे अप्राप्त थे	-	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
	योग–I				**-2.62**	**55.43**	**1.70**	**1.75**	**0.00**	**1.75**
II. निष्क्रिय पीएसयूज										
सरकारी कम्पनियाँ										
4	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	30.12.2008	2019-20	2020-21	-0.09	0.00	21.94	21.94	0	21.94
5	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	11.04.2008	2018-19	2020-21	0.00	0.00	82.60	82.60	231.71	314.31
	योग–II				**-0.09**	**0.00**	**104.54**	**104.54**	**231.71**	**336.25**
	महायोग (I+II)				**-2.71**	**55.43**	**106.24**	**106.29**	**231.71**	**338.00**

$ आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका : 5.6.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2814.30	0.00	0.00	2814.30	29.21	0.00	7270.08	7299.29	2843.51	10113.59
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	904.71	0.00	0.00	904.71	0.00	0.00	1316.49	1316.49	904.71	2221.20
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2263.10	0.00	0.00	2263.10	21.17	292.78	1697.15	2011.10	2284.27	4274.20
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	31.12.2008	609.73€	0.00	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	609.73	609.73
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.80	0.80	0.05	0.85
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड	ऊर्जा	13.03.2018	0	0	200	200.00	0	0	0	0.00	0.00	200.00
कृषि एवं संबंद्ध													
7	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	26.65
8	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.40	19.40	0.50	19.90
सेवाएं													
9	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
10	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	27.02.2017	0.00#	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00
11	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	538.63	538.63	2.00	540.63
14	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	0.00	2.02	4.04	67.98	0.00	0.00	67.98	70.00	72.02
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	07.12.2016	25.5	24.5	0	50.00	0	0	0	0.00	25.50	50.00
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
अधोसंरचना													
18	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी/शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	11.11.2014	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90
19	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	19.09.2016	0	0	0.10	0.10	0	0	0	0.00	0.00	0.10

क्र.सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य£	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
21	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	26.02.2001	4.20	0.00	0.00	4.20	0	0	0	0.00	4.20	4.20
22	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	15.03.2018	0.10	0.00	0.00	0.10	0	0	1,759.11	1,759.11	0.10	1759.21
23	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
25	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी	12.12.2017	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
वित्त													
26	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	04.07.2004	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
अन्य													
27	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	0.00	0.00	1.00	367.47@	0.00	0.00	367.47	368.47	368.47
28	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	14.21	14.21	0.00	19.11
29	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	0.00	0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	231.71	231.71	0.00	314.31
30	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	0	0	21.94	21.94	0	0	0	0	0.00	21.94
कुल				**6672.52**	**25.42**	**315.76**	**7013.70**	**724.83**	**292.78**	**12847.58**	**13865.19**	**7397.35**	**20878.89**

$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

£ वित्तीय संस्थायें, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

€ राज्य सरकार द्वारा सीएसपीएचसीएल को प्रदान की गई पूँजी ₹6591.89 करोड़ में से ₹5,982.16 करोड़ सीएसपीएचसीएल (होल्डिंग कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनियों अर्थात् सीएसपीजीसीएल (₹2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹0.05 करोड़) में निवेश की गई जैसाकि स. क्र. 1, 2, 3 एवं 5 में दर्शाया गया है। अतः सहायक कम्पनियों में निवेश किए गए ₹5,982.16 करोड़ को छोड़कर ₹ 609.73 करोड़ को ही सीएसपीएचसीएल की पूँजी दर्शाया गया है।

@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।

₹7000

परिशिष्ट 5.3

(कंडिका : 5.9.1 में संदर्भित)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
पीएसयूज जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
पीएसयूज जिन्होने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम
3	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड
6	केरवा कोल लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in